खण्ड-186, अंक-2
बुधवार, 30 श्रावण, शक संवत् 1879
(21 अगस्त, 1957 ई0)

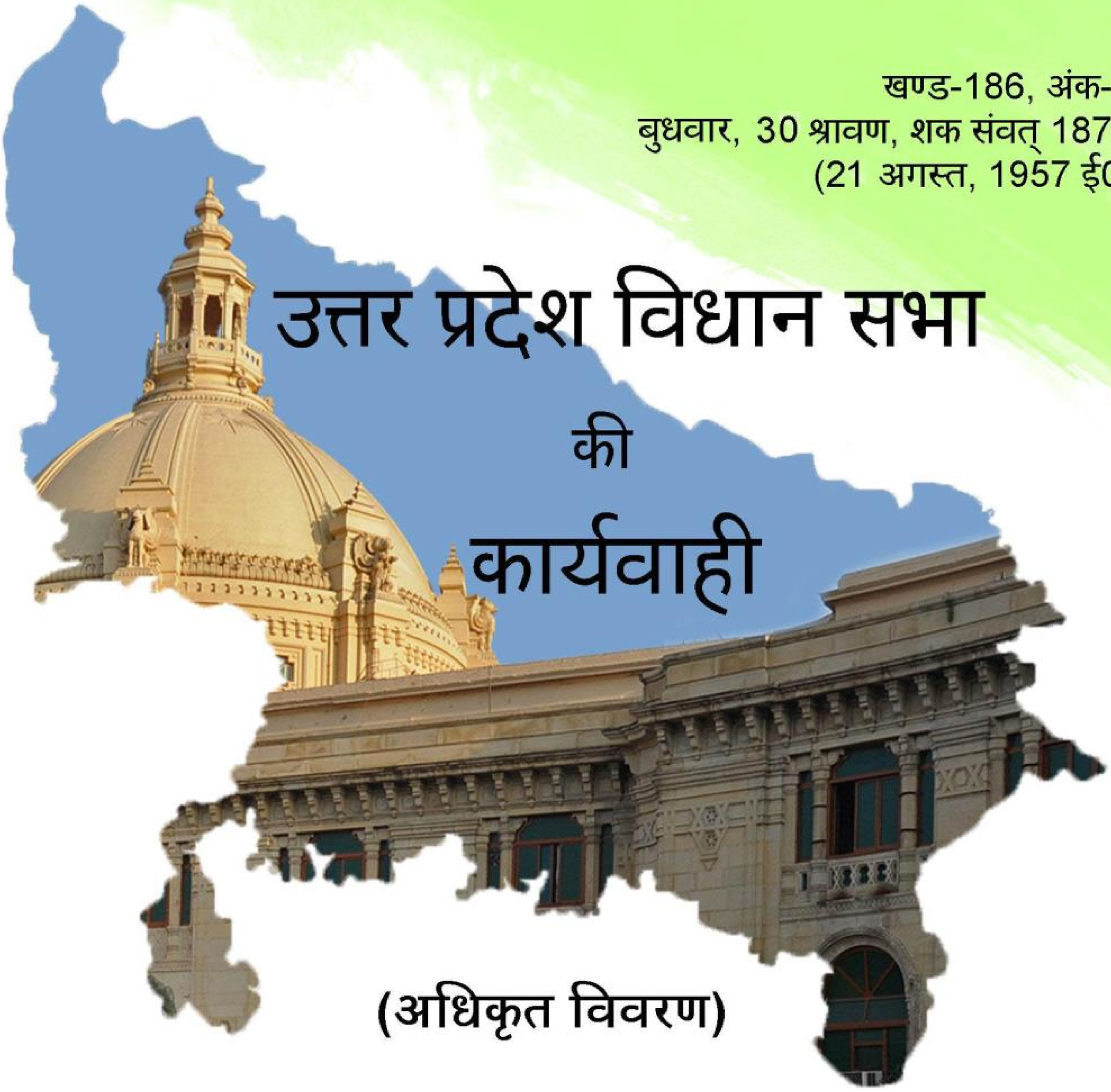

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 186 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५७

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

२१ अगस्त, १९५७ ई०

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य (३४५)

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ़ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ़ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अमरनाथ, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अलीजहीर, श्री सैयद
अल्लाह बख्श, श्री शेख
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
असगरअली खां, कुंवर
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आदिराम सिंघल, श्री
आनन्द ब्रह्मशाह, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फ़तसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलकुमारी गोइंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री उपनाम कमले
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
केशभान राय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमार सिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह, चौधरी
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
ग़फ़ूर अली खां, श्री
ग़रीबदास, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री

गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपाली, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
गोविन्द सिंह विष्ट, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ, चौधरी श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्रप्रताप सिंह, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगर सिंह, श्री
ताराचन्द महेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम, चौधरी
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दीपंकर, आचार्य
दुर्योधन, श्री
दुलारादेवी, श्रीमती
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्तसिंह, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदास पासी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पब्बरराम, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
पहलवान सिंह, चौधरी
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाश सिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंहआर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री

बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालेश्वरप्रसादसिंह, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्भरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुलाकीराम, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमू अली खां, श्री (रामपुर)
महमूदअली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महाबीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महाबीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महेंद्ररिपुदमन सिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मूलचन्द्र, श्री
मुल्ला प्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मुहम्मद फारूक चिश्ती, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेंद्रदत्त दुबे, राजा
रऊफ जाफरी, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
उपनाम लाल साहब
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पांडेय, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेंद्रसिंह, श्री
राजेंद्रसिंह यादव, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामगोपाल गुप्त, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री

रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण, श्री
रामलखन, श्री (जौनपुर)
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान, वैद्य
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायण राय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लायकसिंह, चौधरी
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगविहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्वनाथसिंह गौतम, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेंद्र वर्मा, श्री
वीरेंद्रशाह, राजा
वृजगोपाल सक्सेना, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुलइस्लाम, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्तिसिंह, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अंसारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानी देवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुरथबहादुर शाह, श्री
सुरेंद्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेंद्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हरकेशबहादुर, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेव, श्री
हरिदत्त कांडपाल, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह बिसेन, श्री
होरीलाल यादव, श्री

माल उप-मंत्री, श्री परमात्मानन्द सिंह भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

बुधवार, २१ अगस्त, १९५७

तारांकित प्रश्न

ग्राम धौरहरा, जिला बाराबंकी में कथित डाका

*१—श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम धौरहरा, रामसनेही घाट, जिला बाराबंकी में एक डाका मार्च, १९५७ में पड़ा था ?

शिक्षा उपमंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)—धौरहरा नामक ग्राम, रामसनेही घाट थाने में नहीं, वरन् थाना कोठी में है जहां कोई डाका मार्च, १९५७ में नहीं पड़ा।

*२—श्री जंगबहादुर वर्मा—इस संबंध में सरकार की ओर से क्या कार्यवाही हुई ?

श्री कैलाशप्रकाश—प्रश्न नहीं उठता ।

श्री जंगबहादुर वर्मा—क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि धौरहरा के पास थाना कोठी में जो एक फर्लांग की दूरी पर है, कनवापुर में मैकूलाल कुर्मी के यहां डाका पड़ा था ?

श्री कैलाशप्रकाश—यह तो उत्तर में ही बता दिया गया है कि वहां कोई डाका नहीं पड़ा ।

श्री मोहनलाल वर्मा (जिला हरदोई)—क्या मंत्री महोदय के पास यह सूचना अक्सर आया करती है कि डाके की रिपोर्ट चोरी में लिखी जाती है ? यदि हां, तो जिसका हवाला दिया है उसकी डाके की जगह चोरी में रिपोर्ट लिखी गई हो ?

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—जी, यह रिपोर्ट है कि वहां नकबजनी, चोरी तथा डाका वगैरह कुछ नहीं हुआ ।

*३–४—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—[२८ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किये गये ।]

*५–६—श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—[४ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये ।]

*७—श्री कल्याणचन्द मोहिले—[अस्वीकृत किया गया।]

डी० एस० पी० (कम्पलेंट) गोरखपुर द्वारा शिकायतों की जांच

*८—श्री केशव पांडेय (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बतायेगी कि गोरखपुर जिले के डी० एस० पी० (कम्पलेंट) के यहां कितनी शिकायतें सन् १९५६–५७ में आई हैं और उनमें कितनों पर विभागीय कार्यवाही हो चुकी है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—कुल २२७ शिकायतें आई हैं और उनमें से अभी तक २२० में जांच पूरी हो चुकी है? इनसे संबंधित ४३ व्यक्तियों पर वैभागिक कार्यवाही की जा चुकी है।

*९–१०—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—[४ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

अपराध निरोधक समिति, शाहजहांपुर के सम्बन्ध में पूछताछ

*११—श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला शाहजहांपुर में अपराध निरोधक कमेटी कब से काम कर रही है?

समाज सुरक्षा राज्य-मंत्री (श्री मुजफ्फर हसन)—यू० पी० अपराध निरोधक समिति की शाहजहांपुर जिले की शाखा, जो गैर-सरकारी संस्था है, ४ मई, १९३८ ई० से कार्य कर रही है।

*१२—श्री देवनारायण भारतीय—क्या सरकार इस कमेटी के विधान तथा सदस्यों के नामों की एक सूची मेज पर रखने की कृपा करेगी?

श्री मुजफ्फर हसन—चूंकि यह समिति उत्तर प्रदेश अपराध निरोधक समिति की एक जिला शाखा है और एक स्वतंत्र संस्था नहीं है, इसका स्वयं अपना कोई विधान नहीं है। इस समिति के वर्तमान सदस्यों की सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ १६४ पर)

श्री देवनारायण भारतीय—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश अपराध निरोधक समिति का भी कोई विधान है?

श्री मुजफ्फर हसन—जी हां।

श्री देवनारायण भारतीय—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जिला शाखा के सदस्य बनने के लिये क्या क्वालिफिकेशंस हैं?

श्री मुजफ्फर हसन—यह तो बड़ी तफसील का सवाल है। अगर माननीय सदस्य उसके विधान को मंगा कर पढ़ लें तो उन्हें मालूम हो जायगा।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला एंटी-करप्शन कमेटी और अपराध निरोधक कमेटी, ये दोनों अलग-अलग हैं या एक हैं?

श्री मुजफ्फर हसन—इन दोनों समितियों से कोई ताल्लुक नहीं है।

श्री देवनारायण भारतीय—क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इन जिला शाखा समितियों को नान-आफिशल जेल विजिटर्स के नामों की सिफारिश करने का अधिकार है?

श्री मुजफ्फर हसन—जी हां।

*१३—श्री गौरीशंकरराय (जिला बलिया)—[४ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किया गया।]

*१४–१६—श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—[४ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

*१७-१८—श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)—[४ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

मुकदमें से छूटने के पश्चात् डकैतों की निगरानी

*१९—श्री गनेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि डकैतियों के चालान में अदालत से छूटने के बाद निगरानी लाजिमी खोली जाती है ?

श्री कैलाशप्रकाश—यह जरूरी नहीं है कि प्रत्येक ऐसे मामले में निगरानी शुरू की जावे।

*२०—श्री गनेशचन्द्र काछी—यदि हां, तो ऐसा क्यों है ?

श्री कैलाशप्रकाश—यह प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री गनेशचन्द्र काछी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि डकैती में छूटने के बाद ऐसे कौन से मामले हैं, जिनमें लाजिमी निगरानी खोली जाती है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—ऐसा कोई मामला नहीं है जिसमें लाजिमी खोल ही दी जाय। उसका जो तरीका पुलिस रेगुलेशन्स में दिया हुआ है उसके अधीन कार्यवाही की जाती है हिस्ट्री शीट खोलने के लिये।

श्री मोहनलाल वर्मा—क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिलों में सुपरिंटेंडेंट पुलिस के थानों के लिये यह स्टैंडिंग आर्डर्स हुआ करते हैं कि जो डकैती के सिलसिले में सजायाब हों या छूट जायं उनकी निगरानी अवश्य खोल दी जाय ?

श्री अध्यक्ष—इसका तो जवाब दिया जा चुका है कि ऐसा नहीं है।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो डकैत डकैतियों के मामले से छूट जाते हैं उनकी निगरानी अगर नहीं की जाती है तो किस कानून के द्वारा उनकी देखभाल की जाती है, ताकि भविष्य में वे इस प्रकार के कार्य न कर सकें ?

श्री अध्यक्ष—यह सवाल उठता नहीं है। उन्होंने कहा कि लाजिमी नहीं है कि खोल ही दी जाय, लेकिन हो भी सकता है।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी जो डकैत मुकदमें से छूट जाते हैं उनकी निगरानी कोई विशेष नियमों के आधार पर खोली जाती है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—पुलिस रेगुलेशन्स में नियम बने हुए हैं। उन्हीं के अनुसार निगरानी खोली जाती है। अगर कोई डकैती या नकबजनी वगैरह का केस चलता है और वह छूट जाता है या सजा के बाद, तो प्रासिक्युटिंग इन्स्पेक्टर सुपरिंटेंडेंट पुलिस के यहां रिपोर्ट करता है कि मेरी समझ में इसकी निगरानी होनी चाहिये और अगर एस० पी० मुनासिब समझता है तो उसकी हिस्ट्री शीट खोल दी जाती है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिनकी निगरानी पुलिस विभाग के जरिये की जाती है उन्हें अधिकार है कि कुछ समय के बाद उसके विरुद्ध अपील कर सकें ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—अगर किसी की निगरानी खोली गयी है तो उसके बारे में लिखने-पढ़ने का अधिकार तो उसे हमेशा है ही और उसकी जांच की जाती है। अक्सर हमारे पास भी शिकायतें आयी हैं तो उनकी जांच कर ली गयी है।

*२१—श्री गनेशचन्द्र काछी—[४ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किया गया।]

१९५६–५७ जिला रायबरेली में में कत्ल, बलवे तथा डकैतियां

*२२—श्री रामेश्वर प्रसाद (जिला रायबरेली)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला रायबरेली में सन् १९५६ तथा १९५७ में कितने कत्ल बलवे, व डकैतियां हुईं ?

श्री कैलाश प्रकाश—कुल ४८ कत्ल ७२ बलवे तथा २७ डकैतियां हुईं।

श्री रामेश्वर प्रसाद—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कितने कत्ल और डकैती के मामले ऐसे हैं जिनमें फाइनल रिपोर्ट लगाई गईं और कितने ऐसे हैं जिनके चालान हुए ?

श्री कैलाश प्रकाश—सन् ५६ में कत्ल की ३२ रिपोर्टें हुईं। इनमें से २३ के चालान हुये, २२ को सजा हुई, ७ मुक्त किये गये, और ३ न्यायालय में विचाराधीन हैं। ९ लापता हैं, जिनमें अन्तिम रिपोर्ट लगा दी गई है। सन् १९५७ में २ ऐसे हैं जो लापता हैं और उनमें भी अन्तिम रिपोर्ट लगा दी गई है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि सन् १९५५ में उक्त तीनों अपराधों कत्ल, डकैती आदि में और सन् १९५६ की उन्हीं तीनों अपराधों की संख्याओं में क्या अन्तर है, क्या वृद्धि हुई है या बराबर है या कम हुए हैं ?

श्री अध्यक्ष—यह इससे उठेगा नहीं। वह सन् १९५६ और ५७ के बारे में पूछते हैं। उनका कम्पेरीजन तो किया जा सकता है, लेकिन जिनके फिगर्स ही नहीं हैं उनका तो नहीं हो सकता।

श्री श्रीकृष्णदत पालीवाल—तो सन् १९५६ और ५७ के ही बता दें कि इन दोनों सालों के पहले ६ महीनों में जो अपराध हुये हैं उनकी क्या अवस्था है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मैं रायबरेली जिले की चाहें तो बतादूं, आगरे के फीगर्स तो मेरे पास नहीं है। रायबरेली जिले में सन् १९५६ में ३२ कत्ल के मामले हुये और ५७ में जुलाई तक १६ हुये। बलवे सन् ५६ में हुये ४४, और सन् ५७ में २८। डकैतियां सन् ५६ में १८ और ५७ में ९।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि कितनी डकैतियां इनमें से ऐसी हैं, जिनमें फायर आर्म्स इस्तेमाल किये गये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इसके लिये तो सूचना की जरूरत होगी, जरा तफसील मंगानी पड़ेगी।

*२३—श्री रामेश्वरप्रसाद—[४ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किया गया।]

राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को बहुधन्धी बनाना

*२४—राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वह राज्य के किन-किन २२ राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को बहुधन्धी बनाने जा रही है ?

श्री कैलाश प्रकाश—इस वर्ष जो २३ राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बहुधंधी बनाये गये हैं, उनके नाम संलग्न तालिका में दिये हुये हैं।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ १६५ पर)

*२५—राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बहुधन्धी विद्यालय बनाने के लिये उसने क्या आधार बनाया है ?

श्री कैलाशप्रकाश—बहुधंधी विद्यालय बनाने के लिये ऐसे राजकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूलों का चुनाव किया जाता है जिनमें दो या दो से अधिक वर्गों में शिक्षा देने का प्रबन्ध पहले से हो और साथ ही साथ इसका भी ध्यान रक्खा जाता है कि यह विद्यालय बड़े नगरों के हों, जिससे विभिन्न रुचियों के छात्र प्रत्येक विषय के लिये पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो सकें।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—श्रीमन्, मुझे एक निवेदन करना है। इस प्रश्न का उत्तर मुझे साढ़े दस बजे प्राप्त हुआ है और श्रीमन्, मैं देख रहा हूं कि रोज साढ़े दस बजे और ११ बजे के बीच हमको प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं और उन पर विचार करने की दृष्टि से हम लोगों को कठिनाई होती है। यदि आप यह व्यवस्था करवा दें कि हम लोगों को एक दिन पहले उत्तर मिल जायं तो आसानी होगी।

श्री अध्यक्ष—मैं भी यह समझता हूं कि कम से कम एक रोज पहले मेरे दफ्तर में यह उत्तर आ जाने चाहिये। कहीं-कहीं यह भी प्रथा है कि उत्तर भी पहिले से छप जाया करते हैं। यहां यह प्रथा जब छोटी कौंसिल थी तब जारी थी और शायद अब परिषद् में वह जारी है, जिसमें कि सदस्यों की तादाद कम है। तो छपाई आदि में देर न हो जाय, इसलिये यह नया तरीका किया गया था। यह ठीक है लेकिन कम से कम सदस्यों को एक रोज पहले उत्तर मिल जायं ऐसा प्रयत्न सरकार को करना चाहिये, यह मैं चाहता हूं, क्योंकि १० बजे यह उत्तर यहां आये हैं, माननीय सदस्य के पास साढ़े दस बजे पहुंचे होंगे।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—जब मैं सदन में आया तब मुझे मिले।

श्री अध्यक्ष—यही मैं कह रहा था, करीब-करीब ११ बजे के आपको वह मिले। मेरे दफ्तर में १० बजे वे आये, तो आइन्दा इस बात का ख्याल रहे। या अगर जवाब नहीं देना है उस रोज तो सरकार प्रश्नों को मुल्तवी करवा ले, लेकिन जिस रोज जवाब देना है उसके एक दिन पहले उत्तर मिल जाय तो ज्यादा अच्छा हो।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यह जो संख्या बहुधंधी स्कूलों की दी गई है, इनको क्या वह इस वर्ष बढ़ाने का विचार कर रही है ?

श्री कैलाशप्रकाश—जो यह संख्या दी गई है वह इसी वर्ष बढ़ाये गये हैं।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि यह जो विद्यालय खोले गये हैं वह मेरठ डिवीजन के किस किस जिले में हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश—श्रीमन्, डिवीजनवार तो लिस्ट मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं तालिका पढ़ देता हूं वह इस प्रकार है—मेरठ, मुरादाबाद, इलाहाबाद, झांसी, मिर्जापुर, देवरिया, फैजाबाद, कानपुर, लखनऊ, पीलीभीत, सुल्तानपुर, बांदा, बहराइच, फतेहगढ़, बिजनौर, रायबरेली, मसूरी, देहरादून और बालिकाओं के लिये जो हैं, उन में से हैं—गाजीपुर, झांसी, गोरखपुर, रामपुर और फैजाबाद।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि किसी सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को भी बहुधंधी बनाने की स्वीकृति दी गयी है ?

श्री कैलाशप्रकाश—जी नहीं, यह जो बहुधंधी बनाये गये हैं यह राजकीय विद्यालय हैं, क्योंकि किसी सहायता प्राप्त विद्यालय में इतना धन और इतनी सामग्री नहीं है।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या मैं माननीय मंत्री जी से जान सकता हूं कि यदि कोई सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय इस प्रकार की बहुधंधी क्लासेज खोलना चाहे तो उसको सरकार स्वीकृति प्रदान करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—कोई खोलना चाहे तो अच्छा है। उसका आवेदन-पत्र आवे तो उसको देख लिया जायगा। अगर वह खोलना चाहता है तो सरकार उस पर अच्छी तरह से ध्यान देगी, क्योंकि कृषि क्लासेज खोलने के लिये २-३ निजी विद्यालयों को सहायता दी गई है।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि पहाड़ी इलाके के किसी जिले में ऐसा स्कूल खोलने की व्यवस्था पर सरकार विचार कर रही है और खासकर अल्मोड़ा जिले में ?

श्री कैलाशप्रकाश—श्रीमन्, जो मैंने सूची पढ़ी थी, उसमें मंसूरी पहाड़ी जिलों में ही मालूम होता है।

श्री बलदेव सिंह (जिला गोंडा)—जो बहुधंधी विद्यालय खोले जायंगे उनमें कौन से धंधे सिखाये जायेंगे ?

श्री कैलाश प्रकाश—श्रीमन्, बहुधंधी विद्यालयों में जैसा कि माननीय सदस्यों को मालूम होगा कि हमारे यहां ४ वर्ग चलते हैं। स्कूलों में एक रचनात्मक है, दूसरा कलात्मक है, तीसरा विज्ञान और चौथा साधारण आर्ट है और इनके अतिरिक्त टेक्निकल है। तो अलाहिदा-अलाहिदा विद्यालयों में अलग अलग धन्धे हैं। किन्हीं में विज्ञान, वाणिज्य और कला है और किन्ही में कृषि, वाणिज्य और विज्ञान है और अब कुछ में टेक्निकल क्लासेज भी खोल रहे हैं जो १०, ११ विद्यालयों में खोले जांयगे और जिनमें प्रि-इंजीनियरिंग की शिक्षा दी जायगी।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन स्कूलों में अभी तक बहुधंधी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नहीं खोले गये हैं उनमें खोलने की कोई सुनियोजित योजना सरकार के पास है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां, इस पर विचार हो रहा है। शिक्षा के स्वरूप के परिवर्तन से इसका सम्बन्ध है। यह भारत सरकार के भी विचाराधीन है और हमारे यहां तो यह पहले से चालू है कि कुछ इन्टरमीडियेट क्लासेज को इस प्रकार से बहुधंधी बनाया जाय जिसमें डाइवर्सिफाइड कोर्स और मल्टीपरपज कोर्स हो जाय जिससे विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करके इन्टरमीडियेट पास कर के दूसरे कामों में लग सके। तो यह सरकार के विचाराधीन है। इस विषय पर कई बार विचार हो चुका है। अब भी हम विचार कर रहे हैं। धीरे-धीरे सम्भवतः इसको बढ़ा सकेंगे।

श्री वीरेन्द्रवर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इन बहुधन्धी शिक्षा संस्थाओं पर सरकार का अतिरिक्त व्यय कितना होगा ?

श्री अध्यक्ष—इसका उत्तर दिया जा चुका है।

श्री नरेन्द्रसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—क्या सरकार ने यह घोषणा की थी कि प्रान्त में २ बहुधंधी स्कूल खोले जायंगे—एक झांसी में और दूसरा अल्मोड़ा जिले के पिथौरागढ़ में ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--यह तो मुझे स्मरण है । सम्भवतः ऐसी घोषणा हुई हो। माननीय सदस्य चाहेंगे तो उसका पता लगा लिया जायगा ।

ग्राम छपरा, जिला आजमगढ़ के सिपाही श्री बैजनाथ सिंह की पत्नी का पेंशन सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र

*२६--श्री विश्रामराय (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)--क्या सरकार को ज्ञात है कि तारीख १६ दिसम्बर, १९५५ को सहारनपुर में पी० ए० सी० के सिपाही श्री बैजनाथ सिंह, ग्राम छपरा सुल्तानपुर, थाना जीयनपुर, जिला आजमगढ़ के निवासी की मृत्यु ट्रेन से कट जाने के कारण हो गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी हां । दुर्घटना की सही तारीख ८-१२-५५ है और सिपाही की मृत्यु १०-१२-५५ को हुई थी ।

*२७--श्री विश्रामराय (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उनकी पत्नी के पेंशन सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--उनका मामला उत्तर प्रदेश सिविल सर्विसेज (एक्स्ट्रा आर्डिनरी पेंशन) रूल्स के अन्तर्गत नहीं आता, अतः पेंशन देने का प्रश्न नहीं उठता ।

जूनियर हाई स्कूल, शाहगंज जिला मिर्जापुर को सहायता

*२८--श्री शोभनाथ (जिला मिर्जापुर)--क्या सरकार जनता जूनियर हाई स्कूल, शाहगंज, जिला मिर्जापुर को सहायता देती है ?

श्री कैलाशप्रकाश--जी नहीं ।

विलीन टेहरी-गढ़वाल के शास्त्रियों का सी० टी० ग्रेड में लेना

*२९--श्री सूरतचन्द रमोला (जिला टेहरी-गढ़वाल)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि विलीन टिहरी-गढ़वाल में शिक्षा विभाग के कितने शास्त्रियों का सी० टी० ग्रेड में (absorption) का प्रश्न सरकार के विचाराधीन (Pending) है और कितने शास्त्रियों को अब तक सी० टी० ग्रेड में ले लिया गया है ?

श्री कैलाशप्रकाश--११ शास्त्रियों को सी० टी० ग्रेड में ले लिया गया है और ८ को जैसे-जैसे सी० टी० ग्रेड में पद रिक्त होते जायंगे विलीन करने के प्रश्न पर विचार किया जायगा ।

श्री सूरतचन्द रमोला--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि एबजार्ब करने का आधार क्या है ? सीनियारिटी है क्या ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--सीनियारिटी और काम के बेसिस पर भी है । निश्चय हम सभी को एबजार्ब करने का कर चुके हैं जैसे-जैसे स्थान होंगे ।

श्री सूरतचन्द रमोला--जिन ८ शास्त्रियों को अभी नहीं लिया गया है क्या वे क्लियर वैकेंसीज पर काम नहीं कर रहे हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश--काम तो कर रहे हैं, लेकिन चूंकि अभी स्थान रिक्त नहीं हैं, इसलिये उनको अभी एबजार्ब नहीं किया गया है ।

काकोरी शहीद हायर सेकेंडरी स्कूल, जलालाबाद जिला शाजहांपुर को स्थापना निमित्त दिया गया अनुदान

*३०—श्री हरदयालसिंह (जिला शाहजहांपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला शाहजहांपुर में काकोरी शहीद हायर सेकेण्डरी स्कूल, जलालाबाद को इस की स्थापना के लिये कितना धन अनुदान के रूप में सरकार की ओर से दिया गया था ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—स्कूल की स्थापना के लिये अनुदान के रूप में कोई धन संस्था को नहीं दिया गया ।

*३१-३३—श्री प्रतापसिंह—[४ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये ।]

*३४—श्री गंगाप्रसाद वर्मा (जिला एटा)—[४ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किया गया ।]

*३५—श्री रामलक्षण (जिला बलिया)—[४ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किया गया ।]

*३६—श्री रामलक्षण—[१७ सितम्बर, १९५७ के लिये प्रश्न १६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*३७-३८—श्री मदनगोपाल वैद्य (जिला फैजाबाद)—[२० सितम्बर, १९५७ के लिये प्रश्न ६-७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

*३९—श्री विश्रामराय—[४ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किया गया ।]

*४०-४१—श्री गौरीशंकर राय—[४ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये ।]

*४२-४३—श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)—[अस्वीकार किये गये ।]

तीसरी कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी आदेशों का कुछ स्कूलों पर लागू न होना

*४४—श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी (जिला हमीरपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार ने पहिली से तीसरी कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा देने के सम्बन्ध में दिनांक १२ जून, १९५७ को कोई आदेश जारी किया है ? यदि हां, तो क्या उसकी एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा की जावेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां । राजाज्ञा संख्या ख० पी० १४७५/१५—६०३-५७ दिनांक १२ जून, १९५७ की प्रति सदन की मेज पर प्रस्तुत है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ १६६-१६७ पर)

*४५—श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी (अनुपस्थित)—क्या यह सही है कि यह सरकारी आदेश बहुत से स्कूलों पर लागू नहीं है ? यदि हां, तो वह किस प्रकार के स्कूल हैं और उन पर यह आदेश क्यों नहीं लागू है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जिन स्कूलों पर इस आदेश का प्रभाव नहीं पड़ता है वे विशेष प्रकार के हैं और उनका उल्लेख उपर्युक्त राजाज्ञा के अनुच्छेद १ (२) में किया गया है । इन स्कूलों में साधारण स्कूलों से अधिक शुल्क लिया जाता है । अतः शुल्क छूट के आदेश इन स्कूलों पर लागू नहीं हैं ।

गांव चौमुही, जिला मथुरा में पुलिस चौकी की आवश्यकता

*४६—श्री रामहेतसिंह (जिला मथुरा)—क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जिले में छाता थाने के क्षेत्र में चौमुही गांव में सरकार एक पुलिस चौकी कायम करने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री कैलाशप्रकाश—जी नहीं ।

श्री रामहेतसिंह—क्या यह सही है कि चौमुही क्षेत्र थाने से दूर होने के कारण वहां अक्सर केसेज होते रहते हैं और हाल ही में उस क्षेत्र के अन्तर्गत कई डकैतियां पड़ी हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—डकैतियों की सूचना तो मुझे नहीं है, लेकिन सम्भव है कि यह थाने से दूर हो और यहां चौकी की आवश्यकता भी हो । कहीं कहीं हमने चौकियां खोली भी हैं । बहुत जगहों से मांग है । धन का कारण उसमें बाधक होता है । जैसे जैसे सम्भव हो सकेगा हम खोलते जायंगे ।

*४७—श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)—[४ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किया गया ।]

इटावा जिले की ग्राम सभाओं में रेडियो-सेट्स का वितरण

*४८—श्री मिहरबानसिंह (जिला इटावा)—क्या सूचना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इटावा जिले की हर तहसील में कितने तथा किन-किन ग्राम सभाओं को रेडियो सेट दिये गये हैं ?

गृह मंत्री के सभा सचिव (श्री इस्तफा हुसैन)—जिला इटावा की विभिन्न तहसीलों को दिये गये रेडियो सेटों की संख्या निम्न प्रकार है :—

तहसील औरैया	..	५० रेडियो सेट
तहसील विधूना	..	६१ रेडियो सेट
तहसील इटावा	..	३५ रेडियो सेट
तहसील भर्थना	..	४२ रेडियो सेट
कुल		१८८ रेडियो सेट

ग्राम सभाओं व अन्य संस्थाओं को दिये गये रेडियो सेटों की तहसीलवार †सूची दे दी गयी है ।

श्री मिहरबानसिंह—क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि एक रेडियो सेट पर सरकार संस्था से क्या लेती है और सरकार को उस पर कितना खर्च पड़ता है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—कदाचित ७५ रुपये वसूल किये जाते हैं और सरकार २५० रू० देती है और कुछ रकम केन्द्रीय सरकार से मिलती है ।

श्री मिहरबानसिंह—क्या राजनीतिक संस्थाओं को भी सरकार रेडियो सेट देती है जैसा कि जवाब में नवयुवक संघ, दतारा, के लिये लिखा है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—राजनीतिक संस्थाओं को नहीं, अधिकतर गाँव सभाओं को दिया जाता है । नवयुवक संघ कोई राजनीतिक संस्था है, इसका मुझे पता नहीं है । साधारणतया गांव सभाओं और स्कूलों इत्यादि को हम देते हैं ।

---

†सूची छापी नहीं गई ।

श्री शिवप्रसाद नागर--जो रेडियो ग्राम सभाओं को दिये गये हैं उनमें से कुछ राजनीतिक पार्टियों ने लेकर अपने आफिस में लगाये हैं, क्या सरकार को पता है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--सरकार को ऐसी सूचना नहीं है ।

*४९--**श्री मुक्तिनाथराय** (जिला आजमगढ़)--[४ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किया गया ।]

आजमगढ़ जिले में रिवाल्वरों की जब्ती

*५०--**श्री मुक्तिनाथराय**--क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५५ ई० में आजमगढ़ जिले में कितने व्यक्तियों के रिवाल्वरों के लाइसेंस रिन्यू नहीं किये गये ?

श्री कैलाशप्रकाश--१२२ व्यक्तियों के ।

*५१--**श्री मुक्तिनाथराय**--क्या गृह मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि लाइसेंस रिन्यू न होने के कारण जो लोग अपने रिवाल्वर बेच नहीं सके उन्हें सरकार पूरा समय देगी कि वह उन्हें बेच सकें ? यदि नहीं, तो क्या सरकार स्वयं उचित मूल्य देकर उन्हें खरीदने के बारे में विचार करेगी ?

श्री कैलाशप्रकाश--जिन व्यक्तियों के लाइसेंस रिन्यू नहीं किये गये उन्हें नियमानुसार ६ माह के भीतर अपना हथियार बेचने का अधिकार था और कुछ लोगों ने इस अवधि में अपने हथियार बेचे भी । परन्तु निर्धारित अवधि में जिन व्यक्तियों ने अपने हथियार नहीं बेचे उन्हें अधिक समय देने का नियम में कोई प्राविधान नहीं है । उनके हथियार अब सरकार को जब्त (forfeit) हो गये और उन्हें मूल्य देकर खरीदने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री मुक्तिनाथराय--आम तौर से लाइसेंस रिन्यू करने में सरकार की क्या नीति है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जिनको आवश्यकता होती है उन्हें लाइसेंस प्रदान किया जाता है ।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)--क्या सरकार इस प्रश्न पर विचार करने की कृपा करेगी कि इतनी बड़ी संख्या में लाइसेंस क्यों नहीं रिन्यू किये गये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--नहीं किये गये तो मैं इस बात को देख लूंगा ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या सरकार ६ महीने की अवधि को संशोधित करके एक वर्ष करने पर विचार करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--ऐसा कोई सुझाव अभी तक मेरे पास नहीं आया है ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या गृह मंत्री जी मेरे इस प्रश्न को सुझाव मानने की कृपा करेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी हां, कृतज्ञतापूर्वक ।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)--जैसा कि मंत्री जी जानते हैं, आजकल डकैतियों में फायरआर्म्स का प्रयोग किया जाता है तो क्या जनता को ऐसे हथियार देने के लिये आसान कानून बनाये जाने की बात सरकार सोच रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--यह प्रश्न विवादास्पद है, क्योंकि ऐसी भी सूचना है कि इस प्रकार के लाइसेंस देने से भी डकैतियां बढ़ गई हैं । फिर भी, डिफेंस सोसाइटीज के विश्वसनीय व्यक्तियों को लाइसेंस दिये जाते हैं कि अगर डकैती वगैरह का कोई संकट आवे तो गांववालों की वह सहायता कर सकें ।

श्री मुक्तिनाथराय---क्या सरकार को इस बात का पता है कि रिवाल्वर के लाइसेन्स ईश्यू न होने के कारण आजमगढ़ के कुछ व्यक्तियों ने हाईकोर्ट में रिट दायर की ? उस सिलसिले में जो फैसला हुआ है उसमें जिलाधीश और कमिश्नर वगैरह की इस कार्यवाही को अनुचित बताया गया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---मुझे इसकी कोई सूचना नहीं है ।

श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद)---क्या सरकार इस बात पर गौर कर रही है कि गवर्नमेंट आफ इंडिया को वह यह सिफारिश करे कि जहां तक इस सूबे का ताल्लुक है, आर्म्स ऐक्ट को रिपील कर दिया जाय ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जी नहीं, ऐसा कुछ गौर नहीं कर रहे हैं ।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि आजमगढ़ में ऐसे व्यक्तियों की संख्या क्या है जिनके रिवाल्वर ६ महीने में नहीं बिके और सरकार को फोरफीट हो गये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---इसके लिये सूचना की आवश्यकता है ।

श्री गेंदासिंह---क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गवर्नमेंट आफ इंडिया आर्म्स ऐक्ट को तब्दील करने जा रही है तो क्या सरकार उदारतापूर्वक लाइसेंस देने के प्रश्न पर विचार कर उनको कोई सुझाव देगी ?

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि यह एक साधारण सी बात है, यह तो आपको मान ही लेना चाहिये ।

श्री मोहनलाल वर्मा---माननीय मंत्री जी ने अभी बताया कि जो रिवाल्वर के लाइसेंस कैंसिल किये थे उनकी जरूरत नहीं थी, तो क्या लाइसेंस के ग्रान्ट करने अथवा उनको कैंसिल करने में कमिश्नर क्या केवल डिस्क्रीशन ही इस्तेमाल करता है या इसके अतिरिक्त और कोई नियम हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---लाइसेंस देने का अधिकार पूरी तरह से कमिश्नर के ही हाथ में है । पहले जब कमिश्नरियां तोड़ दी गयीं थीं तो यह अधिकार कलेक्टर के हाथ में दे दिया गया था, लेकिन अब जब से कमिश्नरियां फिर से कायम हो गयीं हैं यह अधिकार कमिश्नरों के हाथ में है कि वे पिस्तौल और रिवाल्वर का लाइसेंस दें । क्योंकि पिस्तौल और रिवाल्वर खतरनाक हैं इसलिये ईश्यू करने के पहले वे यह देख लेते हैं कि उसका ठीक से इस्तेमाल हो सकेगा या नहीं ।

प्रदेश में बालिकाओं के लिए डिग्री कालेज खोलने की आवश्यकता

*५२---श्रीमती चन्द्रावती (जिला बिजनौर)---क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के किन जिलों में बालिकाओं के लिये डिग्री कालेज अभी तक नहीं हो पाये हैं और इसका क्या कारण है ?

श्री कैलाशप्रकाश---उन जिलों की सूची संलग्न है जिनमें अभी तक बालिकाओं के लिये डिग्री कालेज नहीं है ।

इसके कई कारण हो सकते हैं । जिनमें प्रमुख कारण यह है कि उक्त जिलों की जनता ने बालिकाओं के हेतु डिग्री कालेज की स्थापना के लिये समुचित प्रयास न किया हो ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ १६८ पर)

*५३—श्रीमती चन्द्रावती—क्या शिक्षा मन्त्री द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उक्त कमी को पूर्ण करने की व्यवस्था करने के प्रश्न पर विचार करने की कृपा करेंगे ?

श्री कैलाशप्रकाश—द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उक्त कमी को पूर्ण करने के लिये कोई विशेष व्यवस्था नहीं है ।

श्रीमती चन्द्रावती—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जो डिग्री कालेजेज ९ जिलों में बताये गये हैं वे एडेड हैं या सरकारी हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश—यह सब सहायता प्राप्त हैं ।

श्रीमती चन्द्रावती—क्या सरकार बालिकाओं की उच्च शिक्षा की कमी को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के प्रत्येक जिले में उनके लिये डिग्री कालेज खोलने का प्रयत्न करेगी ?

श्री कैलाशप्रकाश—माननीय सदस्या जरा प्रयत्न करें, वहां की जनता को प्रोत्साहित करें और जब डिग्री कालेज के लिये लड़कियां तैयार हो जायं तो विश्वविद्यालय और सरकार को लिखा जाय तो वे अवश्य इस पर विचार करेंगे ।

श्री रामायणराय—क्या माननीय मंत्री जी देवरिया जिले की बालिकाओं के लिये डिग्री कालेज खोलने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—उन्होंने जो उत्तर दिया है वह सब के लिये दिया है ।

श्री प्रतापसिंह—क्या शिक्षा मंत्री जी बतायेंगे कि हमारे प्रान्त में कोई सरकारी बालिका विद्यालय डिग्री कालेज के नाम से है ?

श्री कैलाशप्रकाश—जी नहीं, बालिकाओं के लिये कोई सरकारी डिग्री कालेज नहीं है ।

श्री सुल्तान आलम खां—सरकार ने अभी बतलाया कि जिन जिलों में वहां के लोगों ने एफर्ट्स नहीं किये हैं वहां डिग्री कालेजेज नहीं खोले गये हैं तो क्या सरकार यह बतला सकेगी कि एफर्ट्स करने से उसकी क्या मुराद है ? क्या एफर्टस करने से उसकी यह भी मुराद है कि वहां के लोगों ने कोई रिप्रेजेन्टेशन नहीं किया और वहां के नुमाइंदों ने सरकार की तवज्जह इसकी तरफ नहीं दिलाई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—प्रश्न इसका यह है कि लड़कियों की उच्च शिक्षा के लिये इतने डिग्री कालेजेज कि हर जिले में कायम हों, उसकी आवश्यकता है भी या नहीं है, यह भी एक बड़ा भारी प्रश्न है, क्योंकि देखने में आया है कि जितना हम चाहते हैं उतनी मात्रा में लड़कियां प्राइमरी स्कूलों और जूनियर स्कूलों में भी नहीं आ पातीं । जहां कहीं भी ऐसी बालिकाएं जो उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहती हैं, उनको आसपास के डिग्री कालेज में या यूनिवर्सिटी में जगह मिल जाती है । प्रयास करने का हमारा अर्थ तो यह था कि हम सामाजिक जीवन की व्यवस्था में ऐसा परिवर्तन करें कि लड़कियां आग्रहपूर्वक उच्च शिक्षा के लिये बाहर आवें । अभी तो हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, जूनियर हाई स्कूल और प्राइमरी स्कूलों के लिये ही हम जितना चाहते हैं उतनी लड़कियां नहीं आती हैं ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बालिकाओं के लिये अलग विद्यालय कायम करने की आवश्यकता क्यों है ? सह-शिक्षा का प्रबन्ध क्यों नहीं किया जाता ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—यह तो माननीय सदस्य उन प्रश्नकर्त्ता से पूछें, जिन्होंने यह प्रश्न किया ।

श्री प्रतापसिंह---क्या यह सही है कि उत्तर प्रदेश के नैनीताल और ज्ञानपुर में लड़कों के लिये सरकारी डिग्री कालेज हैं ? यदि हां, तो फिर माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि लड़कियों के लिये कोई सरकारी डिग्री कालेज इस प्रदेश में क्यों नहीं है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---मैंने निवेदन किया कि लड़कों के लिये केवल दो ही सरकारी डिग्री कालेज एक नैनीताल और एक ज्ञानपुर में हैं शायद एक रामपुर में भी पुराना डिग्री कालेज है। लड़कियों के लिये अगर डिग्री कालेज की आवश्यकता हो तो सरकार को कोई सैद्धान्तिक आपत्ति नहीं है । प्रश्न केवल यह है कि एक डिग्री कालेज में बड़ा पैसा खर्च होता है, एक बात। दूसरी बात यह है कि डिग्री कालेज खोले जायं और उनको स्वीकृत किया जाय इसकी प्रायः सभी जिम्मेदारी यूनिवर्सिटी की होती है। तो अगर कहीं डिग्री कालेज के लिये आवश्यकता प्रतीत होती हो तो माननीय सदस्य विचार करके बतलावें कि वहां डिग्री कालेज के लिये लड़कियां मिल सकेंगी ।

श्रीमती चन्द्रावती---सरकार ने इस बात की किस तरह से जांच की है कि लड़कियों की शिक्षा के लिये डिग्री कालेज की आवश्यकता नहीं है ?

श्री अध्यक्ष---यह तो मान कर ही चलना चाहिये कि जांच की गई होगी ।

श्री सुल्तान आलम खां---क्या सरकार की यह नीति है कि डिग्री कालेज हर रीजन में खोले जायं, तीन चार जिलों को मिलाकर इस तरह से डिग्री कालेज खोले जायं कि आसपास के लोगों को बहुत ज्यादा दूर अपने बच्चों और बच्चियों को तालीम के लिये न भेजना पड़े ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---सरकार की नीति तो यही है कि डिग्री कालेज खोलने को बहुत अधिक प्रोत्साहन न दिया जाय, क्योंकि यह कोई बहुत लाभप्रद नहीं है कि तीसरे दर्जे में लड़के बी० ए० पास करके निकलें। तो इसलिये डिग्री कालेज अधिक संख्या में खोलने की ओर सरकार का झुकाव नहीं है । फिर भी जहां कहीं आवश्यकता प्रतीत होती है कि वहां डिग्री कालेज खोले जायं तो वहां डिग्री कालेज खोलने व उसको सहायता देने के प्रश्न पर सरकार विचार करती रहती है ।

प्रदेश में सोशलिस्ट सत्याग्रह से सम्बन्धित गिरफ्तारियां और सजाएं

*५४---श्री गंगाप्रसादसिंह (जिला बलिया)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सोशलिस्ट सत्याग्रह के सम्बन्ध में कितने व्यक्ति इस प्रदेश में गिरफ्तार हुए हैं तथा कितनों को सजा मिली है ?

श्री कैलाशप्रकाश---सोशलिस्ट सत्याग्रह के संबंध में इस प्रदेश में अभी तक प्राप्त सूचना के अनुसार २,९७१ व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं तथा २,८१७ व्यक्तियों को सजा मिली है ।

श्री गंगाप्रसाद सिंह---क्या माननीय गृह मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि ये जो २,८१७ सजा प्राप्त व्यक्ति हैं, उनमें से कितने व्यक्तियों को क्षमा याचना करने पर जेल से मुक्ति मिल गयी है ?

श्री कैलाशप्रकाश---इसके लिये सूचना की आवश्यकता है ।

श्री मोतीलाल अवस्थी---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो २,००० से अधिक व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं उनको किस-किस सेक्शन में गिरफ्तार किया गया है ?

श्री कैलाशप्रकाश---इसके लिये तो सूचना की आवश्यकता होगी, क्योंकि २८-२९ सौ आदमियों को किस-किस सेक्शन में पकड़ा गया, यह इस वक्त बताना मुश्किल है ।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल (जिला बरेली)---क्या मंत्री जी अन्दाजन उन लोगों की संख्या बतायेंगे कि जिन्होंने माफी मांगी ?

श्री अध्यक्ष---अन्दाजन बताने के लिये मैं इजाजत भी दे दूं तो वह १ से १०० तक कुछ भी संख्या हो सकती है, लेकिन उससे क्या लाभ होगा ?

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि जिन लोगों को सजा दी गई उनमें से सीनियर क्लास कितनों को दिया गया ?

श्री कैलाशप्रकाश---इसके लिये तो सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि इन २,८१७ कैदियों में से कितने व्यक्तियों पर जुर्माना हुआ है ?

श्री कैलाशप्रकाश---यह बहुत ब्यौरे का प्रश्न है । इसकी भी सूचना की जरूरत है ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि इन लोगों को निम्नतम और अधिक से अधिक सजा क्या दी गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---बिल्कुल निश्चय तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन सवा साल की अधिक से अधिक और न्यूनतम तो बहुत कम तक दी गई है ।

श्री मोतीलाल अवस्थी---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि जब उनकी संख्या केवल २,००० के करीब है तो दूसरी तरफ से जो ५,००० से ज्यादा के गिरफ्तार होने की बात कही जाती है, क्या सरकार इसकी जांच करेगी कि कौन सी बात सही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---हमारी ही रिपोर्ट सही होगी ।

श्री उग्रसेन---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो निश्चित संख्या उन्होंने गिरफ्तार सत्याग्रहियों की दी है, उसमें उन्होंने उनकी भी संख्या जोड़ी है जिनको दिन भर घाम में कचहरी में खड़ा रखा जाता था और रात को कोतवाली में रखा जाता था ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जो भी गिरफ्तार हुये या जिन को सजा हुई, उनकी संख्या इसमें दी हुई है ।

श्रीमती सज्जनदेवी महनोत (जिला वाराणसी)---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन २,८१७ सजा पाये हुए व्यक्तियों में से महिलायें कितनी हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---इसकी सूचना इस समय मेरे पास नहीं है ।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे, उनको जानकारी है कि चार सौ से अधिक व्यक्तियों ने माफी मांग ली है, यह बात सही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जी हां ।

श्री गेंदासिंह---क्या यह सही है कि जिन दो मुख्य मांगों को लेकर सोशलिस्ट पार्टी ने सत्याग्रह किया था उन दोनों मांगों को सरकार ने मंजूर कर लिया है, अब ऐसी हालत में उन लोगों को जेलखाने में बन्द रखने की क्या जरूरत है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जेलखाने में बन्द हैं वह कानून तोड़ने की वजह से । सरकार ने उनकी कोई मांग मंजूर नहीं की है, क्योंकि उनकी कोई मांग मंजूर करने लायक थी ही नहीं ।

श्री गेंदासिंह--क्या यह सही है कि मूर्ति हटाने के सम्बन्ध में और हिन्दी के सम्बन्ध में जो कुछ भी सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से कहा गया उसके मुताबिक कार्यवाही सरकार ने कर दी है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--वह तो सरकार की नीति पहले से ही उद्घोषित थी। जो सरकार की नीति हो उसको ले करके कोई कहे और उसका श्रेय प्राप्त करने की चेष्टा करे तो उसका इलाज मेरे पास नहीं है।

श्री नन्दराम (जिला प्रतापगढ़)--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उन्होंने फरमाया कि ज्यादा से ज्यादा सवा वर्ष, लेकिन प्रतापगढ़ जिले में ५१ व्यक्तियों को २५ महीने की सजा और पांच सौ और ढाई सौ रुपया जुर्माना, कुल मिला कर ३१ महीने की सजा दी हुई है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--मान्यवर, मैंने यह कहा था जहां तक मुझे स्मरण है, क्योंकि मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता। सूचना देकर अगर प्रश्न पूछा जाय तो मैं समझता हूं कि पूरी तफसील के साथ में उत्तर दे सकूंगा।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे--अभी माननीय मंत्री ने कहा कि सरकार की उद्घोषित नीति थी। तो सरकार की उद्घोषित नीति के अनुसार ही अगर सोशलिस्ट पार्टी के लोगों ने कार्य किया, तो कौन सा कानून तोड़ा जो सरकार ने उन्हें जेल में बन्द कर रखा है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जो कानून लागू होते हैं उनको अगर भंग करते हैं, धारा १४४ कहीं लगी हुई है, उसको तोड़ते हैं, शान्ति और व्यवस्था कायम रखनी है, उसमें खलल डालते हैं, कानून के विरुद्ध जो कार्यवाही करेगा उसके साथ सरकार को कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा।

श्री उग्रसेन--क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जो चाय की दूकान से पकड़ लिये गये और हमारे साथी करुणेश जी दावत में जा रहे थे, रास्ते में पकड़ लिये गये, उन्होंने कौन सा कानून तोड़ा ?

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि यह अदालती बात है। सरकार जवाब नहीं दे सकती।

श्री अब्दुलरऊफ लारी (जिला गोरखपुर)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि दो हजार नौ सौ का जो आंकड़ा है वह किस तारीख तक का है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--१५ अगस्त तक का।

बलिया जिले में अपराधों में वृद्धि

*५५--श्री गंगाप्रसाद सिंह--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बलिया जिले की अपराध स्थिति १९५५ से जुलाई, १९५७ तक प्रत्येक वर्ष में क्या रही है ?

श्री कैलाश प्रकाश--मांगी गई सूचना संलग्न विवरण पत्र में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ १६९ पर।)

श्री गंगाप्रसाद सिंह--१९५५, १९५६ और जुलाई, १९५७ तक आंकड़े देखने के पश्चात ऐसा मालूम होता है कि अपराध की प्रवृत्ति में वृद्धि हो रही है। सरकार कृपया बतायेगी कि इसके क्या कारण हैं और इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए सरकार क्या कोशिश कर रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--यह बात सही है कि बलिया के जो आंकड़े हैं, उनसे यह पता लगता है कि वहां अपराधों में भी वृद्धि हुई है और सरकार ने उसे रोकने के लिये प्रबन्ध भी किया है। और कारण तो बहुत कुछ हो सकते हैं, अब विशेष रूप से कारण बताना मेरे लिये मुमकिन नहीं है।

श्री गंगाप्रसाद सिंह---क्या यह सही है कि बलिया में उत्तरोत्तर निर्धनता के कारण जुर्म ज्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जी हां, यह भी उसमें एक कारण है और दूसरे कुछ डकैतों का दल बलिया में आपरेट कर रहा है, बार्डर की वजह से उनको जरा सहूलियत मिल जाती है हाथ से निकल जाने में, यह भी एक कारण है।

श्री गेंदासिंह---पिछले तीन वर्षों से लगातार अपराधों में वृद्धि हो रही है तो कभी सरकार ने इन वृद्धियों के कारण पर पिछले तीन वर्षों में विचार किया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जी हां, सरकार तो प्रतिक्षण विचार करती रहती है।

श्री गंगाप्रसाद सिंह---क्या यह सही है कि जितनी डकैतियां १९५५-५६ और १९५७ में हुईं इन तमाम में फ़ायर आर्म्स का इस्तेमाल किया गया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---तमाम की बात तो मैं नहीं जानता, लेकिन बहुतों में इस्तेमाल किये गए हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि अपराधों में वृद्धि जो हो रही है उसमें एक मूल कारण यह भी है कि बलिया जिला पिछले लगातार तीन सालों से बाढ़ और सूखे से पीड़ित रहा है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---बलिया पिछले तीन सालों से बाढ़ और सूखे से जितना पीड़ित है, उससे कहीं ज्यादा पीड़ित रहा है इससे पहले जब अपराधों की वृद्धि नहीं हुई। तो इसलिये यह कारण तो अपराधों की वृद्धि का नहीं हो सकता। अब तो वहां के लोगों को पहले से काफी राहत मिल चुकी है।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे---क्या सरकार बतायेगी कि जो जुर्म बढ़े हैं बार्डर एरिया पर तो पड़ोसी प्रान्त, बिहार से इसकी रोकथाम के बारे में सरकार ने कोई बातचीत करके योजना बनायी है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जी हां। इन दोनों प्रदेशों की सरकारों में बातचीत भी हुई है। बड़े-बड़े पुलिस अधिकारियों, सुरक्षा और व्यवस्था से जिनका सम्बन्ध है, ऐसे अधिकारियों का सम्मेलन भी हुआ है और कुछ आगे कदम भी उठाया जा रहा है। आशा की जाती है कि इस वृद्धि को हम शीघ्र ही रोक सकेंगे।

*५६---श्री चन्द्रहास मिश्र (जिला हरदोई)---[४ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किया गया।]

*५७-५९---श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)---[४ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

थाना हाफिजगंज, जिला बरेली के सर्किल में कत्लों की संख्या

*६०---श्री शिवराज बहादुर (जिला बरेली)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनवरी, १९५५ से जून, १९५७ तक थाना हाफिजगंज, जिला बरेली के सर्किल में कितने कत्ल हुए ?

श्री कैलाशप्रकाश---इस अवधि में दो कत्ल हुये।

नोट---तारांकित प्रश्न ६० के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री शिवराज बहादुर---क्या सरकार बतायेगी इसमें से कौन-सा कत्ल दिन में हुआ और कौन-सा रात में हुआ ?

श्री कैलाश प्रकाश---एक हत्या तो रात में हुई और दूसरी पेड़ पर लटका कर हुई। अब यह पता नहीं कि वह दूसरी दिन में हुई या रात में।

श्री शिवराज बहादुर---क्या सरकार बतायेगी कि कितने शख्सों के खिलाफ मुकदमा चलाया गया और कितनों को सजा मिली तथा कितने छूटे ?

श्री कैलाश प्रकाश---इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

स्टेशन आफिसर हाफिजगंज, जिला बरेली का चार्ज लेना

*६१---श्री शिवराजबहादुर---क्या सरकार बतायेगी कि मौजूदा S. O., थाना हाफिजगंज, जिला बरेली ने उपर्युक्त थाने का चार्ज कब लिया था ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---१४-७-५४ को।

ग्राम मैगलगंज, जिला खीरी में खेत काटने तथा मकान जलाने की घटना

*६२---श्री जगदीशनारायण दत्त सिंह (जिला खीरी)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम मैगलगंज, जिला खीरी के एक हरिजन का खेत १७ मार्च, १९५७ को जबरदस्ती कटवा लेने तथा उसका मकान जला देने की कोई घटना हुई है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जी हां। इस प्रकार की एक रिपोर्ट श्री परमई ने की थी, मगर जांच करने पर यह असत्य पाई गई।

*६३---श्री जगदीशनारायण दत्त सिंह---यदि यह सत्य है, तो इस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---श्री परमई के विरुद्ध गलत रिपोर्ट लिखाने के जुर्म में धारा १८२ भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत मुकदमा चलाया गया जो अभी न्यायालय के विचाराधीन है।

*६४-६५---श्री धनुषधारी पांडेय (जिला बस्ती)---[२७ अगस्त, १९५७ के लिये प्रश्न संख्या ८१-८२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

१९५५ से १९५७ तक मुरादाबाद जिले में डकैती, कत्ल तथा राहजनी की वारदातें

*६६---श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)---क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी, १९५५ से जून, १९५७ ई० तक जिला मुरादाबाद में कुल कितनी डकैतियां, कितने कत्ल तथा कितनी राहजनी की वारदातें हुई हैं और यह वारदातें पुलिस स्टेशनों से कितनी-कितनी दूरी पर हुई हैं ?

*६७---क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उक्त वारदातों की सूचना कितने कितने समय बाद पुलिस स्टेशनों पर मिली है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जिला मुरादाबाद में जनवरी, १९५५ से जून, १९५७ तक ३९ डकैती, १०९ कत्ल और ३३ राहजनी की वारदातें हुईं। यह वारदातें पुलिस स्टेशनों से कितनी-कितनी दूर पर हुईं और इनकी सूचना कितने-कितने समय बाद पुलिस को दी गई, इसका विवरण बहुत बड़ा है जो कि देना संभव नहीं।

*६८—श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)—[४ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किया गया।]

*६९-७०—श्री त्रिलोकी सिंह (जिला लखनऊ)—[सदस्य की प्रार्थना पर २८ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

*७१-७३—श्री अब्दुल रऊफ लारी—[४ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

*७४—श्री राजेन्द्रसिंह यादव (जिला फर्रुखाबाद)—[४ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किया गया।]

*७५-७६—श्री मलिखान सिंह (जिला मैनपुरी)—[४ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

*७७—श्री भुवनेशभूषण शर्मा—[४ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किया गया।]

सुरेन्द्रनाथ सेन बालिका विद्यालय डिग्री कालेज, कानपुर को अनुदान न मिलना

*७८—श्री एस० अहमद हसन (जिला कानपुर)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि सुरेन्द्रनाथ सेन बालिका विद्यालय डिग्री कालेज, कानपुर को १९५३ ई० में मान्यता प्राप्त हो जाने पर भी आज तक कोई रेकरिंग ग्राण्ट क्यों नहीं दी गई?

श्री कमलापति त्रिपाठी—किसी डिग्री कालेज को मान्यता प्राप्त होने के कुछ समय बाद ही उसको रेकरिंग ग्रान्ट देने के प्रश्न पर विचार किया जाता है।

*७९—श्री एस० अहमद हसन—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि सुरेन्द्रनाथ सेन बालिका विद्यालय कालेज को यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमेटी, उत्तर प्रदेश ने भवन निर्माण के लिये धन स्वीकार किया था? यदि हां, तो कितना और वह कब दिया गया है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—गत वित्तीय वर्ष में युनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमेटी ने इस कालेज के लिये ४,००० रु० का भवन अनुदान प्रस्तावित किया था। किन्तु कालेज को यह अनुदान नहीं दिया जा सका, क्योंकि कालेज सहायक अनुदान की सूची पर नहीं था।

*८०—श्री भुवनेशभूषण शर्मा—[४ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किया गया।]

अतारांकित प्रश्न

१-३—श्री मोहनलाल वर्मा—[४ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

श्री त्रिलोकीसिंह द्वारा अपने शेष रह गये प्रश्नों को स्थगित करने की प्रार्थना

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)—अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन मैं करना चाहता हूं। मेरे नाम से ६९ और ७० नम्बर के प्रश्न हैं। साधारण तौर पर नियम के अनुसार इसके उत्तर छप जायंगे, लेकिन प्रश्न बड़े महत्व के हैं। यदि माननीय गृहमन्त्री जी को कोई आपत्ति न हो तो मैं यह निवेदन करूंगा रिआयत के तौर पर कि इन्हें जब कभी उनके उत्तर देने का दिन हो उस दिन के लिये स्थगित कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—माननीय गृह मंत्री जी, आपको कोई आपत्ति है?

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यह एक ऐसी प्रथा कायम हो जायगी जो अब तक रही नहीं है।

श्री अध्यक्ष—यदि प्रथा कायम हो जायगी तो कोई गलत प्रथा तो होगी नहीं, अगर आप को कोई आपत्ति नहीं है। मैंने तो इसी लिये आप से पूछा, अगर सब की राय से एक चीज हो जाती है तो प्रथा अच्छी है। अगर आपको आपत्ति हो तो मैं इसको स्वीकार नहीं करूंगा।

श्री कमलापति त्रिपाठी—मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इस बात को मैं कह रहा था कि अगर जो प्रश्न रह जायेंगे वह तमाम यदि दूसरे दिन के लिये ....

श्री अध्यक्ष—जी नहीं, वह यह कहते हैं कि खास तौर पर वह महत्व का है और मैंने उसकी जांच कर के आप से पूछा कि आप बतायें कि आप को कोई आपत्ति है या नहीं। आपने कहा कि नहीं है आपत्ति, तो रख दिया जायगा। एक बात यह भी है कि अगर आध घंटा पहले वह यह प्रार्थना कर देते तो वह तो अपने आप मुल्तवी हो जाता दूसरे दिन के लिए।

श्री त्रिलोकी सिंह—मेरा खयाल था कि आ जायगा।

श्री अध्यक्ष—आपका ख्याल था कि आ जायगा? लेकिन मैं इतना बता देना चाहता हूं कि अगले समय में यह आखीर में जायगा। अगर आप नया नोटिस दें तो वह जल्दी आ सकता है।

श्री त्रिलोकी सिंह—श्रीमन्, मैं यह निवेदन करूं कि इन प्रश्नों को मैंने पहले शार्ट नोटिस क्वेश्चन के तौर पर पूछा था और जैसी संसदीय प्रथा है कि जब कभी नेता विरोधी दल शार्ट नोटिस क्वेश्चन पूछता है तो कोई माननीय मन्त्री यह सहूलियत देने में इनकार नहीं करते। लेकिन यह मेरी बदकिस्मती थी कि इनकार कर दिया गया। तब मैंने उसको आर्डिनरी क्वेश्चन के तौर पर इस सदन के सामने पेश किया।

श्री अध्यक्ष—यह जो आपने प्रथा के बारे में कहा, मैं आपको बताना चाहता हूं, वह बात सही नहीं है, क्योंकि नेता विरोधी दल गल्ती नहीं करेगा ऐसी बात तो नहीं है। वह अगर यह पूछे कि फलां गांव में फलां तारीख को फलां घटना हुई या नहीं और चार रोज लगे उस गांव में जाने के लिए और इसके लिये शार्ट नोटिस क्वेश्चन नेता विरोधी दल पूछे तो यह असम्भव है किसी मन्त्री के लिये कि वह तब शार्ट नोटिस क्वेश्चन मंजूर करे। जैसा कि आपने इसमें पूछा है कि जिला सुल्तानपुर में थाना सुल्तानपुर में एक गांव में १८ जुलाई, १९५७ को पुलिस द्वारा गोली चलाई गई। तो जब इस तरह का प्रश्न पूछा गया तो तत्काल वह जवाब दे ही सकते हैं यह बात मैं नहीं कह सकता हूं। तो यह प्रथा तो नहीं है कि नेता विरोधी दल का अल्पसूचित प्रश्न स्वीकार ही किया जाना चाहिए। लेकिन जहां तक हो सके कोशिश होनी चाहिये यह कि अगर नेता विरोधी दल कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं और सम्भव हो सके तो जितनी मुमकिन हो सके कोशिश कर के उसे स्वीकार कर लेना चाहिये, यह प्रथा अवश्य है।

*श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—अध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में यह कहना चाहता था कि असल में सरकार की तरफ से जो नियम बने हुए हैं कि स्वीकार होने के बाद तीन दिन के भीतर शार्ट नोटिस क्वेश्चन का जवाब आना चाहिए उसका पालन नहीं किया जाता है, तो अगर किसी तरह से जैसा कि माननीय नेता विरोधी दल ने यह प्रश्न

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गेंदासिंह]

किया था और मैं केवल आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि इस वक्त दुनिया में और कम से कम हमारे सूबे में कोई जिला ऐसा नहीं है कि जिस जिले से टेलीफोनिक मेसेज द्वारा यह सूचना न मंगायी जा सकती हो और फिर यह तो गोली चलने वाली बात थी तो ऐसे मामले में जब कि सरकार ने स्वतः उस अधिकार को ले लिया है कि तीन दिन से अधिक वह जवाब देने में लगाती है, तो हमारी तरफ से भी इस रिआयत को स्वीकार कर लेना चाहिए कि हम भी कोई सवाल ऐसा करते हैं तो उस को स्वीकार कर लिया जाय। जब बजाय तीन दिन के बारह-बारह दिन में जवाब दिया जाता है तो इसको भी स्वीकार कर लिया जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—खैर ठीक है, जितनी जल्दी जबाव मन्त्री जी दे सकें, अच्छा है।

श्री त्रिलोकी सिंह—जहां तक इस वाकया का ताल्लुक है यह गांव सुल्तानपुर से तीन मील पर है और पक्की सड़क पर है। सुल्तानपुर में टेलीफोन और वायरलेस भी है।

श्री अध्यक्ष—मेरी समझ में यह प्रश्न उठाने से पहिले अगर किसी बात को सरकार ने नामंजूर कर दिया और मेरा अटेंशन ड्रा कर दिया जाय तो मैं थोड़ी सी मदद कर सकता हूं और उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अब यहां बहस करना निरर्थक है।

श्री कमलापति त्रिपाठी—मैं केवल यह निवेदन करना चाहता था कि माननीय नेता विरोधीदल के प्रश्न पर कोई टाल-मटोल करने की नीति बरती गई, यह कल्पना में नहीं आ सकता। जब नेता विरोधी दल की तरफ से प्रश्न किया जाता है तो हमारी कोशिश यही एक बात होती है कि शीघ्र से शीघ्र उसका उत्तर आदरणीय सदन के सामने उपस्थित करें। लेकिन कहनी है कि विरोधी दल के नेता जी ने यह कहा कि जब नेता विरोधी दल की तरफ से अल्पसूचित तारांकित प्रश्न हो तो वह इन्कार नहीं किया जा सकता। तो ऐसी भी कुछ बात है कि अल्पसूचित तारांकित प्रश्न करने का ९९ फीसदी केवल विरोधी दल के नेता को ही विशेष अधिकार होता है। हमारे इस सदन की व्यवस्था तो यह रही है कि अल्पसूचित तारांकित प्रश्न जो भी विरोधी दल की तरफ से आते हैं स्वीकार किये जाते हैं। अगर कोई ऐसी व्यवस्था विरोधी दल के नेता बना सकें कि उनके दल का कोई व्यक्ति अल्पसूचित तारांकित प्रश्न उपस्थित न करे और केवल विरोधी दल के नेता ही करें तो उसका सामंजस्य बैठ जाय।

श्री अध्यक्ष—ये अगली तारीख तक के लिये मुल्तवी किये गये।

प्रश्नों को स्थगित करने के सम्बन्ध में जानकारी की मांग

श्री मदनगोपाल वैद्य—(जिला फैजाबाद)—आज के जितने प्रश्न थे वे ४-९-५७ के लिये स्थगित किये गये हैं, लेकिन प्रश्न संख्या ३७ व ३८ स्टेट आयुर्वेद कालेज के सम्बन्ध के २०-९-५७ के लिये स्थगित किये गये हैं। नियम ३९ यह कहता है कि स्थगन करने का कारण माननीय मंत्री जी को बतलाना चाहिये। मैं जानना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से कि वे इसका जवाब दे सकते हैं कि १ महीने के लिये इनको क्यों स्थगित किया गया ?

श्री अध्यक्ष—वह तो मेरे दफ्तर का काम है। आप मेरे दफ्तर से पूछ लें कि किस वजह से एक महीने के लिये स्थगित किये गये हैं। इसमें कृषि मंत्री से सम्बन्धित ७वें शुक्रवार के लिये प्रश्न संख्या ६ व ७ के अन्तर्गत इन्हें स्थानान्तरित किया गया है। पहले ये शिक्षा मंत्री के पास थे और वहां से कृषि मंत्री के पास गये। इसलिये मुमकिन है कि इतना समय लगा हो।

गोरखपुर जिले के डोमाखंड व खेखड़ा क्षेत्र में बाढ़ से क्षति के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—मेरे पास श्री मदन पांडेय जी का एक कामरोको प्रस्ताव आया है जो इस प्रकार है "गोरखपुर जिले के उत्तर-पूर्वीय हिस्से में निर्मित नारायण नहर छितौनी बन्ध और नारायणी नदी से निकलने वाले धोबहा नाले को अवरुद्ध करने वाले बन्ध निर्माण योजना के निर्माताओं एवं संचालकों की अदूरदर्शिता, नातजुर्बेकारी तथा हठधर्मी के कारण गत ४ अगस्त से १५ अगस्त तक महाराजगंज तहसील के उत्तरी भाग में नारायणी के बाढ़ के पानी से धोबहा नाला छोटी गंडक और रोहणी की सहायक नदियों के जल प्लावन के कारण ....." यह बड़ा आर्ग्युमेंटेटिव सा है, बहुत से कारण दिये हुए हैं अतएव कारणों को छोड़ता हूं। उनका कहना है कि इसकी वजह से ढाई लाख मन से ऊपर गन्ना और २ लाख मन से अधिक धान की फसल जलमग्न हो गई और लगभग १७० गांव जलमग्न हो गये। उपरोक्त कारण अभी भी विद्यमान हैं और यदि पानी नारायणी नदी में और बढ़ा तो अपरिमित हानि की संभावना है। मैं जानना चाहूंगा और माननीय मंत्री जी बतलायें कि क्या परिस्थिति है?

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री राममूर्ति)—अध्यक्ष महोदय, वैसे तो इस कामरोको प्रस्ताव की सूचना बड़ी लेट मिली, लेकिन चूंकि बाढ़ संबंधित लगभग थोड़े-थोड़े दिनों के बाद रिपोर्टें आती रहती हैं, उनके आधार पर मैं कुछ अर्ज किया चाहता हूं।

६ अगस्त की रात में छोटी गंडक और उसके समीप के जो नाले थे—ये बिलकुल नैपाल के बार्डर से मिले हुए हैं—उनमें पानी बहुत बढ़ गया और चूंकि रात को बाढ़ बहुत बढ़ गयी तो हमारा एक छोटा सा बन्ध बना हुआ है जो नारायणी कैनाल की रक्षा के लिए है, वह टूट गया और बहुत पानी नारायणी कैनाल में आ गया और जितनी उसकी कैपेसिटी थी, उससे ज्यादा पानी बढ़ जाने से एक गांव में जिसका नाम परतावल है, नहर का पुश्ता टूट गया, जिसकी वजह से वहां नहर का पानी भर गया। गोरखपुर में जो सिंचाई विभाग के अफसरान और कर्मचारी थे और मैजिस्ट्रेट वगैरह थे सब वहां पर पहुंचे और यह कोशिश की कि ज्यादा से ज्यादा मदद पहुंचाई जाय। करीब १०,००० रुपया ग्रेटुइटस रिलीफ में बांटा गया। बाढ़ समाप्त हो गयी। मैं आगे नहीं जानता कि बाढ़ आगे आयेगी या नहीं। मुहकमे के लोग सचेत हैं और जो भी जरूरत पड़ेगी वह किया जायगा। विस्तार में मेरे पास कोई रिपोर्ट नहीं है। जो मेरे पास वक्तन-फवक्तन रिपोर्टें आती रहती हैं उनके मुताबिक मैंने यह आपके सामने अर्ज कर दिया।

श्री अध्यक्ष—इस पर वक्तव्य तो कुछ नहीं दिया गया। इसके मुताल्लिक आपको कोई सुझाव देने हों तो उस रोज दे दीजियेगा।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)—मैं एक बात जरूर पूछना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी इस पर भी प्रकाश डालेंगे कि धोबहा नाले में जो बन्ध बनाया गया है नारायणी नहर की रक्षा के लिए, उसके कारण इस तरह की स्थिति पैदा हो गयी है, कि डोमखंड भर में पानी भर गया?

श्री राममूर्ति—मान्यवर, मैंने अर्ज किया कि विस्तार पूर्वक मेरे पास कोई रिपोर्ट नहीं है। हर एक नाले और जितने छोटे-छोटे दरिया बह रहे हैं उनके बारे में रिपोर्ट नहीं है, लेकिन मैंने आम तरीके की बात आपके सामने पेश कर दी और यह भी सदन को विदित है कि पूर्वी जिलों में बाढ़ बहुत आती है और बड़ी गंडक, छोटी गंडक, राप्ती, घाघरा, इतनी बड़ी हैं कि इनको रोकना कोई आसान काम नहीं है। इसलिए हमारे पास जो कोशिश करने की बात थी वह हमने की। यदि माननीय सदस्य कोई और बात बतलावें जो हमारे करने की चीज हो तो हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं, तरीका यह है कि अगर जानकारी हासिल करनी है तो अल्प सूचित तारांकित प्रश्न कर देना चाहिये और उसके बाद भी अगर आवश्यकता हो तो आधा घंटे का समय बहस की जरूरत हो तो उसके लिए मैं दे सकता हूं, लेकिन काम-रोको प्रस्ताव के लिए नहीं क्योंकि उससे अनुदानों के विचार करने में बाधा पड़ती है। ५ बजे के बाद मैं समय दे सकता हूं, अगर शार्ट नोटिस क्वेश्चन इस विषय में भेज दिया करें, जो बाढ़ का विषय है। एक रोज मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि वह बाढ़ सम्बन्धी प्रश्न पर विवाद के लिये देंगे, तब तक अगर गुंजायश हो तो प्रश्न पूछने की भी जरूरत नहीं है।

जौरा बाजार, तहसील पडरौना में अभिकथित भुखमरी से मृत्यु के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष---"राज्य के पूर्वी जिलों की खाद्य स्थिति 'फूड डिबेट' के बाद इतनी भयावह हो गयी है कि लाखों व्यक्ति अखाद्य वस्तुओं को खाकर अपना जीवन बचाने में भी असमर्थ हैं और भूख से मृत्यु हो रही है। देवरिया जिले के ग्राम जौरा बाजार, तहसील पडरौना के श्री किसुन सुनार की मृत्यु जो गत १४-८-५७ को हुई है, वह एक ज्वलंत उदाहरण है। ग्राम सभा द्वारा सहायता करने और सरकारी अधिकारियों को समय से सूचना देने के बाद भी उसे बचाया न जा सका। ऐसी विषम परिस्थिति में इस निश्चित और सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर विचार करने के लिए सदन आज अपना कार्य स्थगित करता है।"

यह श्री रामायणराय जी का है। इस विषय में उन्होंने एक पत्र भी लिखा है जिसम कहा है कि उन्हों ने जाकर खुद जांच की है। तो मैं अन्न मंत्री जी से पूछूंगा कि उनको कोई सूचना इस विषय में है ?

न्याय मंत्री (श्री सैयद अलीजहीर)---अध्यक्ष महोदय, अब तक कोई ४-५ ऐडजर्नमेंट मोशंस इस किस्म के आ चुके हैं। इसमें, सब में मने दरियाफ्त किया तो मालूम हुआ कि मरने के कारण और थे। यह तो मुझे अभी मिला है, घंटा भर हुआ। इसकी इत्तला अभी नहीं आई। अगर आप हुक्म देंगे तो मैं इत्तला हासिल करके दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष---आप इत्तिला हासिल कर लें, लेकिन इस काम रोको प्रस्ताव को मैं मंजूर नहीं कर रहा हूं, क्योंकि एक मृत्यु कहीं हुई तो उसके कारण विषम परिस्थिति प्रांत भर में हो, ऐसा विवाद नहीं उठ सकता है। लेकिन उनको जानकारी मिलनी चाहिये यदि एक भी आदमी भूख से मरा हो, क्योंकि गवर्नमेंट का दावा है कि भुखमरी से एक भी आदमी को वह नहीं मरने दगी। इसलिये यह सवाल उठता है, अगर यह दावा नहीं होता तो नहीं उठता।

श्री सैयद अलीजहीर---मुश्किल यह है कि मृत्यु होती रहेंगी और हर मृत्यु को यदि भुखमरी से जोड़ दिया गया तो बड़ी मुश्किल होगी।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि यह ठीक नहीं है। कोई माननीय सदस्य जान बूझ कर ऐसा नहीं करेगा। आप सही इत्तला दे दें तो ठीक होगा।

श्री रामायण राय (जिला देवरिया)---अध्यक्ष महोदय, मैं स्वयं इस गांव में गया था और इसके मरने के पूर्व अखबारों में यह सूचना प्रकाशित हुई थी कि इसकी आर्थिक स्थिति चिन्तनीय है और यह मरने वाला है, लेकिन सरकार ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। क्या सदन के एक सदस्य के बयान के बाद भी उनको शक रहता है ? मैंने जो कागजात भेजे हैं.....

श्री अध्यक्ष--यह तो आप बहस शुरू कर रहे हैं। आदरणीय सदस्य जो बात कहते हैं, मैं तो खुद उनकी प्रतिष्ठा के लिये प्रयत्न करता हूं और मैंने स्पष्ट कहा है कि कोई माननीय सदस्य जानबूझ कर ऐसा नहीं करेगा। लेकिन जानकारी हासिल करने के जो मार्ग माननीय सदस्यों के हैं उनके अलावा उनको दूसरी तरफ की क्या राय है, अफसरान क्या कहते हैं, इसकी जानकारी का उन्हें मौका नहीं मिलता है। एक कारण तो यह हो सकता है कि वह शायद जवाब न देते हों, अगर वह अफसरान से पूछना चाहें तो यह दिक्कत हो सकती है। ऐसी अवस्था में दोनों तरफ की मालूमात आ जानी चाहिये। फिर उसके ऊपर सदन विचार कर सकता है।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)--माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी अन्न मंत्री जी ने जवाब देते हुये एक बात कही उससे मैं समझता हूं कि हम लोग इस प्रश्न पर विचार कर सकते हैं, अब सरकारी रिपोर्ट क्या आना बाकी है। उन्होंने यह कह दिया कि हर मृत्यु को भुखमरी से जोड़ दिया जाता है और यह उस समय कहा जब इस प्रश्न को उनकी जांच के लिये विचाराधीन रखा था। ऐसी हालत में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अब कोई रिपोर्ट आना बाकी नहीं है। अगर आयेगी तो अध्यक्ष महोदय, क्या आयेगी? क्या वह हमें सत्य साबित करेगी?

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि ज्यादती का जवाब ज्यादती से नहीं होता है। यह आप ज्यादती कर रहे हैं। उनको गलती हुई तो मैंने स्पष्ट कह दिया कि कोई माननीय सदस्य इस तरह से जान बूझ कर नहीं करेगा।

श्री सैयद अलीजहीर--अध्यक्ष महोदय, मैंने यह इस बुनियाद पर कहा कि इस वक्त तक आपके सामने कई इल्जामात आ चुके हैं। हमने हर एक में जांच कराई तो मालूम हुआ कि लोग अच्छी हालत में हैं और जायदाद वाले हैं, फिर भी कह दिया गया कि मौत भुखमरी से हुई मैं जांच करवा लूंगा और हम जिम्मेदारी लेते हैं लेकिन माननीय सदस्य कम से कम ऐसा न कहें जैसा कि अब तक कहते रहे हैं और हर मौत को जो कहीं भी हो उसको भुखमरी से जोड़ देते हैं, वह ठीक नहीं है।

श्री अध्यक्ष--आप मेरी बात सुन लें। यह आपका जो ऐक्सप्रेशन है, इसमें आप देख लें कि जिन माननीय सदस्य ने प्रश्न किया है उन्होंने ये सब सवाल नहीं पैदा किये थे। किसी ने पहिले अगर गलती की हो उसकी वजह से अगर आप ऐसी बात कहें तो जिन्होंने अभी प्रश्न किया है और जिसकी आप तहकीकात कराने जा रहे हैं उनको जरा बुरा जरूर लगेगा क्योंकि इसके माने तो यह हो गये कि जो भी माननीय सदस्य ऐसा प्रश्न उठायेंगे वे सब गलत ही उठायेंगे। इसलिये मैंने कहा कि माननीय सदस्य जानबूझ कर ऐसा नहीं करेंगे। तहकीकात में गलतफहमी हो सकती है, हर माननीय सदस्य एक सा होशियार नहीं होता है। इस वास्ते मैं समझता हूं कि इसकी जांच होनी चाहिये।

श्री गेंदासिंह--मैं तो अब व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं कि माननीय अन्न मंत्री ने कहा कि माननीय सदस्य हर एक मौत को भुखमरी से जोड़ देते हैं। मैं समझता हूं यह गलत है।

श्री अध्यक्ष--यह गलत तो है ही और मैंने उस कथन को उचित नहीं समझा।

श्री गेंदासिंह--उन्होंने यह कहा कि हर मौत को माननीय सदस्य भुखमरी से जोड़ देते हैं।

श्री अध्यक्ष--जिसने जोड़ा हो उसके बारे में तो ठीक है लेकिन हर एक सदस्य के लिये वे नहीं कह सकते।

माल मंत्री (श्री चरणसिंह)—मैं आपसे व्यवस्था चाहता था कि अगर किसी माननीय सदस्य ने कम से कम तीन बार इलजाम लगाया हो भुखमरी का और वह तीनों बार गलत साबित हो चुका हो बहुत तहकीकात के बाद, तो फिर आपकी क्या व्यवस्था होगी अगर चौथी बार वे कहें ? फिर तो आपको उनसे काफी सबूत लेना चाहिये पेश्तर इसके कि आप गवर्नमेंट से यह कहें कि इत्तला मंगाये ।

श्री अध्यक्ष—मैं तो सदन के नियम के अनुसार ही चलूंगा । अगर कोई काम रोको प्रस्ताव यहां आ जाय तो मैं किसी भी सदस्य को यह मान कर नहीं चलता हूं, कि सौ दफा अगर वह गलती कर चुका हो तो १०१ वीं दफा भी गलती करेगा । वह एक दफा सही बात भी तो कर सकता है । इस सदन का तरीका ही यह है कि यह मान कर चलना चाहिये कि जिस वक्त कोई माननीय सदस्य कोई बात कहते हैं तो वह सच समझ कर कहते हैं । यह मान कर चलने में ही सदन में बहस अच्छी हो सकती है । अगर यह चीज न हुई और यह कहा जाय कि अमुक सदस्य ने कल भी गलती की और आज भी गलत बात कह रहे हैं इस कारण जानबूझ कर कह रहे हैं तो फिर सदन का काम नहीं चल सकता ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां दोनों तरफ से व्यवस्था का सवाल उठाया गया है । एक व्यवस्था का सवाल मैं भी उठाना चाहता हूं और वह यह है कि अगर सरकार की तरफ तीन मर्तबा से ज्यादा गलत बयानियां की गयीं हों और ऐसी गलत बयानियां की गयी हों कि एक मिनिस्टर ने कुछ कहा हो और दूसरे ने उसको काट दिया हो तो हमें सरकार के ऊपर इत्मिनान करना चाहिये या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—मैंने तो हर एक सदस्य के लिये कह दिया । हर एक सदस्य के लिये जो कानून लागू है वही सरकार के लिये भी लागू है । हमें तो यह मान कर चलना है कि सरकार जो जवाब दे रही है वह सही दे रही है और अगर आपने उसे गलत साबित कर दिया तभी वह गलत हो जायगा ।

श्री अब्दुलरऊफ लारी (जिला गोरखपुर)—श्रीमन्, इस सम्बन्ध में मैं यह सुझाव पेश करना चाहता हूं कि ५ आदमियों का एक कमीशन भेज कर सभी काम रोको प्रस्तावों की जांच करा ली जाय । एक कानूनगो की रिपोर्ट को इतना मजबूत बताया जा रहा है, यह मेरे खयाल से इस सदन के माननीय सदस्यों का बहुत बड़ा अपमान है । जहां तक मेरी जानकारी है, मैंने जो भुखमरी की रिपोर्ट दी थी उसमें सभापति और कम से कम गांव के २०० आदमी और लेखपाल के भी दस्तखत मौजूद हैं लेकिन सिर्फ कानूनगो से जांच करा कर वह गलत करार दे दी गयी ।

श्री अध्यक्ष—यह तरीका यहां का नहीं है । आपको कमीशन के लिये प्रस्ताव लाना पड़ेगा और जब वह बैलट होकर सदन में आ जायगा और पास हो जायेगा तो कमीशन भी बन जायगा, लेकिन यह तरीका नहीं है कि कामरोको प्रस्ताव द्वारा कमीशन बैठाया जाय ।

बलिया जिले में सुरेमनपुर स्टेशन के पास घाघरा नदी के कटाव से उत्पन्न परिस्थिति पर विचारार्थ कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—अब एक काम रोको प्रस्ताव श्री गौरी शंकर राय का इस प्रकार है—

"बलिया जिले के सुरेमनपुर स्टेशन के पास प्रायः एक मील की लम्बान में घाघरा नदी के भयंकर कटान ने रेलवे के नवनिर्मित बांध को काट कर आगे द्वाबा परगने की भूमि को तेजी से काटना प्रारम्भ कर दिया है । तेज कटान के कारण घाघरा और गंगा का संगम द्वाबा में शीघ्र ही बन जाना निश्चित हो गया है । जिसके फलस्वरूप लाखों व्यक्तियों के बेघर-बार होने और करोड़ों रुपये की क्षति की पूर्ण सम्भावना हो गई है । जिलाधिकारियों,

समाचार-पत्रों एवं अन्य समाज सेवियों के बार-बार निवेदन करने के बावजूद भी उत्तर प्रदेशीय सरकार के ध्यान न देने के कारण विषम परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। अतः ऐसी संकटापन्न एवं विषम स्थिति पर तत्काल विचारार्थ सदन अपना आज का कार्य स्थगित करता है।" यह तो एक दफा पहले भी आ चुका है और माननीय उपमंत्री जो बलिया के हैं उन्होंने जवाब भी दे दिया था।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बांध के कट जाने से एक नयी परिस्थिति पैदा हुई है। माननीय मंत्री जी ने उस दिन कहा था कि उसके कटने से खतरा नहीं है, लेकिन कल के नेशनल हेराल्ड में माननीय मंत्री महोदय ने स्वयं एक बयान दिया है कि उससे खतरा है। लेकिन इसके बावजूद भी सरकार की ओर से कोई प्रयास नहीं हो रहा है और न कोई ध्यान ही दिया जा रहा है। ऐसी स्थिति में मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री महोदय को आप उचित आदेश दें।

श्री अध्यक्ष—जहां तक मुझे पता है यह रेलवे का बांध है। उन्होंने कहा था कि उससे खतरा नहीं है लेकिन अगर खतरा भी हो तो यह सरकार क्या करे? अगर उनकी राय में अब उससे खतरा भी हो तो उससे उनकी जिम्मेदारी कैसे आती है?

श्री गौरीशंकर राय—अध्यक्ष महोदय, वह रेलवे का बांध तो टूट गया ही है उसकी वजह से बलिया जिले का दोआबा परगना पूरी तरह से कट रहा है और काफी जमीन कट रही है। उसकी सीरियसनेस से रेलवे का सम्बन्ध नहीं है। अब जमीन हमारी कट रही है।

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)—मेरी गुजारिश, श्रीमन्, यह है कि रेलवे का बांध कटा इससे किसी को शिकायत नहीं है, नदियों के बढ़ने से कटा इससे भी किसी को शिकायत नहीं, लेकिन उसके कटने के बाद जो बरबादी हुई उसमें सहूलियत और राहत पहुंचाने की जिम्मेदारी प्रदेशीय सरकार की है और वह समस्या इसमें उठाई गई है। बांध कट गया, चाहे सेन्ट्रल गवर्नमेंट का हो चाहे प्राविंशियल गवर्नमेंट का उस से किसी को शिकायत नहीं हो सकती, लेकिन जो राहत पहुंचाने की जिम्मेदारी सरकार की है उस पर विचार करने के लिये यह प्रस्ताव है।

माल मंत्री (श्री चरणसिंह)—अध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि माननीय गौरीशंकर राय जी का जो एडजर्नमेंट मोशन है, उसमें भी बांध के कटने की सम्भावना का जिक्र है। शायद माननीय विरोधी दल के नेता ने उसको पढ़ने का कष्ट नहीं किया।

श्री त्रिलोकी सिंह—मैंने उसको पढ़ा है।

श्री चरणसिंह—उसमें टूट गया नहीं है, बल्कि टूटने की संभावना है। स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी जिससे बैठ जाय, इसलिये कह दिया कि कट गया और बरबादी हो चुकी।

श्री गौरीशंकर राय—जी नहीं। वह कट चुका है।

श्री चरण सिंह—आज सबेरे १० बजे तक तो कटा नहीं था, क्योंकि आप ने खुद ही लिखा है कि उसके कटने की सम्भावना है। लेकिन वाकया यह है कि वहां रेलवे डिपार्टमेंट की तरफ से एक बांध सेन्ट्रल गवर्नमेंट का था। फिर रेलवे डिपार्टमेंट ने एक दूसरा सपोर्टिंग बांध उसके लिये बनाया।

श्री अध्यक्ष—आप जरा मोशन को फिर से पढ़िये। उसमें है कि :—

"बलिया जिले के सुरेमनपुर स्टेशन के पास प्रायः एक मील की लम्बान में घाघरा नदी के भंयकर कटान ने रेलवे के नवनिर्मित बांध को काटकर आगे दोआबा परगने की भूमि को तेजी से काटना प्रारम्भ कर दिया है। तेज कटान के

[श्री अध्यक्ष]

कारण घाघरा और गंगा का संगम द्वाबा में शीघ्र ही बन जाना निश्चित हो गया है। जिसके फलस्वरूप लाखों व्यक्तियों के बेघर-बार होने और करोड़ों रुपये की क्षति की पूर्ण सम्भावना है....."

श्री चरणसिंह--"सम्भावना है" कहा गया है।

श्री अध्यक्ष--"क्षति की सम्भावना है" कहा गया है "कटने की सम्भावना" नहीं कहा गया है। कटाव तो हो चुका है।

श्री चरण सिंह--जी नहीं, उनका कटना आरम्भ हो गया है और क्षति की सम्भावना है।

श्री अध्यक्ष--काटना तो प्रारम्भ कर दिया है द्वाबा परगने की भूमि को, लेकिन बांध कट चुका है। इसमें स्पष्ट है कि बांध तो कट गया और जमीन का कटना प्रारम्भ हो गया है। बांध के कटने के प्रारम्भ के बारे में उन्होंने नहीं लिखा।

*श्री चरणसिंह--तो भूमि कटान आरम्भ हो गया और संभावना नुकसान की हो गई। खैर, जो कुछ हो, संभावना हुई हो या न हुई हो, लेकिन मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि जितनी रंगामेजी से काम लिया जा रहा है वह अभी नहीं है। दो बांध थे गवर्नमेंट आफ इंडिया के, पहला कट चुका, दूसरे में कटाव शुरू हो गया और दूसरे बांध के भी कट जाने की आशंका है इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अभी वह बांध पूरी तरह कटा नहीं है और जो मैंने अपने कर्मचारियों से मालूम किया वह यह कि वह लोग वहां एक रिंग, बांध बनाना चाह रहे हैं। हमने उनको इजाजत दे दी बिला लिहाज किये कि कितना खर्च होगा एक दूसरा बांध वहां जल्दी से जल्दी बनाया जाय। वहां रेलवे के इंजीनियर, हमारे इंजीनियर और डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू स्टाफ मौके पर लगा हुआ है और जहां तक ह्यूमनली पासिबिल है वह काम कर रहे हैं। लेकिन जैसा आपने फरमाया, उसमें जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की नहीं होती है। दोनों बांध सेन्ट्रल गवर्नमेंट के थे, और यह कि जो हमारे गांवों का नुकसान होने की आशंका है उस के लिये हम तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा इसमें पूरे द्वाबे का सवाल भी नहीं उठता है। डिप्टी मिनिस्टर साहब वहां गये थे, उनकी इन्फार्मेशन है कि कुल दो मील चौड़े और पांच मील लम्बे इलाके की फसल के नुक्सान होने का अंदेशा है, अगर हमारा रिंग बांध वक्त पर नहीं बन पाया तो।

श्री गौरीशंकर राय--आप की आज्ञा से मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान अखबार के उस वक्तव्य की ओर दिलाता हूं, कि जिसमें जिक्र है कि पूरे द्वाबे को खतरा है, उन्होंने ही कहा है। और दूसरे बांध की बाबत, जैसा कि वह कहते हैं कि वह कटा नहीं है, उसके लिये मैं कहता हूं कि वह कट गया है, रेल की लाइन उस पर लटक रही है। डिप्टी मिनिस्टर साहब मौजूद हैं, उनसे पूछ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष--माननीय उपमंत्री महोदय, क्या आप स्वीकार करते हैं कि ऐसा है ?

माल उपमंत्री (श्री परमात्मानन्द सिंह)--मैंने अखबार के उस वक्तव्य को देखा नहीं कि क्या छपा है लेकिन उम्मीद है कि सही छपा होगा। मैं परसों वहां गया था, देख आया हूं। वहां दो प्रश्न हैं--एक तो जमीन के कटान का प्रश्न है और दूसरा है वहां सैलाब आने का। यह दो प्रश्न प्रथक रूप में हमें देखना है। कटने के प्रश्न में हमारी केन्द्रीय सरकार का बहुत बड़ा इंटरेस्ट है क्योंकि रेल की लाइन वहां मौजूद है और थोड़ी ही दूर पर आगे एक बहुत बड़ा पुल रेल का बना हुआ है। अगर उस कटान को रेलवे रोकने की

कोशिश न करेगी तो वह बड़ा पुल भी बेकार हो जायगा, मुमकिन है कि कटान चल कर आगे चला जाय। तो इस लिये रेल मुहकमा पूरी कोशिश कर रहा है। उस के इंजीनियर्स से ज्ञात हुआ कि कटान को रोकने के लिये २०,००० या २५,००० रुपये रोज के हिसाब से खर्च कर रहे हैं। कटान तेज भी हो सकता है और धीमा भी, फिलहाल वह बहुत तेज नहीं है लेकिन उसका खतरा हो सकता है। लेकिन रेलवे की तरफ से इसका पूरा इंतजाम किया जा रहा है और ऐसी सूरत में यह सवाल नहीं पैदा होता है कि उसके लिये यू० पी० की सरकार भी रुपया खर्च करे। केन्द्रीय सरकार उसको रोकने की पूरी कोशिश कर रही है और ऐसी सूरत में हमें कुछ करने को है यह मेरी समझ में नहीं आता अगर माननीय सदस्य की समझ में आता हो तो बात दूसरी है।

दूसरा सवाल फ्लड के बारे में है। इस वक्त जो रेलवे लाइन चल रही थी उसके अलावा उनकी एक सप्लीमेंटरी लाइन भी बनी हुई थी। चन्द साल पहले यह खयाल था कि अगर कटान होगा तो वह दूसरी लाइन से गाड़ियां चला लेंगे। पहली लाइन एक जगह पर कटान से नष्ट हो गई तो रेलवे डिपार्टमेंट ने जो सप्लीमेंटरी बांध था, उस पर अपनी लाइन बिछा कर रेलवे चलाना शुरू किया। मगर यह कटान कुछ और आगे बढ़ा और जब दूसरे सप्लीमेंटरी बांध पर जो उनकी लाइन बनी थी उस पर एक जगह पर वह बांध कुछ कट गया। जिसकी वजह से वह लाइन भी बेकार हो गई है। अब हमारे सामने दूसरा प्रश्न पैदा हुआ। यह रेलवे के बांध जो हैं वे फ्लड से बचाया करते थे, कटान को बचाने का काम उन बांधों का नहीं था। इस बांध के कटने से यह खतरा है कि पानी जब ऊपर बढ़ जायगा तो जो वहां पर फसल है उसको नुक्सान हो जायगा और कुछ गांवों के चारों तरफ पानी भर जायगा जिस की वजह से लोगों को तकलीफ हो सकती है। मैं वहां मौके पर गया था और मैंने वहां कलेक्टर साहब की मारफत इर्रीगेशन के इंजीनियर को यह संदेशा दिया कि वे मौके पर जांच करें और ऐसी कोशिश करें जिससे लोगों की फसल बच जाय। इस प्रबन्ध में खर्चा इर्रीगेशन डिपार्टमेंट न दे तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से दिया जायगा। हमारे मिनिस्टर साहब ने बताया कि उन्होंने खर्च देना मंजूर किया है कि एक रिंग बांध बनाया जाय जिससे लोगों की फसल को नुकसान न हो और लोगों के घरों में पानी न जाय। यह फौरन कार्यवाही वहां पर हो रही है।

कटान के विषय में जैसा मैंने अर्ज किया वह दूसरा प्रश्न है। उसको रेलवे डिपार्डमेंट डील कर रहा है।

श्री गौरीशंकर राय—मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता था कि वहां पर रेलवे ने जो दूसरा बांध बनाया था वह टूट गया या नहीं ? और दूसरी बात यह है कि उससे दोआबा को खतरा पैदा हो गया है या नहीं? माननीय उप मंत्री जी ने इस सम्बन्ध में कोई चर्चा नहीं की।

श्री अध्यक्ष—मैं काम रोको प्रस्ताव की दृष्टि से इसको देखूंगा कि आप क्या चीज जानना चाहते हैं ? अखबार में क्या लिखा है, सही छपा या गलत छपा है, इस दृष्टि से मैं प्रश्न को नहीं देखूंगा।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)—श्रीमन्, मेरा यह सुझाव है कि अभी कल ही अल्मोड़ा के बारे में जो प्रश्न खड़ा हुआ था काम रोको प्रस्ताव के आधार पर आपने यह आज्ञा दी थी कि इसके लिये समय निर्धारित किया जायगा। मैं समझता हूं वैसा ही यह प्रश्न भी है कि वहां पर कटान जारी है। इसके बारे में बहुत से मत हैं। तो क्यों न इस प्रश्न को भी जोड़ दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—मैंने थोड़ा सा प्रकाश उस पर भी डलवाया था। इसीलिये इस पर भी चाहता था कि कुछ प्रकाश पड़ जाय तो पता चले कि क्या परिस्थिति है, जिससे बहस के रोज के लिये आसानी पैदा हो जाय।

श्री गौरीशंकर राय—वहां पर श्रीमन्, स्थिति रोज बिगड़ती चली जा रही है।

श्री अध्यक्ष—अभी उपमंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया है उससे यह मालूम होता है कि बांध के लिये उन्होंने आर्डर दिया है। वह बन रहा है और प्रबन्ध किया जा रहा है। एक रोज में वह बांध तैयार नहीं हो जायगा। यह मालूम हुआ कि उन्होंने कार्यवाही की। यह कहना निश्चत नहीं है कि उन्होंने कार्यवाही नहीं की।

सांडी नोटिफाइड एरिया, जिला हरदोई में सरकारी भ्रष्टाचार के विषय में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—एक कामरोको प्रस्ताव श्री बजरंगबिहारी लाल जी का है जिसमें वह "साण्डी नोटीफाइड एरिया जिला हरदोई में सरकारी भ्रष्टाचार के खिलाफ अधिकारियों द्वारा जनता की मांगों पर ध्यान न दिये जाने के विरोध स्वरूप सोशलिस्ट पार्टी के सदस्यों द्वारा १५ अगस्त से आमरण अनशन" किये जाने की बात कहते हैं। यह एक स्थानीय मामला है। किसके खिलाफ यह चीज हुई है यह कहीं भी इसके बारे में नहीं दिया है। यदि सरकार से इसके विषय में कहा गया था तो उसने क्या कार्यवाही नहीं की या कोई सुनवाई नही की इसका भी इसमें चर्चा नहीं है और न इस तरह की इसके साथ कोई बात लिखी है। इसलिये मैं इसको अनिश्चित समझकर अनुमति नहीं देता हूं।

भावी कार्यक्रम के सम्बन्ध में सूचना

वित्तमंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)—जनाबवाला, मैं आपकी इजाजत से हाउस को कुछ इत्तला देना चाहता हूं कि आगे क्या होगा। तजवीज यह है कि यह सदन १८ सितम्बर तक बैठे जिसमें ६ सितम्बर को फ्लड पर बहस हो और इसी बीच में एक दिन जो नानआफिशियल बिजनेस का ले लिया गया था वह भी दिया जाय। दूसरी बात यह है कि जो बिल्स आने वाले हैं उनकी फेहरिस्त जरा ठहर कर दे दी जायगी।

एक दरख्वास्त हाउस से यह और की जाने वाली है कि साहित्य सम्मेलन बिल क्योंकि आर्डिनेन्स की बिना पर आया है, उसकी मियाद इस महीने की २९ तारीख को गुजरने वाली है उसके बारे में यह दरख्वास्त आने वाली है कि २९ तारीख से पहले किसी दिन, बजट पर बहस के बाद, उस पर गौर कर लिया जाय।

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)—सरकार की ओर से चीफ व्हिप द्वारा हमें यह सूचना मिली थी कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन बिल को २४ से २६ तारीख तक किसी दिन अधिक बैठ कर ले लिया जाय। मैंने यह निवेदन कर दिया था कि विरोधीदलों में सलाह करके २४–२६ तारीख तक अथवा २९ से पूर्व उसको पारित कर लिया जायगा।

श्री अध्यक्ष—आपने सूचना दे दी थी, उन्होंने भी अपनी मंशा बतला दी। अब जो तय होगा उसी हिसाब से कार्यवाही हो जायगी।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि अल्मोड़ा जिले के गांवों के बह जाने के बारे में आप ने कृपा कर और माननीय मुख्य मंत्री जी ने कृपा कर कुछ समय देने का वचन दिया है। इस सिलसिले में मैं आपका ध्यान दिला दूं कि अल्मोड़ा में शीघ्र लोक सभा का उप-चुनाव होने वाला है। जिसमें, चाहे इधर के बैठने वाले हों या उधर के बैठने वाले हों, जो भी सदस्य अल्मोड़ा जिले के हैं, वे भाग लेंगे। इसलिये मैं मशकूर हूंगा अगर किसी दिन इधर ही ५ बजे के बाद बैठ कर आधा घंटा बहस हो जाय तो बड़ी कृपा होगी।

श्री अध्यक्ष—चुनाव कब होंगे ?

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—२६ व २९ तारीख को होंगे।

श्री अध्यक्ष—अभी काफी दिन हैं। फिर भी माननीय मंत्री जी और विरोधी दल के नेतागण इस पर विचार कर लेंगे। जो भी सहूलियत इस विषय में हो सकेगी उस पर विचार कर लेंगे।

(इस समय १२ बज कर ४५ मिनट पर श्री अध्यक्ष चले गये और उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी पीठासीन हुये।)

१९५७–५८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या २६—लेखा शीर्षक: ४२—सहकारिता

*सहकारिता मंत्री (श्री मोहनलाल गौतम)—उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से और गवर्नर महोदय की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २६—सहकारिता के आधार पर ऋण—लेखा शीर्षक ४२—सहकारिता के अन्तर्गत १,५५,७९,३०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५७–५८ के लिये स्वीकार की जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, यह एक करोड़ पचपन लाख के करीब की जो मांग है उसमें ३१,६१,३०० रुपया केंद्रीय सरकार से मिल जायगा, दूसरी कुछ और आय होगी और कुल आमदनी ३८,७५,५०० रुपया हो जायगी। इस तरह से जो कुल खर्चा होगा वह १,१७,०३,८०० रुपया होगा। श्रीमन्, इस मांग को पेश करते हुये सबसे पहले तो मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि अगर इसको विस्तार में देखा जाय तो जो इस बजट के लिटरेचर में है उसमें दो चीजें आपको मुख्य दिखायी देंगी। एक स्टाफ की तनख्वाह है और दूसरी ग्रांट इन एड, और उसमें कुछ दिखाई देता नहीं। इसलिये बाहर के लोगों को जिन्होंने बजट लिटरेचर को अच्छी तरह से नहीं पढ़ा है, जिन्होंने फर्स्ट फाइव ईयर प्लान और सेकेंड फाइव इयर प्लान को नहीं पढ़ा है, जिन्होंने इस डिपार्टमेंट की एनुअल रिपोर्ट को नहीं पढ़ा है, उनके सामने एक यह सवाल आता है कि इस मुहकमे में सिवा स्टाफ बढ़ाने के और कुछ काम नहीं है। इस तरह की चर्चा बाहर जबानी और अखबारों द्वारा होती है। मैं इस समय यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो मांग इस वक्त पेश हो रहीं है वह इस डिपार्टमेंट की पूरी तस्वीर नहीं पेश करती। इस डिपार्टमेंट में क्या क्या होता है, क्या-क्या इसको करना है और कौन-कौन से इसके टारगेट हैं, इन सब का अन्दाजा इस बजट के आंकड़े से जो मैंने पेश किये और जो इसमें लिखा हुआ है उससे नहीं होता है क्योंकि यह तो स्टाफ वह है जिसकी जरूरत है उन तमाम कोआपरेटिव संस्थाओं को चलाने के लिये जो इस सूबे में चलेंगी। और वे क्या काम करेंगी, उनका रुपया कितना होगा, कितना उससे लाभ होगा इसका कोई अन्दाजा इन आंकड़ों से कि ६०० सुपरवाइजर्स रखे जायेंगे, इतने इंसपेक्टर्स रखे जायेंगे, इतने आडिटर्स रखे जायेंगे, वह नहीं होगा। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सदन के माननीय सदस्य मेरे साथ इस बात पर विचार करें कि जो यह स्टाफ मांगा जा रहा है या ग्रांट इन एड दी जा रही है उसके बाद इस मुहकमे की पूरी तसवीर क्या होगी इस पर गौर करके ही यह तय कर सकते हैं कि इस स्टाफ की जरूरत है कि नहीं है और जरूरत है तो वह क्या है। इन सब बातों पर विचार कर सकेंगे, इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इस बात पर माननीय सदस्य मेरे साथ विचार कर लें कि १ करोड़ ५५ लाख का जो ब्रेक अप है वह इस तरह से है कि कोआपरेटिव आडिट आबजरवेशंस में १८,८९,५०० रु० खर्च होगा, कुर्क अमीनों में १,५०,००० रु० खर्च होगा, गवर्नमेंट स्टाफ जो कौंसिल आफ कोआपरेटिव

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

[श्री मोहनलाल गौतम]

फेडरेशन के बैंक्स में है, उसपर ५७,२०० रु० खर्च होगा। जो डिपार्टमेंट की मौजूदा ऐक्टिविटीज हैं और जो प्लान में शामिल हैं, उन पर ५६,९८,८०० रु० खर्च होगा। जो डेवलपमेंट स्कीम के अन्तर्गत नयी स्कीमें आयी हैं उन पर ७७,८३,८०० रु० खर्च होगा। इस तरह से जो डेवलपमेंट स्कीम है उस पर करीब ७८ लाख रुपया और ज्यादा खर्च होगा। सलिये यह रकम बढ़ रही है, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है।

अब जो इस डिपार्टमेंट की ऐक्टिविटीज हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, समय बहुत कम है और मैं यह मान कर चलूंगा कि जो बजट लिटरेचर है, जो ऐनुअल रिपोर्ट है और जो प्लान है उसको माननीय सदस्यों ने पढ़ लिया है, इसलिये मैं उसी बात को दुहरा कर सदन का बहुत समय न लूंगा। अगर आवश्यकता होगी तो उत्तर देते समय जो जो प्रश्न आयेंगे उनकी स्थिति मैं उस समय बतला दूंगा। इसलिये मैं इस समय बहुत थोड़े ही में अपनी बात पेश कर दूंगा। कोआपरेटिव विभाग की ५ मुख्य स्कीम्स हैं। सबसे बड़ी स्कीम क्रेडिट की है जो कि इस प्रदेश में कृषि के लिये होगी, इसमें वह क्रेडिट शामिल नहीं है जो उद्योगों के लिये होगा, औद्योगिक सहकारी समितियां अलग हैं और केन कोआपरेटिव भी अलग है, इन दोनों कोआपरेटिव्ज को निकाल कर जो बाकी है वह मुहकमा मेरे पास है। इसके बारे में अर्ज करूं कि इसके लिये हमारा टारगेट है कि द्वितीय पंच वर्षीय योजना के आखिर में हर साल ४० करोड़ रुपया लोगों को करजे के रूप में पहुंचाया जाय, अब इस का लोगों तक पहुंचाना बहुत मुश्किल काम है। मान लीजिये कि वह रुपया रिजर्व बैंक के पास है जो विभाग दे देगा और यह भी मान लीजिये कि यहां की जनता उधार लेने के लिये तैयार है, लेकिन इस के लिये फिर भी हमें एक ऐसा संगठन चाहिये जो इस सूबे के गांव-गांव और कोने-कोने में जो व्यक्ति कर्ज लेना चाहते हैं उनको वह रुपया वक्त से पहुंच सके। यह संगठन हमें इसलिये भी जरूरी है कि इसके लिये हमें एक मजबूत बैंकिंग सिस्टम की जरूरत होगी।

हमारे यहां प्रदेश के लेविल पर एक स्टेट कोआपरेटिव बैंक है, उसके बाद हर जिले में एक-एक जिला कोआपरेटिव बैंक होना चाहिये; वह भी बाज जिलों में अभी नहीं है, वहां प्राविन्शियल बैंक की शाखा है, उसके डिटेल को मैं छोड़े देता हूं, लेकिन हर जिले में एक ऐसा कोआपरेटिव बैंक होना चाहिये जो काफी मजबूत हो, वह बैंक सहकारी समितियों को लोन देगा जो एक गांव की या दस गांवों की होगी और वह कोआपरेटिव सोसाइटी फिर इंडिविजुअल्स को लोन देगी। अब ४० करोड़ के रिजर्व से स्टेट बैंक वाले डिस्ट्रिक्ट बैंक को पैसा देंगे और फिर सहकारी समितियों को देगा और वह फिर इंडिविजुअल को देंगी। तो स्टेट बैंक, डिस्ट्रिक्ट बैंक और सोसाइटी तीनों ४०-४० करोड़ रुपया हैंडिल करेंगी, इसके माने यह हैं कि १२० करोड़ रुपया साल में हैंडिल होगा। अब आप अगर देखें तो हमारे इस बजट में कहीं पर यह १२० करोड़ रुपया नहीं है, न हमने कहा कि बैंक से हम इतना रुपया लायेंगे, उसको सदन से मांगने की भी आवश्यकता नहीं है इसलिये इस का बजट में जिक्र नहीं है। यह रुपया कैसे आयेगा इस का कोई जिक्र नहीं है। लेकिन अगर हम इतना रुपया बांटने के लिये चलें तो हमें सारे प्रदेश के हर एक गांव को, कोने-कोने को किसी न किसी कोआपरेटिव सोइटी से कवर करना होगा। मैं इस बहस में भी अभी नहीं जाता कि हर गांव में सोसाइटी हो या कैसे हो यह भी एक प्रश्न है, उस पर हम अभी नहीं जाते लेकिन हर गांव को किसी न किसी सोसाइटी से संबंधित करना होगा ताकि हर गांव का आदमी जिसे करजे की जरूरत है वह मेम्बर बन कर कर्जा ले सके। जो इस सहकारी मूवमेंट में शरीक होना चाहता है वह चाहे कहीं भी रहता हो, मेंबर बन सके और अपनी जरूरत के वक्त कर्जा पा सके। इसमें रिजर्व बैंक के रुपया का या स्टेट बैंक के रुपये का कोई जिक्र नहीं किया गया है। केवल इस में ६०० सुपरवाइजर्स व कुछ इन्स्पेक्टर्स मांगे गये हैं और एक-आध

बड़े अफसर की जरूरत होगी। अब यह कहा जाय कि सिवा इसके कि आपने ६०० सुपरवाइजर या इंसपेक्टर मांग लिये और कुछ काम भी आपका है, तो इस तरह से हमारी यह तस्वीर कुछ गलत सी मालूम होती है इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि यह तस्वीर उस वक्त मुकम्मल होगी जब हम देख लें कि वह पूरा काम क्या है, जिस के लिये इस स्टाफ की जरूरत है। तो मैं पहला निवेदन तो यह कर रहा हूं। मेरा यह खयाल है कि अगर इस सूबे में हम लोग कामयाब हो गये एक इतना अच्छा बैंकिंग आर्गेनाइजेशन बनाने में, जो ४० करोड़ रुपया हर साल सिर्फ ऐग्रीकल्चरल परपजेज के लिये, जिसमें इंडस्ट्री और केन नहीं शामिल है, उन तक पहुंचाने के लिये एक मजबूत संगठन हो गया और उसके साथ-साथ एक और चीज है, वह यह कि इस वक्त जो किसान से सूद लिया जाता है वह ९ फीसदी है। वह सवा ८ करने का खयाल ....

श्री उपाध्यक्ष—कुछ माननीय सदस्य इधर बड़े जोर से बात कर रहे हैं, कृपया ऐसा न करें।

श्री मोहनलाल गौतम—तो सवा आठ है और रिजर्व बैंक ने आधा परसेंट और बढ़ा दिया है। पौने नौ हो गया है यानी पौने नौ परसेंट सूद को घटा कर हम सवा ६ परसेंट सूद पर ले जायं तकि किसान को जो भी कर्जा मिले वह सवा छः परसेंट पर मिल सके। यह भी इसके टारगेट में है। तो इतना बड़ा संगठन हमें चाहिये और यह भी जरूरी है कि अगर इतना रुपया बांटना है और उसको वापस लेना है तो उसमें, संगठन में सुपरवाइजर्स, इंस्पेक्टर्स, असिस्टेंट रजिस्ट्रार्स और तमाम स्टाफ की जरूरत है। इस बहस को मैं यहां इस वक्त नहीं उठाना चाहता कि कोआपरेशन बिलकुल इंडेपेंडेंट हो। लोग अपने आप इंतजाम करें। सरकारी मुलाजिमों की वहां जरूरत न हो। इसलिये हमें सुपरवाइजर्स की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि सिद्धांत के रूप में प्योरेस्ट फार्म का कोआपरेशन वहीं हो जो नीचे से उठे, जनता इकट्ठी हो और अपना इंतजाम करे। लेकिन आज के जमाने में मुझे कुछ थोड़ा सा कंट्राडिक्शन या असमन्वय करने की जरूरत है कि कोआपरेशन में जो इनीशिएटिव है और दूसरे जो प्लान के टार्गेट्स हैं इतनी सोसाइटियां बनाना कि दूसरी पंचवर्षीय योजना तक हर गांव कोआपरेटिव सोसाइटीज से जोड़ दिया जाय। इन दोनों में अगर थोड़ा सा विरोध हो तो उसको नजरअन्दाज करते हुये इस प्लान के टारगेट को पूरा करने की तरफ जायं। इसलिये आज हमें इन तमाम लोगों की जरूरत है।

दूसरा एक जो बहुत बड़ा काम उठाया जायगा वह है लार्ज साइज सोसाइटीज और मार्केटिंग। उसके साथ वेअर हाउसेज भी होंगे, स्टोरेज का भी इन्तजाम होगा। उसका मूल सिद्धांत यह है कि किसान को कर्जा दिया जाय, प्रोडक्शन परपजेज के लिये ज्यादा और ज्यादा कर्जा जिससे ज्यादा प्रोड्यूस कर सके, जब दिया जाय तो उसकी पैदावार को भी सुरक्षित रखने के लिये अपने कर्जे को वापस करने के लिये और अपने बाजार में उसको अच्छे से अच्छा दाम मिल सके इसके लिये मार्केटिंग का इंतजाम किया जा रहा है। इस वक्त मार्केटिंग सोसाइटीज बन रही हैं। और १–४–५७ को ४० मार्केटिंग सोसाइटीज थीं। सात हजार इस साल बनाने का इरादा है। यह मार्केटिंग सोसाइटीज आढ़त का काम करेंगी, यानी किसान का गल्ला आयेगा और फिर व्यापार में बेंच दिया जायगा और उसको ज्यादा से ज्यादा दाम मिलेंगे यानी किसान के पैदा करने वाले के बीच में और खरीददार के बीच में मुनाफा लोग ले लेते हैं वह मुनाफा किसान को मिल जाय। यह उसका उद्देश्य होगा। इस लार्ज साइज सोसाइटी का तजुरबा बहुत नया है। लेकिन एक माननीय सदस्य मेरे पास आये और उन्होंने कहा कि हमारे यहां पड़ोस में लार्ज साइज सोसाइटी है हमारे यहां भी एक बना दी जाय। उन्होंने कहा कि वहां के किसान कहते हैं कि स्वराज्य तो अब मिला, क्योंकि उनको अपने गल्ले के ठीक-ठीक दाम मिल जायं यह जरूरी है।

[श्री मोहनलाल गौतम]

देखा यह गया है कि जब फसल तैयार होती है तो ८,९ रु० मन किसान अपना अनाज बेंच देता है और थोड़े दिन बाद वही माल के दाम १५,१६ रु० मन हो जाते हैं इसलिये किसान को उसके माल के पूरे दाम मिल सकें यही उद्देश्य है मार्केटिंग सोसाइटीज का और इनको जोड़ा गया है लार्ज साइज सोसाइटीज से और इसको जोड़ने के बाद यह भी जरूरी समझा गया कि यह जो माल आयेगा उसके लिये स्टोरेज की जरूरत है वेयर हाउसेज की जरूरत है। वेयर हाउसेज में माल रखने के बाद जो उसकी रसीद होगी वह निगोशिएबिल होगी, यानी उसको किसान किसी दूसरे को भी दे सकेगा। यह तो स्कीम अभी पिछले वर्ष से शुरू हुई है और पिछले वर्ष इसकी शेयर कैपिटल ७ लाख २८ हजार १-४-५७ को हो गई थी। इस साल भी हम इसकी शेयर कैपिटल ६ लाख ५४ हजार और करना चाहते हैं। मेम्बरशिप पिछले साल ६३ हजार थी इस साल १ लाख ३० हजार मेम्बरशिप इन मार्केटिंग सोसाइटीज की करना चाहते हैं जिससे १ लाख ३० हजार किसान इसमें शरीक हो सकें और फायदा उठा सकें। अब यह संगठन इतना बड़ा होगा जिसमें करोड़ों रुपये का व्यापार होगा। उस सब का कोई जिक्र नहीं है इसमें सिवाय इसके कि कुछ थोड़े स्टाफ का जिक्र किया गया है।

सीड स्टोर्स हम बनाना चाहते हैं। लेकिन उसमें कितना सीड आता है, कितनी उसकी कीमत है, हमारा टारगेट है ४० लाख मन सीड्स का हर साल। ४० लाख मन बीज ५,६ करोड़ रुपये का हो गया, लेकिन इसका इसमें जिक्र नहीं। हम सिर्फ जितने सुपरवाइजर्स चाहते हैं १२००, १४०० उनका जिक्र है। बाकी सीड कहां से आयेगा, उसका कोई जिक्र इस बजट में नहीं है। इसलिये जो ऐक्टिविटीज हैं उनका कोई जिक्र नहीं है। अब जैसे डेरी है, डेरींग का थोड़ा सा खर्चा है, कुछ तो शुरू में मशीनरी देते हैं ग्रांट्स इन एड की शक्ल में, कुछ मैनेजर की तनख्वाह के लिये देते हैं, लेकिन जितना वह व्यापार करती है उसका कोई अंदाज हमको इससे नहीं होता। हमने डेरी पर खर्च कर दिया तो उसमें कितना दूध हमने हैंडिल किया, कितना घी, कितनी क्रीम बनी तथा बेची गई, इन सब का जिक्र नहीं। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि यह जो तमाम रकमें हैं वे उस दृष्टि से देखी जायं।

कोआपरेटिव फार्मिंग हमारे यहां है और कोआपरेटिव फार्मिंग की इस वक्त २२० सोसाइटीज हैं। अब इस साल २० सोसाइटीज और खोलना चाहते हैं। कोआपरेटिव फार्मिंग ४ तरह से इस वक्त है। एक है ज्वाइंट फार्मिंग जिसमें जमीन इंडिविजुअल्स की होती है और सब पुल कर दी जाती है, मेड़ें नहीं रहती, और जो आमदनी बंटती है, उसे आप चाहें डिविडेंड कहिये या और कुछ, वह लैण्ड और लेबर दोनों के हिसाब से बंटती है, जितनी-जितनी जमीन जिस किसान ने दी और जितनी-जितनी मजदूरी की वह दोनों मिलाकर उसमें बंटती है। और इस तरह की १७ सोसाइटीज की लिस्ट तो मेरे पास है, इनके अलावा और बहुत सी हैं। इसी तरह कलेक्टिव फार्मिंग की सोसाइटीज भी हैं। कलेक्टिव फार्मिंग में जमीन सोसाइटी की है, किसी इंडिविजुअल की नहीं, और रिटर्न जो मिलता है वह शेयर मनी पर डिविडेंड और मजदूरी उनकी जितनी-जितनी जो-जो करे वह। एक रामपुर जिले में प्रोग्रेसिव वर्कर्स कोआपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी है, जिसमें ४० हजार रुपया कर्ज उन्होंने लिया था अपने ट्रैक्टर वगैरह के लिये। सब अदा कर दिया और ५२-५३ में ८,२७२ मन गल्ला वहां पैदा हुआ था। ५४-५५ में १४,७२० मन हुआ। २२-२३ आदमी उसके हैं और वह दूसरों को लेना चाहते हैं। इस सोसाइटी को अभी मैं नाकामयाब कहने के लिये हरगिज तैयार नहीं हूं। कलेक्टिव है, जमीन सोसाइटी की है, किसी इंडिविजुअल की नहीं है। सब मिल कर काम करते हैं, जो पैदा करने के औजार हैं वह सब शामिल के हैं और शेयर कैपिटल पर ४,५ फीसदी तक शायद, ज्यादा नहीं जहां तक मुझे याद है,

इतना डिविडेंड मिलता है और जितनी जो मजदूरी करता है उतनी उसको मजदूरी मिलती है। और भी एक मेरठ डिस्ट्रिक्ट में है, प्रागनगर के पास।

तीसरा तरीका है बेटर फार्मिंग का। उसमें अलग अलग इंडिविजुअल होल्डर्स हैं। सब मिलकर बाई करते हैं। जो जो चीजें होती हैं सब मिलकर बेचते हैं और औजार सब मिलकर रख लेते हैं। इस तरह से कलेक्टिव बाइंग, सेलिंग, और पजेशन आफ इंस्ट्रूमेंट्स है। लेकिन लैंड अलग-अलग है और उसमें अपनी-अपनी आमदनी और अपना अपना हिसाब है। इसके अलावा एक टेनेंट फार्मिंग है जिसमें लैन्ड तो सोसाइटी के नाम है और अलग-अलग बंटी हुई है जो टिलर को दी हुई है और वह सोसाइटी का टेनेंट है। तो इस तरह से चार किस्म की सोसाइटी का तजुर्बा हो रहा है। यह चीज आज बहुत बहसतलब हो रही है। मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता, एकेडेमिक बहस है, क्योंकि मैं उस बहस में जाने के बजाय यह ज्यादा अच्छा समझूंगा कि जो मेरे पास लेबोरेटरीज हैं और जो कोआपरेटिव फार्मिंग पर काम हो रहा है, मैं उनके रिजल्ट्स दिखाकर यह साबित करूं कि यह कोआपरेटिव फार्मिंग भी चल सकती है और इस सूबे में भी उसको अपनी जगह मिल सकती है। इसलिये मैं उसके हक में और खिलाफ जो प्वाइन्ट्स हैं उनमें न जाकर कुछ उसके बैलेंस शीट्स और आंकड़े और उनकी वर्किंग्स को बताकर यह दिखाने की कोशिश करूंगा कि कोआपरेटिव सोसाइटीज डिफरेंट फार्म्स पर कैसे चल रही हैं और क्या नतीजा उसका रहा है, जिससे कि दूसरे लोग उससे सबक ले सकें।

आचार्य दीपंकर(जिला मेरठ)---माननीय माल मंत्री से सलाह कर लीजिये।

श्री मोहनलाल गौतम---सलाह तो यहां सदन से करने आया हूं, जिसमें मैं हर माननीय सदस्य को बराबर का स्थान देने के लिये तैयार हूं। एक डेरी का काम है जिसमें सात मिल्क यूनियन्स हैं और दो और खोलने का इरादा है। उसमें कोशिश यह है कि हम ज्यादा से ज्यादा अच्छा दूध सप्लाई कर सकें। एक रूरल क्रीमरीज भी हमारे टारगेट में है और दो मिल्क पाउडर प्लांट्स भी हैं और घी ग्रेडिंग स्टेशंस भी हैं। इस तरह से यह डेरींग का काम है। इसमें भी कुछ रुपया खर्च होगा, जो कि इसमें है और इसमें सब्सिडी काफी हिस्से में है। यह कुछ चीजें हुईं। आडिट का जिक्र मैं शायद कर ही चुका। जब सोसाइटीज बढ़ेंगी तो आडिट पर खर्च करने से तो कोई गुरेज नहीं करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोआपरेटिव मूवमेंट में बेईमानी हो। मेरी तो यह इच्छा है कि कोआपरेटिव मूवमेंट को अच्छी तरह से चलाने के लिये जहां कहीं भी बेईमानी हो उसको सख्ती से दबाया जाय चाहे वह सरकारी मुलाजिमों की हो और चाहे नान-आफिशियल्स की हो। हमारे यहां नान-आफिशियल्स का काफी हिस्सा है। बहुत से बैंक्स को नान-आफिशियल्स कंट्रोल करते हैं और आफिशियल्स भी कंट्रोल करते हैं। हो सकता है कि आफिशियल्स जितना कंट्रोल करते हैं उसमें कम हो, वह बहस दूसरी है, लेकिन इतनी बात अर्ज करना चाहता हूं कि अगर कहीं बेईमानी पकड़ी जाय तो उसे बरदाश्त नहीं करूंगा। मैं अपने आफिसरों से कह चुका हूं, माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं और, उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा जनता से कहना चाहता हूं कि इस विभाग में बेईमानी बरदाश्त नहीं होगी। अगर बेईमानी पकड़ी गई तो सिफारिश नहीं चलेगी जब तक मेरा बस चलेगा। लिहाजा सिफारिश बिल्कुल बन्द हो जानी चाहिये, नहीं तो भ्रष्टाचार बन्द नहीं हो सकेगा। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि माननीय सदस्य या जनता के कोई प्रतिनिधि मेरे पास सिफारिश ले कर आयें और अगर मैं उनकी आज्ञा का पालन न कर सकूं तो वे मुझे क्षमा करेंगे।

[श्री मोहनलाल गौतम]

सबसे जरूरी चीज इस महकमे में यह है कि कोआपरेटिव को कोआपरेटिव मूवमेंट नहीं बना सके। उसके लिये लोगों की विचारधारा को बदलना होगा, शिक्षा लेनी होगी। सबसे पहले तो मुझे ही शिक्षा लेनी होगी कि यह कोआपरेटिव क्या है, इसके मानी क्या हैं।

इसके बाद में अर्ज करूंगा कि मेरे पास कुछ पेम्फलेट्स हैं उनको लेकर माननीय सदस्य पढ़ लें ताकि हम सब कोआपरेटिव माइंडेड बन जायं। जितने कोआपरेटर्स हैं उनको जनता को शिक्षा देनी होगी। उसके लिये काफी लम्बी योजना है। इसमें ३१,२०० नान-आफिशियल्स को और ८०० आफिसर्स को ट्रेनिंग देने की योजना हमारे पास है। इस तरह से हम यह चाहते हैं कि यह केवल सरकारी संगठन न रह कर एक आन्दोलन का रूप धारण करे और आन्दोलन का रूप धारण करने के लिये नान-आफिशियल्स के सहयोग की जरूरत होगी। मुझे इस बात का अफसोस है कि हमारे प्रदेश में इस बात की अभी कमी है, जिस तरह के कोआपरेटर्स बड़े बड़े सूबों में, बम्बई व मदरास वगैरह में हैं उस तरह के कोआपरेटर्स हम पैदा नहीं कर सके हैं। जितनी ज्यादा दिलचस्पी माननीय सदस्य इसमें लेंगे इस आन्दोलन में, उतना ही मैं उसका स्वागत करूंगा। यह एक डेवलपिंग डिपार्टमेंट है, इसलिये इसमें जो भी माननीय सदस्यों के सुझाव होंगे, मैं उन सबका स्वागत करूंगा और जहां तक हो सकेगा उन पर अमल करने की कोशिश करूंगा।

इन शब्दों के साथ मैं यह निवेदन करता हूं कि जितने भी सुझाव आयेंगे उन पर विचार करके अमल करने की कोशिश करूंगा। अन्त में मैं इस अनुदान को इस सदन के सामने पास होने के लिये पेश करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय पब्बरराम जी, आप केवल अपने कटौती के प्रस्ताव को पेश कर दें और बाकी भाषण आप बाद में करेंगे।

श्री पब्बर राम (जिला गाजीपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अनुदान संख्या २६—लेखा शीर्षक ४२—सहकारिता के अन्तर्गत १ रुपये की कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

(इस समय १ बज कर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर १८ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री नेकराम शर्मा, के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

*श्री पब्बरराम—माननीय अधिष्ठाता महोदय, हम एक ऐसे विभाग के अनुदान के बारे में वाद-विवाद कर रहे हैं, जिसको प्रथम तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में काफी प्रमुख स्थान दिया गया है। किन्तु प्रथम पंचवर्षीय योजना-काल समाप्त हो गया है और दूसरे पंचवर्षीय योजना-काल का एक वर्ष भी बीत चुका है और हम देखते हैं कि अभी तक इस अत्यन्त महत्वपूर्ण दिशा में हमारे देश और विशेषकर हमारे इस सूबे में बहुत ही कम प्रगति हुई है। इसमें मैं देख रहा हूं कि सहकारी कृषि, जिसे स्वयं प्रधान मंत्री नेहरू जी ने देश के लिए इतना आवश्यक समझा है, अभी तक नहीं के बराबर है। पूरे प्रदेश में २२० सहकारी समितियां हैं, जिनमें ४,४४५ सदस्य हैं। इसको देखते हुए और पूरे प्रदेश की स्थिति को देखते हुए हम सोच सकते हैं कि इस दिशा में हमारी प्रगति कितनी हुई है। सहकारी कृषि की यह दशा है और सहकारी ऋण समितियों की संख्या यद्यपि हमारे सूबे में ४४,००० है और उनके सदस्यों की संख्या १४ लाख के करीब है, किन्तु ये समितियां भी किसानों की आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पा रही हैं। जिन्हें ऋण मिलता भी है उसका अधिक लाभ केवल धनी किसान ही अधिक रूप से पाते हैं। ऐसे नियम बने हुए हैं कि भूमिहीन किसान ऋण नहीं पा सकते हैं और जितना ही छोटा किसान है उतना ही कम ऋण पा सकता है, यद्यपि उसकी आवश्यकता बहुत ज्यादा है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सबसे अधिक ध्यान इस क्षेत्र में गन्ना समितियों की ओर दिया गया, क्योंकि उत्तर प्रदेश की लगभग ७० चीनी मिलों के सेठों को जो मौजूदा सरकार के बहुतेरे मंत्रियों के मित्र हैं और समय-समय पर चुनाव में उनकी काफी सहायता भी करते हैं, इन मिल मालिकों को अच्छे किस्म का पर्याप्त गन्ना प्राप्त हो सके और इनकी मिलें अच्छी तरह से चल सकें, यह जरूरी था कि इन मिल मालिकों की आवश्यकता के प्रश्न को सामने रखते हुए इन गन्ना समितियों का इस्तेमाल किया गया और यहीं तक नहीं प्रश्न यहां तक पहुंच चुका है कि बड़े-बड़े फार्मों के जो मालिक हैं उनका गन्ना बहुत पहले इन मिलों में पहुंच जाता है और जो छोटे-छोटे किसान हैं और जिनकी छोटी छोटी समितियां हैं उनमें हम देखते हैं कि आज भी उनके खेतों में गन्ने खड़े हैं, लाखों एकड़ गन्ना अभी तक खेतों में पड़ा हुआ है। तो मैं कहूंगा कि इन गन्ना समितियों का निर्माण धनी किसानों और कुछ मिल मालिकों को फायदा पहुंचाने के लिए ही किया जा रहा है।

श्री मोहनलाल गौतम--आन ए प्वाइंट आफ आर्डर, सर। अधिष्ठाता महोदय, मैंने जो अनुदान पेश किया है उससे गन्ना सोसाइटी अलग हैं और यह चीज इस अनुदान के दायरे के बाहर है जो आज सदन में पेश है।

श्री अधिष्ठाता--माननीय पब्बरराम जी, यदि विषय पर ही बोलें तो अच्छा है।

श्री पब्बरराम--मैं इस चीज को यहीं छोड़े देता हूं, क्योंकि यह सब चीजें इसी कोआपरेटिव विभाग से ताल्लुक रखती हैं इसलिये मैंने संक्षेप में इनको भी लेने की कोशिश की थी। अब हमें यह देखना है कि जो कृषि समितियां बनाई गई हैं या अन्य समितियां बनाई गई हैं, उनमें आखिरकार यह खराबी क्यों है। इसकी तरफ हमारा ध्यान जाता है तो हमारे मुख्य मंत्री और माल मंत्री जो उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, उनके सहकारिता विरोधी दृष्टिकोण से हमें बड़ा दुख होता है।

हमारे प्रदेश में योजना आयोग जो भी प्रगतिशील कदम उठाने का सुझाव रखता है उसके खिलाफ हमारी सरकार मोर्चा लेने को खड़ी हो जाती है। अब इसके विस्तार में जाना नहीं चाहता हूं। माननीय सदस्यों को याद होगा कि कतिपय अवसरों पर यह देखने में आया है। अब पांच मिलों की सहकारी समिति जो बनी है उसका एक आधार रखा गया था कि सहकारिता के आधार पर चीनी की मिलें खड़ी की जायं। उसमें हम देखते हैं कि जो रुपया मंजूर किया गया है, उसमें से जहां तक मुझे पता चला है एक बड़े उद्योगपति को ४० लाख रुपया अनुदान के रूप में दिया गया है और प्राइवेट मिल खड़ी हो रही है। आगे सहकारिता को विशेष रूप से कृषि क्षेत्र में प्रसार के लिये हमें चीन के अनुभव से कुछ सीख लेनी चाहिये। चीन में ५-६ वर्ष के अन्दर ही ९६ प्रतिशत कृषि परिवार सहकारिता समिति में शामिल हो चुके हैं। वहां की सहकारिता का अध्ययन करने के लिए एक प्रतिनधि मंडल हमारे प्रदेश से श्री आर० के० पाटिल के नेतृत्व में चीन भेजा गया था। हम देखते हैं कि उसके सुझावों पर गम्भीरतापूर्वक विचार तक नहीं किया गया। कृषि क्षेत्र में सहकारिता के विकास के लिये चीन में उग्रवादियों के जरिए भूमि तैयार की गई और हमारी सरकार ने इस प्रतिनिधि मंडल के सुझावों को बिल्कुल ठुकरा दिया। हमारे प्रदेश में .....

श्री रामेश्वर प्रसाद (जिला रायबरेली)--आन ए प्वाइंट आफ आर्डर, सर। मैं यह जानना चाहता हूं कि माननीय सदस्य पढ़ रहे हैं, क्या यह ठीक है ?

श्री अधिष्ठाता--पढ़ नहीं रहे हैं, वह भाषण कर रहे हैं।

श्री पब्बरराम--मैंने चीन के संबंध में बताया है कि कुछ ही दिनों में वहां की सरकार ९६ प्रतिशत कृषि परिवारों को समितियों में शामिल करने में कामयाब रही। लेकिन इसी रिपोर्ट में जो हमारे सामने पेश की गई है, २० वर्ष की कोशिश के बाद हमारी सरकार

[श्री पब्बरराम]

मुश्किल से कुछ प्रतिशत किसानों को ही इसमें शामिल कर पाई है, यानी सहकारिता समितियों में । मेरे कहने का मतलब यह है कि जो क्रान्तिकारी कदम चीन सरकार ने उठाया था और जिसको हमारे यहां के शिष्ट मंडल ने जाकर देखा और सुझाव भी दिये उस तरफ हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया । उसने सुझाव दिया था कि कृषि में काम आने वाले खेतों की हदबन्दी होनी चाहिए और एक परिवार अपने सदस्यों के श्रम से जितने खेतों पर खेती कर सके उतने ही खेत उस परिवार के पास रहने चाहिये । इस मामूली से सिद्धान्त को भी हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार स्वीकार नहीं कर सकी और हमारे माल मन्त्री ने समय-समय पर इसी सदन के अन्दर इस चीज को जाहिर किया कि अगर सहकारिता के आधार पर खेती होती रही और इसको प्रोत्साहन दिया गया तो एक समय ऐसा आयेगा जब एक भी किसान सहकारी समितियों के अन्दर आना स्वीकार नहीं करेगा । हमारे देश का अनुभव है कि हमारे यहां की सहकारी समितियां कृषि जन्य वस्तुओं के मूल्यों के उतार चढ़ाव को रोक सकने में या उसको स्थिर रख सकने में नाकामयाब रही हैं । जब किसान के घर में उत्पादित वस्तुयें आती हैं उस समय उनका भाव इतना गिर जाता है जिससे कि बाजार की होड़ में वे अपने को खड़ा नहीं रख पाती हैं । नतीजा इसका यह होता है कि हमारी बहुत सी समितियां इस तरह से फेल हो जाती हैं । यहीं तक नहीं, मैंने देखा है कि हैंडलूम सोसाइटी की भी यही दशा हो रही है । मऊ की कुछ हैंडलूम सोसाइटियां थीं । वहां स्थानीय आढ़तियों के नाम से ३०-४० लाख रुपये के फर्जी बीजक बनाये गये और कई लाख के कैश मेमो पर सरकार से रिबेट का धन प्राप्त कर लिया गया है । जब आढ़तियों को मालूम हुआ तो उनकी कमेटी ने सन् ५६ में एक प्रस्ताव पास किया, लेकिन सरकार सोती रही । फिर मऊ की कांग्रेस कमेटी ने भी एक प्रस्ताव पास किया और उस समय के मुख्य मंत्री ने स्वयं जांच का आश्वासन दिया और जांच हुई भी । लेकिन मिल जुल करके उस मसले के ऊपर आज भी परदा पड़ा हुआ है और कोई फैसला नहीं किया गया । इससे वहां की आम जनता में यह अविश्वास फैला हुआ है कि कोआपरेटिव विभाग से भ्रष्टाचार को नहीं रोका जा सकता ।

इसी तरह से भट्ठा समितियों के अन्दर हम देखते हैं कि वहां भ्रष्टाचार बराबर जारी है । अभी १०-१५ दिन की बात है, मैं रजिस्ट्रार कोआपरेटिव सोसाइटीज के दफ्तर के सामने चाय की दुकान पर खड़ा था । वहीं पर बातचीत के सिलसिले में मालूम हुआ कि ३७४ टन कोयला यहां के भट्ठा फेडरेशन का गायब हो गया, लेकिन आज तक यह पता नहीं लग सका कि वह कोयला गया कहां । इसी प्रकार अमिला में एक भट्ठा सोसाइटी बनी हुई है । वहीं पर एक एम० एल० ए० भी रहते हैं और एक एम० पी० भी रहते हैं लेकिन दो, तीन साल के अन्दर १३,००० रुपये का गबन पकड़ा गया, मगर कुछ हो नहीं सका । इसी तरह से गाजीपुर में हम देखते हैं कि कोआपरेटिव सोसाइटियों के ऊपर कुछ राजनीतिक लोगों का इस तरह से हाथ पड़ गया है कि जिसकी वजह से उनका स्वाभाविक रूप से विकास नहीं होने पाता । वहां पर बड़ी-बड़ी रकमें गबन की जाती हैं । कोई डायरेक्टर बना हुआ है, कोई संचालक बना हुआ है और मारे डर के छोटे-छोटे कर्मचारी उनके भ्रष्टाचार को रोकने में असमर्थ होते हैं । नतीजा यह होता है कि कोआपरेटिव के प्रति जो हमारी आस्था होनी चाहिये और आदमी के दिल के अन्दर जो इस किस्म की भावना होनी चाहिये कि कोआपरेटिव के आन्दोलन के जरिये से हम अपने देश की दशा को सुधार सकते हैं, उससे अपना उत्थान कर सकते हैं और एक ऐसी सोसाइटी का निर्माण कर सकते हैं जहां सहयोग के आधार पर समाज एक दूसरे की आवश्यकता की पूर्ति कर सके, उस आधार को हम पनपने नहीं दे रहे हैं ।

श्री उदयशंकर दुबे (जिला बस्ती)---अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे यह अवसर दिया है । सच पूछिये तो एक समाजवादी समाज की आर्थिक व्यवस्था

के लिये सहयोग का आन्दोलन उसकी रीढ़ की हड्डी के बराबर है। माननीय मंत्री जी की जो ओपेनिंग स्पीच हुई उसमें जिस सफाई के साथ उन्होंने इसकी कमियों की ओर इशारा किया उसके लिये मैं उन्हें बधाई देता हूं। असल में पिछले पचास वर्षों के भीतर जो सहकारिता आन्दोलन इस प्रान्त में चला उस प्राबलम का एप्रोच ही गलत तरीके से किया गया है और उसकी बुनियाद पर कोई इमारत, जो हम बनाना चाहते हैं, बन नहीं सकती। मुझे उम्मीद है कि हमारे मंत्री महोदय उसे एक नया रूप देंगे।

मैं इस सिलसिले में कुछ थोड़ी सी बातों का जिक्र करना चाहता हूं। वाकई सहकारिता आन्दोलन की पूरी तस्वीर यह बजट नहीं है। यह तनख्वाहों का बजट है और इसमें ज्यादातर हिस्सा तनख्वाहों का है। फिर तनख्वाहों के देने के बाद उम्मीद करना कुदरती है कि उसका रिटर्न इस सूबे के लोगों को मिलेगा या नहीं। अब तक जो गवर्नमेंट का तरीका सहकारिता के सम्बन्ध में रहा है वह यह है कि केन का अलग है, इंडस्ट्रीज का अलग है और बकिया मदों का अलग है। मैं चाहता हूं कि अगर सही तरीके पर इस महकमे को अपने आन्दोलन को चलाना है तो इन तीनों, इंडस्ट्रियल, केन और क्रेडिट, को एक ढांचे में ले आना होगा बजाय इसके कि अलग-अलग तरीके से उनमें काम किया जाय। यह हो सकता है कि लार्ज स्केल सोसाइटीज न बनाकर थोड़े से गांवों का एक क्षेत्र बने और उस क्षेत्र में जितने प्रगति के काम हैं, जैसे खेती के सम्बन्ध में चीजें---औजारों का रखना, बीज गोदाम रखना, खेती के लिये पैसे क्रेडिट के रूप में देना, उनकी फसलों का, जिनमें केन भी शामिल है, बिकवाना, उनके उद्योग धंधों को करवाना---यह सब काम एक एजेंसी में एक जगह हो और बजाय इसके कि एक आदमी कुछ रुपया केन से ले, कुछ इंडस्ट्रीज से ले और कुछ क्रेडिट से ले और हर जगह खाता रहे और हर जगह गबन होता फिरे और हर जगह वसूलयाबी न हो सके और नतीजा यह हो कि बुरा नाम सहकारिता को मिले। इस सम्बन्ध में सरकार को कैबिनेट लेविल पर सोचना होगा कि कैसे सबको मिला कर गांव में एक ऐसी यूनिट बन जाय जहां क्रेडिट मिले, बीज मिले, और जो कुछ वे पैदा करें उसकी मार्केटिंग वगैरह ठीक से हो सके। यह मेरा एक सुझाव है। दूसरा सुझाव मेरा इस सम्बन्ध में यह है कि आपका रेवेन्यू ला डिफेक्टिव है। आपको किसानों को गांव के बनिये के चंगुल से निकालना होगा और इसके लिये टेनेन्सी ला को संशोधित करके लैंड मारगेज बैंक्स की स्थापना आवश्यक है ताकि बैंक को भी रुपया देने में यह खतरा न हो कि वह डूब जायगा और गांव वालों को भी आसानी हो जाय कि उन्हें अपनी जमीन पर पैसा मिल सके।

तीसरा मेरा सुझाव यह है कि जब सरकार समाजवादी समाज की स्थापना चाहती है तो उसको इस बात का तहैय्या कर लेना होगा कि यह जो करोड़ों रुपये के निर्माण कार्य सड़क बनाने, पुल बनाने आदि के हो रहे हैं इनका पूरा फायदा हमारे गरीब आदमी को मिले और उस के लिये इस विभाग को लेबर कोआपरेटिव्ज़ बनानी चाहिये। लेबर कोआपरेटिव सोसाइटीज को आर्गनाइज कर के उन के जरिये से उन कामों को कराया जाय, जो कि आज तक ठेकेदारों आदि से कराये जाते हैं। पैसे वालों के जरिये से ही ये काम नहीं होने चाहिये। इससे गांव के मजदूर के पास पैसा पहुंच सकता है और मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट एज ए पालिसी इसको करे कि हमें अब दूसरे लोगों से काम नहीं लेना है।

इसके अलावा एक बात यह है कि इंडस्ट्रीज के लिये कर्ज के रूप में जो रुपया सरकार देती है, इस महकमे को इस बात का प्रबन्ध करना चाहिये कि वह गरीब लोगों का पैसा जमा करा कर उन सोसाइटीज को ही वह रुपया दिलवाये, पूंजीपतियों के हाथ में ही इस तरह के काम नहीं रहने चाहिये। सरकार को अगर २५ लाख रुपया देना है तो मोटे-मोटे पांच आदमी फिर मिल कर यह रुपया इकट्ठा कर लेते हैं और रुपया सरकार से कर्ज ले लेते हैं, इस तरह से उसका सारा फायदा उन पांच आदमियों के पास ही चला जाता है। यह न हो कर इस विभाग को

[श्री उदयशंकर दुबे]

चाहिये कि वह उन लोगों के द्वारा उन इन्डस्ट्रीज की स्थापना कराये ताकि उनका फायदा जन-साधारण में वितरित हो सके। इस तरह से समाजवादी समाज की रचना में हम एक कदम आगे बढ़ेंगे।

आज का यह तरीका है कि हमने एक कोआपरेटिव फेडरेशन बनाया। उनकी ओर से जो हम वितरण करते हैं वह इसलिये कि सरकार का एक प्रोटेक्शन है, उनको सीमेंट मिल गया, कोयला मिल गया, आप ने कंट्रोल के हिसाब से उनको चीजें दे दीं। इसकी बुनियाद पर अगर आप यह कोआपरेटिव आंदोलन चलाना चाहते हैं तो यह आपका आंदोलन आंदोलन क स्वरूप नहीं लेगा। भले ही आज आपको थोड़ा सा मुनाफा हो जाता हो। इनके जो तरीके हैं उन तरीकों से जगह-जगह पर यह इंडिविजुअल से काम लेते हैं। इंडिविजुअल को कोआपरेटिव के काम के लिये इनाम देते हैं। किसी को मैनेजर बना दिया और किसी को कुछ और कर दिया, लेकिन इससे सहकारिता के आन्दोलन को सफलता नहीं मिलती है।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं। जो कि कोआपरेटिव मूवमेंट के लिये बहुत जरूरी है। वह यह है कि जितनी कोआपरेटिव सोसाइटीज़ बनती हैं और जितने लोग उनमें आपको पैसा देते हैं उनको कुछ रिटर्न नहीं मिलता है, उनको कुछ रिटर्न मिलना चाहिये। आप देखेंगे कि जितने संघ बने हुये हैं और जितनी आपकी सोसाइटीज़ बनी हुई हैं उनमें लोगों का आप ने वर्षों से रुपया ब्लाक कर के रखा है। एक पैसा भी उनको आप डिविडेंड नहीं देते हैं। उसका नतीजा यह होता है कि उनका जो उत्साह है कोआपरेटिव मूवमेंट को बढ़ाने का वह भंग हो जाता है। उससे आप की मूवमेंट आगे नहीं चल पाती है। आपके महकमें के कार्य में जनता को सम्मिलित होने का अवसर नहीं मिलता है।

इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि हमारे मंत्री महोदय इस सूबे को कोआपरेटिव मूवमेंट में आगे ले चलेंगे।

श्री प्रताप सिंह (जिला नैनीताल)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, सर्वप्रथम मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री और उनकी केबिनेट को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने सहकारिता की महत्ता को समझते हुए एक अलग मन्त्रालय की स्थापना की और साथ ही साथ इसके सर्वप्रथम मंत्री माननीय गौतम जी को भी बधाई देता हूं।

श्रीमन्, मैं माननीय पब्बरराम जी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैंने माननीय मंत्री जी को बड़ी दिलचस्पी से सुना था कि वह इस प्रदेश में कोआपरेटिव मूवमेंट को आगे बढ़ाना चाहते हैं। श्रीमन्, मेरी हमदर्दी माननीय मंत्री जी के साथ है कि वह बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन जब मैं इस बजट में दूसरी पंचवर्षीय योजना के नये आइटम को देखता हूं तो उसमें मुझे एक पाई भी सहकारिता आन्दोलन की मद में नहीं दिखाई देती है। मैं समझता हूं कि ऐसी दशा में अगर माननीय मंत्री जी उत्तर प्रदेश में कोआपरेटिव मूवमेंट को एक नया मोड़ देना चाहते हैं तो उनके लिये ऐसा होगा जैसे रेगिस्तान में पानी की खोज।

मैंने माननीय मंत्री जी को सुना। हमारी कोआपरेटिव के जो अंग हैं, कोआपरेटिव डेवलपमेंट फंड और एग्रीकल्चरल क्रेडिट फंड, इनके विषय में इस बजट में कहीं पर कुछ भी नहीं कहा गया है। माननीय राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में ११ अप्रैल को जो कहा था वह मैं आपकी इजाजत से पढ़ना चाहता हूं :

"My Government has also decided to create an Agricultural Credit Fund and a Co-operative Development Fund.

माननीय राज्यपाल ने यह कहा कि हमारी सरकार कोआपरेटिव डेवलपमेंट फंड और एग्रीकल्चरल क्रेडिट फंड दूसरी पंचवर्षीय योजना में खोलेंगी, लेकिन मैं सदन को यह बतलाना चाहता

हूं कि माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में इसकी चर्चा नहीं की। श्रीमन्, रूरल क्रेडिट सर्वे रिपोर्ट जो इस विभाग के लिये एक गाइड है उसमें यह साफ लिखा हुआ है कि "हिन्दुस्तान में या हमारे सूबे में हमें कोआपरेटिव मूवमेंट को जो एक नया मोड़ देना चाहिये वह नहीं दे पा रहे हैं"। सरकार की जो कोआपरेटिव मूवमेंट है वह सोसाइटीज के हाथ में है और सोसाइटीज ठीक उसी प्रकार से काम कर रही हैं जिस प्रकार से एक व्यापारी का कोई एजेन्ट काम करता है। सोसाइटीज को हम माल फरोख्त करने की पूरी मोनोपोली दे देते हैं। उसकी हालत ऐसी हो जाती है जैसी कि बच्चे को एक चम्मच से खिलाना। आप चाहे जो कुछ भी कहें लेकिन जब हमने उनको मोनोपोली दे दी है तो उससे इस प्रकार कोआपरेटिव मूवमेंट चलाना मुश्किल है। मेरा सबसे बड़ा सुझाव यह है कि जब तक मार्केटिंग कोआपरेटिव के हाथ में नहीं आता है तब तक इस का काम सफल नहीं होगा। फल, आलू और अनाज प्रत्येक चीज के आढ़ती आज हमारे प्रदेश में मौजूद हैं। जब तक उत्पादक और उपभोक्ता के बीच के ये लोग नहीं हटाये जाते तब तक हमारी कोआपरेटिव ठीक नहीं चल सकतीं। जैसा मंत्री जी ने बतलाया, इंडस्ट्रियल कोआपरेटिव्स, केन कोआपरटेव्सि और कोआपरेटिव फार्मिंग सोसाइटीज उनके विभाग में नहीं हैं। मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि एक ओर तो हमारा सहकारिता मंत्रालय अलग बनाया जाता है और ये मूल अंग इस विभाग में नहीं हैं। केन का सब से बड़ा कोआपरेटिव माना जाता है। केन कमिश्नर एक रजिस्ट्रार के रूप में काम करते हैं मगर इस विभाग में नहीं हैं। मुझे खुशी है कि कोआपरेटिव फार्मिग सोसाइटीज इस विभाग के पास हैं।

हमारे मंत्री जी न तो प्लानिंग कमीशन और जवाहरलाल जी की बात पर चलते हैं और न हमारे माल मंत्री जी की। वह वादविवाद में न पड़ कर हमको एक नई तस्वीर देना चाहते हैं। प्लानिंग कमीशन ने कोआपरेटिव फार्मिग का बड़ा महत्व दिया है और उसकी ताईद हमारे प्रधान मंत्री जी ने की। दूसरी ओर हमारे माल मंत्री जी ने एक या दो किताबें डांट कर यह कहा कि यह यहां सफल नहीं हो सकता है। मैं चाहता था कि हमारी सरकार आज तक इस पर अपनी नीति साफ करती। माननीय मंत्री जी ने कुछ इशारा इस ओर किया और हम समझते हैं कि मंत्री जी उससे नया मोड़ विभाग में लावेंगे। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में १२वें सफे पर है कि ४४ हजार कोआपरेटिव सोसाइटीज हमारे यहां हैं और इनकी कैपिटल २४६.२८ लाख रुपया है। इस तरह एक सोसाइटी के पास ५७६ रुपये कैपिटल होती है। इतने कम कैपिटल में कोई सोसाइटी लोगों का भला नहीं कर सकती। अभी तक हमारी सोसाइटीज कागजी ही हैं। जिस देश के लोग अधिकतर खेती करते हों वहां कोआपरेटिव मूवमेंट बहुत बड़ी चीज है और उसके विकास के लिये बहुत बड़ा क्षेत्र है। रायल कमीशन ने कहा है: "We have great hopes that many millions of peasant proprietors may be led to a better life through a sound co-operative movement; if this is secured, much else is brought within the bounds of attainment. If co-operative fails, there will fail the best hope of rural India." रायल कमीशन कहता है कि खेती करने वाले देश में कोआपरेटिव काफ़ी तरक्क़ी कर सकता है और अगर वह फेल होता है तो हमारी ग्रामीण जनता की आशाओं पर पानी फिरता है।

इन शब्दों के साथ मैं इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री रघुवीर सिंह (जिला मेरठ)—अधिष्ठाता महोदय, सहकारिता विभाग बहुत महत्वपूर्ण और देश में इनकलाब लाने वाला है। मंत्री जी ने बतलाया कि कितना इस पर खर्चा होगा, किस तरह से इस विभाग को चलाया जायगा और कितने आदमी इसे चलाने वाले होंगे, मैं समझता हूं कि यह बहुत कम है। जितना रुपया इस पर खर्च किया जा रहा है

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रघुवीर सिंह]

उसे मैं आटे में नमक के बराबर समझता हूं। यही ऐसा विभाग है जिससे आर्थिक व्यवस्था में सुधार हो कर शोषण बन्द हो सकता है। खेती और उद्योग में सहकारिता बहुत उपयोगी है और इसी से विकास हो सकता है। जब तक हर मेहनत करने वाला सहकारिता को अपना नहीं समझ लेगा तब तक हमारे प्रदेश का उत्थान होना कठिन है। हम चाहते हैं कि हमारे देश में समाजवाद की स्थापना हो, दौलत का न्यायसंगत बटवारा हो और हर आदमी को अपना विकास करने का अवसर हो। इन सब कार्यों के लिये जितना कम रुपया रखा गया है उसमें यह नहीं हो सकते। जो संगठन की योजना रखी गयी है वह भी बहुत कम है। इससे हमारा काम नहीं चल सकता है। सहकारिता की सफलता के लिये बहुत जरूरी है कि बहुत बड़े पैमाने पर आर्गेनाइजेशनल सेटअप का रूप नहीं, बल्कि इसे मूवमेंट का रूप दिया जाय। हमारी सहकारिता संगठित है परन्तु मूवमेंट को अभी तक नहीं पहुंच पाई है। इसकी वजह यह है कि या तो सरकारी कर्मचारी या दूसरे लोग जो इसमें काम करते हैं इस विभाग को ठीक से समझ नहीं पाये हैं कि कोआपरेटिव कितनी आवश्यक चीज है, खासतौर पर सोशलिस्टक समाजवाद की स्थापना के लिये। अगर इसकी बुनियाद कमजोर है तो हमारे देश और प्रदेश का आर्थिक ढांचा हमेशा कमजोर ही रहेगा और हम उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं जिसे प्राप्त करना चाहते हैं। इसको हम यहां पर समझ नहीं पाये। मैं इसको पूरी तरह से ही देखता हूं कि हमारे इस कोआपरेटिव आर्गेनाइजेशन में कुछ ऐसे व्यक्ति आ उपस्थित हुए हैं जिनके स्वार्थ गरीब लोगों से किसानों, मजदूरों से जिनको बड़ा भारी लाभ है टकराते हैं। उसकी वजह से बजाय इसके कि लोगों को उत्साह हो, वे निरुत्साहित होते हैं। जब वे ही लोगों को निरुत्साहित करते हैं तो फिर आपका यह आन्दोलन किस प्रकार से कामयाब हो सकता है? इसके अतिरिक्त इस प्रकार की कार्यवाही करते हैं कि इसमें सेबोटेज हो, सब लोग निरुत्साहित हो जायं और भाग जायं। किसी भी सरकारी कोआपरेटिव सोसाइटी को ले लीजिये, चाहे वह इंडस्ट्रियल कोआपरेटिव सोसाइटी हो, चाहे गन्ने की कोआपरेटिव सोसाइटी हो, जितनी भी कोआपरेटिव सोसाइटीज हैं उनका ढांचा ही दूसरे प्रकार का है। जब कि केन्द्रीय सरकार ने यह फैसला कर लिया है कि हमारा उद्देश्य कोआपरेटिव कामनवेल्थ की स्थापना करना है और हमारी सरकार और हमारे देश का यही लक्ष्य है कि हम उस जगह तक पहुंच जायं, लेकिन हम यह देखते हैं कि जो ढंग यहां अपनाया गया है वह दूसरा ही है। इससे साफ जाहिर है कि सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट नहीं हुआ है या हमारी सरकार इसको उतना महत्वपूर्ण नहीं समझती है जितना कि हमारा देश समझता है, इसलिये यह सब गड़बड़ी होती है। जो लोग इस आन्दोलन में काम करते हैं चाहे वे सरकारी कर्मचारी हों या दूसरे लोग हों, उनमें ऐसे जजबात नहीं हैं। या तो किसी कारण से उन जजबात को अपने में ला नहीं पाते या इस चीज को ही वे समझ नहीं पाये हैं।

सरकार की तरफ से भी कोआपरेटिव सोसाइटीज के मुकाबले में व्यक्तिगत लोगों को ज्यादा प्रोत्साहन दिया जाता है। जब गवर्नमेंट कोआपरेटिव्स की स्थापना चाहती है तो इसको सर्वोपरि रखना चाहिये। कोई खास धंधा किसी एक ही व्यक्ति की बपौती नहीं होनी चाहिये। किसी आदमी ने यदि कोई पेशा अख्तियार कर लिया तो यह आवश्यक नहीं कि उसका लड़का भी वही पेशा करे, दूसरा उसको क्यों न करे। अगर कोई ग्रेजुएट हो गया तो उसका बेटा ही ग्रेजुएट हो, दूसरा क्यों न हो? जब हम समाजवाद लाना चाहते हैं, जब हम सब लोगों के लिये समान अधिकार चाहते हैं, समाज में ऐसी व्यवस्था कायम करना चाहते हैं कि सबकी समान रूप से तरक्की हो तो फिर किसी चीज के लिये किसी की बपौती नहीं हो सकती। आज हम किसी विभाग को देखें, चाहे वह पी० डब्ल्यू० डी० का विभाग हो अथवा कृषि का विभाग हो, किसी भी विभाग में कोआपरेटिव मूवमेंट की ओर किसी का संकेत मात्र उत्साह भी दिखायी नहीं पड़ता। सरकार का एक लक्ष्य है और उसके द्वारा वह कोआपरेटिव के जरिये से समाजवाद लाना चाहती है, समाज की व्यवस्था करना चाहती है, वह कैसे होगा? क्या वह कुछ लोगों को नौकर रखने से होगा, क्या थोड़ी सी सोसाइटीज को मदद कर देने

से होगा, या कुछ उद्योगपतियों की मदद करने से होगा? इस तरह से समाजवाद नहीं आ सकता है। आप को यह फैसला करना है कि इसकी असली जड़ क्या है और उस फैसले के करने के बाद हमें मजबूती के साथ उधर कदम बढ़ाना है, तभी समाजवाद की स्थापना हो सकती है। इसके लिये हमें यह उद्देश्य लेकर चलना होगा कि किसानों, मजदूरों और कर्मचारियों के लिये सोसाइटीज़ कायम करना है, लोगों में इसके लिये उत्साह पैदा करना है, इसी उद्देश्य को लेकर हमें कोआपरेटिव सोसाइटीज़ की स्थापना करनी है और उसी के जरिये से हमें समाजवाद लाना है। इसको मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है। जब तक इस उद्देश्य को लेकर हम इसको रिआर्गेनाइज़ नहीं करेंगे, इसकी कमज़ोरियों को दूर नहीं करेंगे, हर सरकारी कर्मचारी और दूसरे सार्वजनिक कार्यकर्ता और समाजसेवी इस कोआपरेटिव मूवमेंट में दिलचस्पी नहीं लेंगे, तब तक उसका सफल होना मुश्किल है।

श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह (जिला गोंडा)—अधिष्ठाता महोदय, यह जो अनुदान सहकारिता का भवन में पेश हुआ है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। कम से कम आजकल के युग में जो कि सहकारिता का युग है, कहा जाता है कि कोआपरेटिव कामनवेल्थ बनाना है, सारी चीजें देश की तरक्की की आधार हैं, उनमें इस सहकारिता का विशेष तौर पर उल्लेख किया जाता है। उधर हमारे जो बड़े-बड़े नेता हैं, या बड़े-बड़े विशेषज्ञ हैं वे सब सारे देश का ध्यान इस तरफ आकर्षित कर रहे हैं, मगर एक खास बात है और दुख की बात है कि जिस जोश खरोश के साथ सरकार इस आन्दोलन को आगे बढ़ाना चाहती है जिससे कि देहात में इसका प्रवेश हो, उतनी तेजी से क्या, बिलकुल ही इसका प्रवेश किसी प्रकार नहीं हो रहा है। इस का क्या कारण है? क्योंकि अभी हमारे मंत्री महोदय ने कहा कि वे लोबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और एक्सपेरिमेंट करने के बाद देखेंगे कि इसमें क्या करना है। यह बड़ी खुशी की बात है कि इसके लिये एक अलग मन्त्रालय माननीय गौतम जी जैसे कर्मठ कार्यकर्त्ता की अध्यक्षता में बन गया है, तो वे इस बात को देखेंगे कि क्या कमी है, क्या बात है जिससे इस विभाग का कोई असर देहातों में नहीं पड़ सका है। मैं तो यह कहूंगा कि यह कोआपरेटिव डिपार्टमेंट है तो वास्तव में कोआपरेटिव और डिपार्टमेंट ये दोनों मिसनोमर हैं। कोआपरेशन एक अच्छी चीज है मगर सहकारिता विभाग के लोग जो देहातों में काम कर रहे हैं उनका सहयोग वहां के काश्तकारों से, या वहां के गरीब निवासियों से बिलकुल ही नहीं है। डिपार्टमेंट के लिये तो मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन वहां पर कोआपरेटिव सोसाइटीज़ के लिये यही कहा जाता है कि यह तो बिलकुल गैर सरकारी संस्थाएं हैं। लोगों ने अपना एक बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स अलग बना लिया है और वे ही लोग इसको चलाते हैं। तो हमें आम जनता के अन्दर कोआपरेटिव मूवमेंट के प्रति सही भावना पैदा करनी चाहिये जिससे लोग उसकी तरफ आकर्षित हों। मैं बड़े-बड़े अधिकारियों की बात नहीं कहता, क्योंकि सरकारी योजनायें जो होती हैं उनको वे हृदय से आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो वास्तविक फील्ड वर्कर्स हैं वे सरकारी नीति के बिलकुल विपरीत जाते हैं। आज होता क्या है? जब सोसाइटी कोई बनती है तो उस वक्त तक लोगों को फुसला कर, चन्दा लेकर उसका मेम्बर बना लिया जाता है लेकिन मेम्बर बन जाने के बाद एक मर्तबा चुनाव हो जाने के बाद न बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स की मीटिंग बुलायी जाती है और न उनकी तरफ से कोई काम ही किया जाता है। अपना काम बना कर वे बैठ जाते हैं और उस कार्य को सहकारी काम नहीं समझते। जो काश्तकार हैं वे भी सहकारी दूकान को सरकारी दूकान ही समझते हैं। जब काश्तकार कोई सामान या बीज लेने के लिये वहां जाता है तो उसे वह नहीं मिलता। जब वे बीज मांगते हैं तो वहां के कर्मचारी कहते हैं कि भाग जाओ, कल आना। जब इस तरह का व्यवहार लोगों के साथ किया जाता है तो फिर सहकारिता के साथ उनका प्रेम कैसे हो सकता है? सहकारिता के प्रति लोगों की लगन हो, वे उस तरफ इमबाइब हों, इस पर विशेष तौर से ध्यान देना चाहिये।

[श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह]

ऐसे मामले बहुत से सामने आये हैं कि सोसाइटीज के अन्दर बड़ी गड़बड़ी चल रही है। हमारे जिले में कई शिकायतें ऐसी मिली हैं कि जो एग्रीमेंट होता है उसका नाजायज इस्तेमाल किया जाता है। चार पांच वर्ष के बाद दूसरे के पास पर्ची आयी तो उनको मालूम हुआ कि उनके नाम कर्जा चढ़ा हुआ है। वे बेचारे चिल्लाते हैं, कहते हैं कि कैसा कर्जा है, हमने तो कर्जा ही नहीं लिया, कर्जा देने वाले सुपरवाइजर पता नहीं किस जिले में चले गये, काम करने वाले और कर्मचारी न मालूम किस जिले में चले गये लेकिन उनसे जबरदस्ती रुपया वसूल किया जाता है। इस तरह से उनके साथ अत्याचार और अन्याय किया जाता है। मैं पूछता हूं कि इसमें क्या दिक्कत थी कि हर साल उनको बतला दिया जाय कि किसने कितना कर्जा लिया है, किसके ऊपर कितना कर्जा बाकी है। वहां पर इससे काफी करप्शन बढ़ा है। हमारे यहां पास में ही एक सीड स्टोर कोआपरेटिव का है। जहां मैं रहता हूं वहां मैं जानता हूं और एक बंधा हुआ तरीका है कि जो एक मन बीज लेने जाता है उस को सेर, डेढ़ सेर जरूर कम मिलता है और जब वह अपना माल लेकर वहां वापस करने जाता है तो उससे इतना ही सेर, सवा सेर ज्यादा लिया जाता है। इस तरह से हर मन के पीछे जिसे कहते हैं, पसंगा लगाया जाता है, वह लगा रहता है। मैं चैलेंज करता हूं कि कोई इसकी वहां जा कर जांच करे। मुझे खुशी है कि माननीय मंत्री जी मनकापुर जाने वाले थे, वह वहां जायं तो जा कर कोआपरेटिव सीड स्टोर की जांच करें और काश्तकारों से पूछें कि यह कहां तक ठीक है तो उनको मालूम होगा कि इस तरह से वह एक बंधा हुआ तरीका हक की तरह उनका है और खुल्लमखुल्ला लिया जाता है। ताज्जुब की बात है कि ए० डी० ओ० जो उसी मकान में रहते हैं उन से कहा जाता है तो वह कहते हैं कि हमें कुछ नहीं मालूम, जबकि सैकड़ों किसान इस बात को कहने को तैयार हैं। यह जो कामदार आदि हैं जो काश्तकारों का तिरस्कार करते हैं और उन के साथ दुर्व्यवहार करते हैं उनके खिलाफ हालत यह है कि संचालक मंडल के सदस्य आवाज तक नहीं उठा सकते, वह कर्मचारी पुलिस कांस्टेबिल बनने की कोशिश करते हैं।

अगर हम इस आन्दोलन को सफल बनाना चाहते हैं तो जब तक बोर्ड आफ डायरेक्टर्स का नियंत्रण नहीं होगा, जब तक सदस्यों का और संचालक मंडल का उस पर कोई दबाव नहीं होगा तब तक सफलता नहीं मिल सकती और तब तक कोई नहीं समझेगा कि यह हमारा बोर्ड है और यह हमारा अपना आन्दोलन है और सहकारिता हमारा मूवमेंट है और इसकी सफलता में हमारे बच्चों का हित है। हम देखते हैं कि केन कोआपरेटिव में थोड़ी बहुत अब जान आ गई है। उसके जो सदस्य हैं, डायरेक्टर्स हैं वे अपने हक को परखते हैं, उस में लोग दिलचस्पी लेते हैं, वह समझते हैं हमारी केन सोसाइटी है। हमें उसका एलेक्शन लड़ना है, उससे भी उसमें जान आ जाती है, एलेक्शन के बहाने दिलचस्पी आ जाती है, लेकिन इन सोसाइटियों में अभी कुछ नहीं है। केन सोसाइटी की तरफ से कहीं-कहीं पुलिया, सड़क, हैंड पम्प आदि का प्रबन्ध हुआ है, उसे किसान अपनी चीज समझते हैं और उससे लाभ भी हुआ है। जब तक काश्तकार इसको अपना आन्दोलन न समझें, जब तक इसके लिये उनमें एक भावना नहीं बनती कि यह चीज हमारी है, हम ही इसको चलाने वाले हैं और सरकार तो केवल निगरानी करती है या मदद करती है। तब तक इसमें सफलता प्रप्त होने वाली नहीं है। अभी जो कोआपरेटिव संशोधन बिल यहां से पास हुआ है जिस में कि रजिस्ट्रार महोदय को पूरा अधिकार दिया गया है कि वह कोई हुक्म दे दें तो यह माना जायगा कि वह सोसाइटी की तरफ से पास हो गया। इससे हम उस चीज से बहुत दूर हट गये कि कोआपरेटिव मूवमेंट जनता का है। इससे लोग समझेंगे कि तुम कुछ नहीं हो, रजिस्ट्रार ही सब कुछ हैं, वह जो चाहे सो करें, इससे जो कुछ थोड़ी भावना थी वह भी खत्म हो गई, हमें तो उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करना है और उनकी इस भावना को दूर करना है कि इसमें रजिस्ट्रार महोदय ही सब कुछ हैं। आज भी कहा जाता है कि अगर हम सब अधिकार संचालक मंडल पर छोड़ दें तो वह सब लूट कर खा जायंगे। यही अंग्रेज भी कहा करते थे, जैसे चर्चिल कहते थे कि हम चले जायेंगे तो हिन्दुस्तानी आपस में

लड़कर मर जायंगे, वही दलील अभी भी सरकारी दल की तरफ से दी जाती है कि हमारे सुपरवाइजर और कामदार काम न करें तो डायरेक्टर तो लूट कर खा जायं। वैसे तो बड़े जोर शोर से एग्रीकलचरल कोआपरेटिव का जिक्र किया गया है, खेती में सहकारिता वाकई बहुत अच्छी चीज है, इसका मैं स्वागत करता हूं, लेकिन इस चीज को बहुत ही सोच समझकर काश्तकारों के निकट तक पहुंचाया जाय और उन पर लादा न जाय। मार्केटिंग आदि का भी जिक्र किया गया। मैं तो कहूंगा इन चीजों पर जोर दीजिये। किसान जो आज पैदा करता है उसका केवल ६० फीसदी मूल्य पाता है और ४० फीसदी मिडिलमैन ले जाता है। अगर उस ४० फीसदी को पूरा कर दीजिये तो उसका लाभ होगा। यही नहीं कि आप उसकी मार्केटिंग का प्रबन्ध कीजिये बल्कि आज इसकी भी आवश्यकता है कि आप उसके दाम फिक्स कर दीजिये जिस तरह से हर साल गन्ने का दाम फिक्स हो जाता है। उसी तरह यह फिक्स कर दीजिये कि अगले साल गेहूं का यह दाम मिलेगा। यही नहीं बल्कि यह हो जाय हम चाहे जहां अपना गल्ला रख आयें और हमें इतना दाम मिल जायगा। जब हमको यह विश्वास होगा तभी हमारी सहकारिता सफल हो सकती है।

कोआपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज और खोली जायं। मानी हुई बात है कि देहात परेशान है। अगर सस्ते सूद पर उधार मिलता रहे और इन सोसाइटीज के द्वारा रुपया वितरित हो जैसा कि मंत्री जी ने कहा कि ४० करोड़ रुपया बटेगा, मैं इसका स्वागत करता हूं, क्योंकि महाजनों द्वारा गरीब की दुर्दशा हो रही है, जो लोग उनके सम्पर्क में रहते हैं वही इसे जानते हैं। यह चीजें ऐसी हैं जिनसे लाभ हो सकता है। उनको आगे बढ़ाने के लिये अगर सहकारिता को सफल करना है तो भावना को बदलिये, और जो वातावरण बन गया है उसको दूर कीजिये। जहां तक खेती का सवाल है फंक्शनल कोआपरेटिव्ज लाइये। सिंचाई है, उसमें सफलता हो सकती है। एम्प्लोमेंट्स हैं, उसमें सफलता हो सकती है।

श्री जगदीश शरण अग्रवाल (जिला बरेली)—आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मेरा विश्वास है कि सहकारिता आन्दोलन के द्वारा हम स्वराज्य की नींव, उस ढांचे की नींव, डाल रहे हैं जिसको हम अपना लक्ष्य स्वीकार और घोषित कर चुके हैं। मेरा यह भी विश्वास है कि सहकारिता आन्दोलन में समाज, देश और राष्ट्र के कल्याण की सबसे अधिक पोटेंशियलिटी है।

ऐसे महत्वपूर्ण विषय के लिये माननीय मंत्री जी ने १ करोड़ ५५ लाख रुपये की मांग की है। हमें बड़ा हर्ष होता और इससे भी अधिक अनुदान स्वीकार करने में। उन्होंने अपने भाषण में यह कहा कि अनुदान का अधिकांश भाग स्टाफ के ऊपर व्यय हो रहा है। उसके कारणों पर भी उन्होंने प्रकाश डाला। हमें उसके स्वीकार करने में भी हर्ष होता है। माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि जिस समय हम उस व्यय को देखें तब हम उस तस्वीर को देखने की कोशिश करें जो तस्वीर हमारे सामने उस व्यय को करने के बाद आयेगी।

(इस समय ३ बजकर २३ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

लेकिन, श्रीमन्, उस तस्वीर को देखने के लिये स्वभावतः हमारी निगाह उस तस्वीर पर भी जाती है जो इस समय अब तक की इस सहकारिता आन्दोलन की हमारे सम्मुख है। मैं बड़े आदरपूर्वक यह कहना चाहता हूं कि इतना महत्वपूर्ण विषय रहते हुये भी आजतक हम उसको वह एम्फैसिस, वह प्रायोरिटी, वह महत्व नहीं दे पाये हैं जो हमें देना चाहिये। कदाचित् उसी का फल है कि आज इसमें हम को ऐसी कमी दिखायी पड़ती है।

[श्री जगदीश शरण अग्रवाल]

में बधाई देना चाहता हूं माननीय मंत्री जी को, जिन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में, कदाचित् अधिक से अधिक स्पष्ट शब्दों में इस विभाग की अब तक की कमियों को स्वीकार किया। मैं बधाई देने को तैयार हूं विभाग को भी। जो किताब हमारे सामने है उसमें स्पष्ट शब्दों में विभाग ने भी स्वीकार किया है कि यह सहकारिता आन्दोलन उस रूप में सफल नहीं हो सका जैसा होना चाहिये। आज आवश्यकता है कि हम रोग का निदान करें और यह देखें कि कहां पर दोष है और किस तरह से इसका सुधार हो सकता है।

मेरा विचार यह है कि इस सहकारिता आन्दोलन की जड़ों में भी भ्रष्टाचार पूरी तरह से घुस चुका है। अगर पुलिस विभाग में, अदालतों के नीचे के कर्मचारियों में भ्रष्टाचार हो तब समझा जा सकता है और उसमें इतनी चिन्ता की बात नहीं है। लेकिन जिस आधार पर हम देश का भविष्य बनाते जा रहे हैं अगर वही भ्रष्टाचार के आधार पर बना तब असीम चिन्ता का विषय है। मेरा ऐसा विश्वास है कि इस विभाग में नीचे के स्तर पर भ्रष्टाचार इतनी जल्दी बहुत गहरा स्थान ग्रहण कर चुका है और यह भी पूरी तरह से। यदि इस स्टेज पर उस पर पूरा ध्यान न दिया गया तो कदाचित् आगे बहुत देर हो जाय। मैं इसलिये भी आभारी हूं मंत्री जी का कि उन्होंने स्वयं ही अपने भाषण में इस बात की चेतावनी दी कि वे इस तरह की सारी बातों की तरफ पूरा ध्यान देंगे। मैं पुनः यही कहना चाहता हूं कि उसमें अधिक से अधिक कड़ा कदम उठाने का समय रहते हुये आवश्यकता है। मैं इसका कारण भी संकेत मात्र में निवेदन कर दूं। मेरी सम्मति में सबसे बड़ा एक यह भी कारण है कि आज जो भ्रष्टाचार है वह हमारे समाज की अनभिज्ञता, एजूकेशन की कमी और जानकारी की कमी की वजह से उसको बहुत प्रोत्साहन मिलता है। नीचे के लोग जिनके फायदे के लिये कोआपरेटिव सोसाइटीज खोली जाती हैं नहीं जान पाते कि उनसे क्या लाभ उनको पहुंचना है। थोड़े से वे व्यक्ति जो जानकारी रखते हैं वे उसका फ़ायदा उठा लेते हैं और उसकी मंशा ही खत्म हो जाती है, जिसके लिये वह कोआपरेटिव सोसाइटी बनती है। इसलिये मैं चाहूंगा कि इसकी जानकारी कराने का सबसे पहले प्रयत्न किया जाय। अगर मंत्री जी उचित समझें तो डिस्ट्रिक्ट इन्फार्मेशन आफिसर्स को इस कार्य के लिये इस्तेमाल करें, क्योंकि मेरी राय में उनके पास कोई ठोस काम बाकी नहीं रह गया है, कम से कम कोई अच्छा काम तो उनके द्वारा सम्पन्न हो सके।

इसके बाद मैं इस ओर भी ध्यान दिलाऊंगा कि कदाचित् हमारा प्रदेश ही ऐसा प्रदेश है जिसने अभी तक समय की प्रगति और इस सहकारिता आन्दोलन की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को देखते हुये अपने यहां कानून में सुधार नहीं किया है। आज से करीब ४५ साल पहले केंद्रीय सरकार द्वारा बनाये हुये कानून में थोड़ी बहुत हेर फेर करके ही उसके आधार से काम कर रहे हैं। प्रायः सभी प्रदेश इस ओर आगे बढ़ चुके हैं। अब समय है जब हम सहकारिता को अपना लक्ष्य मान चुके हैं तो हमें तुरन्त इस ओर भी ध्यान देना होगा। समय की कमी के कारण मैं दो-एक बातों की तरफ जिनका जिक्र मंत्री जी ने किया, संकेत करूंगा।

मंत्री जी ने जिन ४,५ तरह के प्रयासों का जिक्र किया, उनमें डेरीज का जिक्र था। मुझे दुख है कि जहां तक डेरीज का संबंध है, उसमें सबसे ज्यादा विकास की गुंजाइश है, लेकिन यदि हम उस लिट्रेचर को देखें जो हमें मिला है तो पता चलेगा कि आज भी वहीं हैं जहां हम १० साल पहले थे। इस दिशा में केवल इतनी सफलता मिली है कि केवल ७ नगरों में डेरीज बना पाये हैं। आज सरकार मानती है, समाज की आवश्यकता है कि अच्छा दूध मिले, आसान भी है, सम्भव भी है। लेकिन जब हम प्रगति को देखते हैं तो यही नतीजा निकलता है कि हमारा आन्दोलन बहुत धीमी गति से चल रहा है, यह ठीक नहीं है। मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा जोर इस ओर दिया जा सकता है। और डेरीज

का विकास करके न हम सहकारिता आन्दोलन को बल देंगे, बल्कि जनता की भी ठोस सेवा कर सकेंगे। और उनमें सहकारिता आन्दोलन के प्रति आस्था पैदा कर सकेंगे।

इसके बाद, श्रीमन्, जो मंत्री जी ने लार्ज स्केल सोसाइटीज का और मार्केटिंग सोसाइटीज का जिक्र किया, मैं पूर्णतया उनसे सहमत हूं कि आज सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि किसान को उनकी उपज का पूरा मूल्य मिल सके। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं उसमें गुड़ का विशेष व्यवसाय होता है, राब का विशेष व्यवसाय होता है। हम देखते हैं कि किसान की सीमित शक्ति का लाभ उठा कर जो बीच के लोग होते हैं वे उसकी उपज का पूरा रुपया नहीं देते हैं। गुड़ ऐसी वस्तु है जो पेरिशेबिल कमोडिटी है, उसको रखने की शक्ति किसान में नहीं होती है। अगर मार्केटिंग सोसाइटीज यह काम करें तो मैं कहूंगा कि इससे सहकारिता को बहुत बल मिलेगा। इसलिये इस पर ज्यादा जोर दिया जाय और ऐसी सुविधा किसानों को अवश्य प्रदान की जाय। आज हमारे सूबे में ५० करोड़ रुपये का गुड़ पूरे साल में बनता है। अगर इस ५० करोड़ रुपये के गुड़ के लिये यह मार्केटिंग सोसाइटीज हैंडिल कर लें तो कितना बड़ा लाभ हम किसानों को पहुंचा सकेंगे इसकी कल्पना की जा सकती है। मेरा तो विचार यह है कि एक या दो रुपया मन हम किसान को ज्यादा दे पायेंगे अगर हम वेयर हाउस फैसिलिटीज और मार्केटिंग फैसिलिटीज गुड़ के मामले में किसानों को दे सकें। वह गल्ले से भी अधिक आवश्यक है केवल इसलिये उसका नेचर पेरिशेबिल है। इसके अतिरिक्त मैं केवल इतना और निवेदन करके समाप्त करूंगा कि आज इस बात की भी बड़ी आवश्यकता है कि जो छोटे-छोटे धंधे हैं उन सब ही को सहकारिता आन्दोलन द्वारा उत्साहित करना चाहिये। जब हम प्राइवेट सेक्टर को रिप्लेस करने जा रहे हैं तो उसके दो ही साधन होंगे या तो सरकार उनको ले या कोआपरेटिव के हाथ वह आयें। मैं समझता हूं कि कोआपरेटिव के हाथ में ही उनका आना अधिक उचित होगा। उसके लिये हम बहुत बड़ी मात्रा में उनको सहायता दें और सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी सीमाओं का ध्यान रखा जाय। जो लोग उनमें लगे हुये हैं वह न पढ़े हुये हैं और न उन्हें कोई जानकारी है। उनके दरवाजे तक आपको वह सूचना और वह जानकारी पहुंचानी होगी जिससे कि वह उससे लाभ उठा सकें। यदि हम ऐसा न कर सकें तो हम उस लाभ से उन्हें वंचित रखेंगे जिसके लिये हम वह सोसाइटी बनाना चाहते हैं।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री पब्बरराम जी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। हमारे माननीय मंत्री जी ने जब इस अनुदान के लिये सदन के सामने अपना प्रवचन कहा तो उसमें यह भी उन्होंने प्रगट कर दिया कि वह इंडस्ट्रीज और केन कोआपरेटिव के बारे में कोई जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं ले रहे हैं। हमारे बस्ती के माननीय सदस्य ने जैसा अभी सदन के सामने कहा, सहकारिता की दृष्टि से क्रेडिट, केन और इंडस्ट्रीज इन तीनों को एक में ही शामिल करना आवश्यक है। जब तक ये तीनों एक में शामिल नहीं होतीं, एक ही मंत्री के अधीन ये विभाग नहीं होते तब तक देहात के लोगों को जिनके लिये यह सहकारिता का आन्दोलन चलाया जा रहा है, उनको कोई विशेष लाभ नहीं पहुंचाया जा सकता। मैं समझता हूं कि मंत्रिमंडल में इस सहकारिता के विषय को इस तरीके पर विभाजित कर देना कि सहकारिता का कुछ अंग दूसरे मंत्रियों के हाथ में चला जाय और कुछ बातें ऐसी हों कि जो सीमित कर दी जायं कि केवल यहीं तक सहकारिता मंत्री अपना दखल रख सकते हैं, यह मैं समझता हूं सहकारिता का कोई अच्छा नमूना नहीं है। श्रीमन्, मैं आपके द्वारा सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार पहले सहकारिता को अपने बीच में अमल करने का प्रयत्न करे। वह अपने माननीय मंत्रियों पर विश्वास करे। जो भी हमारे मंत्री हैं वह अनुभवी हैं और विशेषकर हमारे सहकारिता के जो मंत्री हैं वह हमारे प्रांत

[श्री देवनारायण भारतीय]

के गण्यमान्य नेताओं में से हैं और पहले मंत्री भी रह चुके हैं। उनका जो अनुभव है उसके आधार पर मैं यह नहीं समझ पाता कि ऐसे मुख्य विषय केन और इंडस्ट्रीज उनके विभाग में से अलाहिदा क्यों कर दिये गये ?

श्री उपाध्यक्ष---आपने यह कहा कि मंत्री रह चुके हैं। क्या आपका यह खयाल है कि इस समय मंत्री नहीं हैं ?

श्री देवनारायण भारतीय---मेरा मंशा यह था कि पिछला मंत्री रहने का अनुभव इस समय उस मंत्रिपद के लिये उनको अधिक सुयोग्य प्रमाणित करता है। तो इस विचार से मैंने यह बात कही। सहकारिता के लिये आवश्यक है कि सहयोग हो और सहयोग के लिये आवश्यक है कि सहानुभूति हो। यों तो आज जो नमूना इस सदन में ही हमारे सामने पेश है कि हम विरोधी दल के लोग कैसी भी भली बात कहें, लेकिन हमारे सरकारी पक्ष में कोई सद्भावना ऐसी नहीं आती कि वह उसे स्वीकार करने के लिये तैयार हो। इसके अलावा मंत्रिमंडल में भी ऐसी भावनायें मौजूद हैं कि एक विभाग के मंत्री दूसरे से सहयोग और सहानुभूति रखने के लिये अपने आप को असमर्थ पाते हैं। तो जब सदन के अन्दर सहकारिता का यह हाल है तो मैं नहीं समझ पाता कि सहकारिता का आन्दोलन बाहर कैसे कामयाब हो सकता है ? माननीय मंत्री सदन के बाहर इस बात का प्रयत्न करें कि सहकारिता का आन्दोलन जिस ब्यूरोक्रेसी के द्वारा चलाया जाता है देहातों में, उस नौकरशाही को खत्म किया जाय। अभी माननीय सदस्य, गोंडा ने जो बातें कहीं उन पर माननीय मंत्री जी ध्यान देंगे। देहात में सहकारी समितियों के जो सदस्य हैं, वे इस बात को नहीं जानते कि हमारे भी कोई अधिकार हैं। माननीय मंत्री उनकी जानकारी बढ़ाने की कोशिश करें कि सहकारी समितियों के सदस्यों के क्या अधिकार हैं इसको वे जानें। उन लोगों को अब तक यह भी ज्ञान नहीं है कि वे समितियों से कर्जा ले सकते हैं और अपनी उन्नति कर सकते हैं।

दूसरी प्रार्थना मेरी माननीय मंत्री जी से यह है कि मंत्री जी उन कर्मचारियों के अन्दर भ्रष्टाचार से घृणा और जनता के प्रति सद्व्यवहार से प्रेम बढ़ाने का प्रयत्न करें, जिनके द्वारा कि यह आन्दोलन देहात तक पहुंचता है। अभी सदन के सामने जो सबसे निम्न श्रेणी के कर्मचारी कामदार व सुपरवाइजर होते हैं उनकी मिसाल पेश की गई है। मेरा भी निजी अनुभव है। मैं एक समिति का सदस्य रहा हूं, लेकिन अपने अनुभव के आधार पर मैं यह कह सकता हूं कि पिछले ७ वर्षों में मुझे कोई लाभ उस अपने पैसे का नहीं मिला है जो मैंने उस समिति में इन्वेस्ट किया। मंत्री जी से मेरी यह प्रार्थना है कि प्रति वर्ष कोई भी तारीख चाहे मार्च हो या कोई दूसरा समय निश्चित हो उसमें प्रत्येक समिति के सदस्य को यह ज्ञात करा दिया जावे कि समिति को घाटा हुआ है या लाभ। दूसरे समिति के सदस्य अगर निम्न कर्मचारियों की शिकायत उच्च अधिकारियों के पास करें तो वे उसकी तत्काल जांच करें और देखें कि सुपरवाइजर व कामदार जनता के साथ बेईमानी का व्यवहार तो नहीं कर रहे हैं।

अपने अनुभव के आधार पर मैं यह कह सकता हूं कि यह भी बिल्कुल ठीक बात है कि जब बीज के लिये गल्ला सहकारी समितियों की तरफ से दिया जाता है तो बाट दूसरे होते हैं और जब लिया जाता है तो बाट दूसरे होते हैं। मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं और माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं। कि वह इस भ्रष्टाचार को देहात से रोकने का प्रयत्न करें। इससे साधारण जनता की श्रद्धा सहकारी आन्दोलन के प्रति बढ़ती नहीं है, बल्कि घटती है कि जबकि बीज लेने जाना पड़े तो उसको कम मिले और जब वह बीज का सवाया देने जाय तब उसको ज्यादा तौल में देना पड़े। यह एक ऐसा भ्रष्टाचार है जो देहात के कोने-कोने में असर करता है और जिसका परिणाम यह है कि इस सहकारी आन्दोलन की प्रगति तीव्रता के साथ देहात में नहीं बढ़ने पाती।

मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने जो अनुदान आज मांगा है वह कम है। अगर वे इससे अधिक भी मांगते तो हम उसका समर्थन कर सकते थे, लेकिन हमें इस कसौटी के प्रस्ताव का समर्थन करने का अवसर केवल इसीलिये मिला कि इस विभाग में जो अब तक कमी हैं उनको हम माननीय मंत्री जी के सामने पेश करना चाहते थे।

इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री ब्रजगोपाल सक्सेना (जिला हमीरपुर)--उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पूर्व वक्ताओं ने सहकारिता कितनी महत्वपूर्ण है देश के उत्थान के लिए, कितनी आवश्यक है समाज के उत्थान के लिए, उसकी कितनी जरूरत है समाज के समाजवादी ढांचे के निर्माण के लिए, इस पर बड़ा लम्बा-चौड़ा प्रकाश डाला--इधर वालों ने भी और उधर वालों ने भी। मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे मंत्री महोदय, जो कि कांग्रेसी हैं, उनका हमारे विरोधियों ने बड़ा समर्थन किया। हमारे मंत्री जी ने एक ऐसा बजट पेश किया है, ऐसा अनुदान मांगा है, जो कि वह समझते हैं नाकाफी जरूर है, लेकिन जिस स्पिरिट के साथ उन्होंने मांग की है, उसकी उन्होंने दाद दी है। लेकिन मुझे खेद इस बात का है कि सहकारिता जैसी इस सूबे में बढ़ती जा रही है, यह आन्दोलन जैसा रूप ले रहा है उसकी कटु निन्दा जितनी इस तरफ के सदस्यों ने की उतनी उस तरफ से भी हुई और इससे मैं भी सहमत हूं। मेरा इस डिपार्टमेंट से संबंध रहा है और मुझे बड़ा अनुभव है। मैं नम्बर आफ ईयर्स मैनेजिंग डायरेक्टर कोआपरेटिव बैंक का रह चुका हूं। मैंने बड़ा प्रयत्न किया और डिपार्टमेंट के ऊंचे अधिकारी, और यदि, श्रीमन्, माफ करें, मंत्री महोदय भी, उस समय जो मंत्री थे, उनको लिखा कि इस आन्दोलन को प्रगति देने के लिए, सही मानों में प्रगति देने के लिए वे क्या कर रहे हैं? यह जबानी बात नहीं, बल्कि कागजी सबत के साथ मैंने यह जाहिर कर दिया और साबित कर दिया कि सहकारिता आन्दोलन को विभाग के सर्वेन्ट्स व आफिसर्स द्वारा कितना धक्का पहुंचाया जा रहा है। वह इतना लम्बा विषय है कि शायद पूरा बयान किया जाय तो घंटों लगें। तो मान लीजिये ऐसी चीजें हुईं, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया? क्यों। मैं बिलकुल सहमत हूं अपने पूर्व वक्ता के कथन से कि सहकारिता जब ऊंचे स्तर पर नहीं होती है तो उसका असर निम्न स्तर पर कैसा पड़ता है? यह हमारा दुर्भाग्य है, हमारे, देश का दुर्भाग्य है कि ऐसी चीज है। वह है। मुझे दुःख इस बात का अवश्य हुआ कि हमारे पूर्व वक्ता महोदय ने यह कहा कि प्रशासकीय स्तर पर सहकारिता के टुकड़े कर दिये गये हैं। विभाग जो उसके तीन हैं वह एक मिनिस्टर को नहीं दिये गये हैं। मेरा खयाल है कि उनका मंशा यह है कि वह उनको दे दिये जाते, लेकिन यदि वह मुझे क्षमा करें तो जिस प्रकार चर्चिल साहब ने कोशिश की थी कि जवाहर लाल नेहरू और सुभाष चन्द्र बोस में भेद पैदा हो जाय, उसी नीति का अनुसरण किया गया है और उससे कम युक्ति से काम नहीं लिया है। जब ज्वाइंट रेस्पांसिबिलिटी मंत्रिमंडल की है तो यदि एक हिस्सा किसी मंत्री के पास है और दूसरा भाग दूसरे के पास तो उसमें क्या दिक्कत पड़ती है? मंत्री महोदय ने कोई आक्षेप नहीं किया, कोई शिकायत नहीं की, उन्होंने ऐसी दिक्कत महसूस नहीं की कि इससे सहकारिता नाकामयाब हो रही है।

श्री देवनारायण भारतीय--उपाध्यक्ष महोदय .....

श्री उपाध्यक्ष--आप क्या कोई व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहते हैं?

श्री देवनारायण भारतीय--जी हां। माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में इस बात को कई बार कहा कि मैं केन और इंडस्ट्रीज के बारे में कोई जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने के लिए तैयार नहीं हूं और न माननीय सदस्यों को इस संबंध में कोई बात कहनी चाहिए। इससे प्रगट होता था कि माननीय मंत्री जी इसमें अपनी जिम्मेदारी रखना चाहते थे और वह उनको नहीं दी गयी।

श्री उपाध्यक्ष—इस तरह के सवाल जवाब न उठाये जायं तो अच्छा हो। यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। यदि आप यह कहते कि मैं अपना निजी स्पष्टीकरण देना चाहता हूं तो उसकी इजाजत दी जा सकती थी। आयन्दा खयाल रखिये कि व्यवस्था का प्रश्न उठा कर इस तरह की बातें न कही जायं। माननीय मंत्री जी अपने आप जवाब दे देंगे। आपको क्या परेशानी है ?

श्री व्रजगोपाल सक्सेना—अब मैं सहकारिता के मुख्य विषय पर आना चाहता हूं। मैंने अपने पूर्व वक्ताओं के भाषणों को बड़े गौर से मनन किया लेकिन मुझे नहीं मालूम पड़ा कि किसी ने कोई कांक्रीट सुझाव दिये हों। यह ठीक है कि इस विभाग में कमजोरी है, इसका स्तर गिरता चला जा रहा है लेकिन उन्होंने उसके सुधार के लिये क्या सुझाव दिये ? मैं अपने बच्चों को देखता हूं और कहता हूं कि तुम बड़े कमजोर हो, तुम्हें सुबह उठना चाहिये, व्यायाम करना चाहिये, दूध पीना चाहिये आदि। इसी तरह की बात कहता हूं, लेकिन उन्होंने इसको सुधारने के लिये क्या बताया ?

माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम ध्यान रखेंगे कि इस विभाग में करप्शन न होने पाये। श्रीमन्, यदि इस विभाग में करप्शन होगा तो हमारा समाज नष्ट हो जायगा। और चूंकि इस विभाग में करप्शन होता है इसलिये आज समाज का निर्माण नहीं हो रहा है बल्कि समाज गिरता जा रहा है। अगर कोई सवाल उठाया जाय तो उसको जनता-जनार्दन देखती है और उसका उसमें सहयोग होना चाहिये। यदि किसी काम की शुरूआत अच्छी कर दें तो वह काम ठीक होता है। इसीलिये कहा जाता है कि "वैल बिगिन इज़ हाफ डन"। मुझे दुःख है कि हमारे प्रदेश में सहकारिता की शुरूआत अच्छे ढंग से नहीं की गई है।

मैं कांक्रीट सुझाव देना चाहता हूं। मैं चैलेंज नहीं करता कि इस विभाग के अधिकारी या मंत्री जी करप्शन को उखाड़ना नहीं चाहते हैं। लेकिन उसके लिये एक तरीका होता है, उसके लिये कोई नियम बनाये जाते हैं। हमारी कांग्रेस की एक बैठक हुई थी और उसमें जिलों के प्रेसीडेंट और मंत्रियों को बुलाया गया था तो उसमें लोगों ने कहा कि करप्शन दूर करने के लिए एक अफसर मुकर्रर कर दिया जाय तो इस पर कहा गया कि वह भी करप्ट हो जायगा। इसी तरह से मंत्री जी ने ज्यादा आर्डीटर्स रखने की बात कही है, ठीक है, लेकिन देखना यह है कि किस तरह से करप्शन दूर हो ? मैं सबसे पहले कर्ज की सोसाइटी को लेता हूं जिनके द्वारा सहकारिता आंदोलन शुरू हुआ। इनका परपज बढ़ा दिया गया है और आज यह मल्टी-परपजेज सोसाईटीज बन गई हैं। आज इनका विस्तार बहुत बढ़ गया है। यदि ये सोसाईटीज ठीक से काम करें तो इंडिपेंडेंट हो जायंगी। लेकिन मेरा खयाल यह है कि ५ प्रतिशत सोसाईटीज भी इंडिपेंडेंट नहीं बन पाई हैं। इसके क्या माने हैं ? इसके माने हैं कि इधर ध्यान नहीं दिया गया है। मेरा सुझाव यह है कि जिस अफसर के मातहत, मस्लन इंस्पेक्टर को ले लीजिये, सोसाइटीज इंडिपेंडेंट होती जा रही हैं तो उनका काम ठीक है, उनको इनाम दीजिये।। अगर गिरती चली जा रही हैं तो उनको दंड दीजिये। अगर इस तरह से सरकार काम करेगी तो जरूर कामयाबी होगी।

दूसरी बात मैं अपने अनुभव से यह कहता हूं कि मनी लैन्डर्स के बोझ से जनता को बचाने के लिये पैसे का लेन-देन सोसाइटीज के लिये करना जरूरी हुआ लेकिन मैं देखता यह हूं कि जैसे गांव सभाओं के चुनाव में अभी वही फ्यूडल लार्ड्स काबिज हो रहे हैं उसी से इस मामले में भी कुछ पैसे वाले इन्डिविजुअल्स सोसाइटी में प्रभावशाली हो गये और उन्होंने खुद सोसाईटीज से नीची ब्याज पर कर्ज लेकर सदस्यों को ऊंची दर पर कर्ज देना शुरू कर दिया। इसलिये अगर नियमों में कुछ ऐसा संशोधन किया जा सके कि इतनी हैसियत के आदमी इसके मेम्बर नहीं बन सकते तो मेरा खयाल है कि सही मानों में कोआपरेटिव सोसाईटीज अपना काम कर सकेंगी। मेरे कहने का मतलब यह है कि इसी लाइन पर ऐसे कांक्रीट काम किया जावें जिससे काम अपने आप बनता चला जावे। जैसा कि मैंने बतलाया कि बच्चा सुबह उठेगा, ब्रह्मचर्य रक्खेगा, कसरत करेगा, दूध पियेगा, चाट नहीं खायेगा, तन्दुरुस्त जरूर हो जायगा। इसी तरह से सहकारी समितियों के संचालन के लिये ऐसे तरीके बताइये

जिससे ठीक तरह से काम हो सके। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि यू० पी० कोआपरेटिव फेडरेशन का सेल्समैन, जिसके ऊपर हजारों रुपयों के गबन का मामला साबित हो गया और वह निकाल दिया गया, लेकिन फिर वही बैंक में आनरेरी ट्रेजरर बना दिया गया और डेढ़ साल से काम कर रहा है।

श्री उपाध्यक्ष—अब आपका समय समाप्त हो गया।

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद (जिला सीतापुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जब मंत्री महोदय अपना भाषण दे रहे थे उस समय मैंने यह प्रयत्न किया कि मेरी समझ में आये कि आखिर वे किस प्रकार के कोआपरेटिव मूवमेंट की ओर जनता को ले जाना चाहते हैं। हर प्रकार का उसमें जिक्र था और मैं इस मूवमेंट का बहुत दिनों से अध्ययन करता आ रहा हूं, कुछ जबर्दस्ती भी पढ़ना पड़ा। मैंने देखा कि कोर्स बुक में हर साल मूवमेंट की एक नयी धारा बदल जाती थी—अनलिमिटेड सोसाइटी, लिमिटेड सोसाइटी, क्रेडिट सोसाइटी, मल्टी परपज सोसाइटी। फिर उसके बाद एक दम से इसी साल लार्ज साइज सोसाइटीज बनायी गयीं और पुरानी सब डिजाल्व हो गयीं। इस प्रकार रोज पुरानी डिजाल्व होती हैं और नयी बनती हैं। मैंने तो व्यापार में पढ़ा था कि अगर कोई पुरानी दुकान होती है तो उसकी धाक जम जाती है। यह नयी बात मैंने देखी कि पुरानी सोसाइटी को डिजाल्व कर दिया जाता है। इस रोज-रोज के परिवर्तन से काश्तकार को बड़ी दिक्कत होती है। कभी तो कामदार जाता है और कहता है कि सफाई करो, मंगल योजनायें भी इसमें शामिल हैं, दवाओं का प्रबन्ध भी इसी में है, ड्रेनेज चैनेल्स भी खोदना है और उसके बाद यह होता है कि यह सब कुछ नहीं, अब तो यहां पर एक सीड स्टोर खुलवाना है, उसमें हमारी सहायता कीजिये। उसके बाद कहते हैं कि अब लार्ज साइज सोसाइटीज बनानी हैं, पुरानी सब सोसाइटीज डिजाल्व हो गयीं। नयी सोसाइटीज का १० हजार रुपये शेयर कैपिटल जमा किया गया। पुरानी सोसाइटी पर बैंक का साढ़े ७ हजार रुपया कर्ज था। जब हमने वह रुपया बैंक में जमा किया तो उन्होंने कहा कि जो पुरानी सोसाइटी डिजाल्व हो गयी है उसके ऊपर साढ़े ७ हजार रुपया कर्जा था, उसको हम काट लेंगे। वह कर्जा काटने के बाद १० हजार के ढाई हजार ही बचे। बैंक रेट के हिसाब से ढाई हजार पर २०,००० रुपये ही कर्ज मिल सकते हैं। उसी पर हमें संतोष करना पड़ा। १०,००० रुपये तो इकट्ठा किये और मिले केवल २०,००० रुपये ही। शेयर वैल्यू का आठ गुना कर्जा देना चाहिये। लेकिन जब हम देखते हैं कि हमारी लोन वैल्यू सिर्फ २०,००० रुपये है तो पता चलता है कि बहुत थोड़े ही व्यक्तियों को उस हिसाब से कर्जा दिया जा सकता है। जनता यह समझती है कि हमने उसके साथ धोखा किया।

इसके अलावा जो दूसरी दिक्कत जनता के सामने लार्ज साइज सोसाइटीज के बनने से आयी वह यह है कि नकद रुपया सेन्ट्रल बैंक से आता है। एक कामदार है। मान लीजिये आपने बोर्ड आफ डायरेक्टर्स में पास कर दिया कि हम फलां व्यक्ति को इतना रुपया देना चाहते हैं। उसकी हैसियत एसेस हो गई, उसके बाद भी रुपया इंस्पेक्टर द्वारा पास होना चाहिये और इंस्पेक्टर साहब बराबर दौरे पर रहते हैं। मेरे जिले में इंस्पेक्टर हैं, बरसात चली गई, मैं अपनी सोसाइटी को जानता हूं कि बैल खरीदने के लिये किसी भी किसान को पैसा नहीं मिल सका। अब अगर २ महीने बाद किसी को रुपया देंगे तो सिवाय वह उसका स्वयं प्रयोग करे और कुछ नहीं होगा और उसके बाद कहेंगे कि काश्तकार रुपया नहीं देता या उस रुपये का बेजा इस्तेमाल करता है। हर चीज समय से अच्छी लगती है। तो मैं सबसे पहले प्रार्थना करूंगा कि इतनी सब ग्रांट के बाद, इतने सुपरवाइजर्स और कामदारों के बढ़ाने के बाद वह ४० करोड़ रुपया

[श्री टम्बरेश्वर प्रसाद]

समय पर नहीं मिला और बीच में मिला तो न मालूम कितना इंटरेस्ट हम उस रुपये का बिला उपयोग किये हुये दे देंगे और इसीलिये जनता की समझ में नहीं आता कि यह कोआपरेटिव मूवमेंट क्या है ।

जहां तक सीड स्टोर्स की बात है और कर्ज को छोड़ कर अन्य सोसाइटियों की बात है मैं यह कह सकता हूं कि जब हम सीड स्टोर्स को देखते हैं तो डेवलप्ड बीज जो कृषि फर्मों को मिलता है उसके लिये वहां कोई कृषि विशेषज्ञ नहीं है जो यह बता सके कि जो बीज बदला जा रहा है वह कैसा है ? सीड स्टोर बन्द कर दिया जाता है । और उसके बाद बीज टेस्टिंग के लिये भेजा जाता है और वहां से वे कहते हैं कि २० परसेंट बीज भी उसमें सुधरा हुआ नहीं है और इसको रिजेक्ट करना चाहिये । इस प्रकार की दिक्कतें हैं । मूवमेंट को बढ़ाते जाना बड़ा आसान है, लेकिन जो विशेष काम आपने अपने ऊपर ले लिया है उसको अच्छी तरह से चलाना है । वह काम यह है कि ४० करोड़ रुपये अगर हमको बांटना है तो यह देखना चाहिये कि वह बीज किस प्रकार से लोगों तक आसानी से समय पर पहुंच जाय या बीज बांटना है तो वह आसानी से समय पर पहुंच जाय । तो मेरी आपसे यह प्रार्थना है कि अगर बीज और यह सब चीजें समय से उपलब्ध हो जायं तो हम शायद अपने कृषि के प्रोडक्शन को बहुत कुछ बढ़ा सकें ।

मिल्क यूनियन्स की बात कही जाती है । इस यूनियन्स के दो भाग हैं । एक तो जब गांवों से दूध चलता है और दूसरा जब यहां आता है । अगर हमें सुविधा देनी है कि गांवों से हम अपना दूध बेच सकें तो वह सुविधा कोल्ड स्टोरेज वैन्स के रूप में दें या रेलवे में ठंडे कम्पार्टमेंट्स के रूप में मिल जाय तो ५०-६० मील से लखनऊ में दूध आसानी से पहुंच सके, बजाय इसके कि यहां लखनऊ में आप कोल्ड स्टोरेज बना दें तो उससे लखनऊ निवासियों को भले ही फायदा हो जाय कि वह दूध पास्चराइज्ड पा सकें, लेकिन जहां तक गांवों का प्रश्न है, मुझे दुख है कि कोई भी लाभ हमारे कृषकों को नहीं हो सकता जो दूर के हैं और शहरों में अपना दूध बेंचना चाहते हैं । किस तरह वह अपना दूध बेंचें जब तक इस प्रकार की सुविधायें नहीं देते । दूध बस के ऊपर रखा रहता है, क्रीम अलग हो आता है और नीचे का दूध सपरेटा रह जाता है और यह समस्या दूध की हमारे सामने आती है । अक्सर माननीय सदस्यों को जिनके पास कोआपरेटिव का दूध आता है इस दूध फटने की समस्या का सामना करना पड़ता है । अगर आप यह नहीं चाहते हैं तो कोआपरेटिव सोसाइटीज का ध्यान उस ओर भी जाना चाहिये ।

मैं इस सम्बन्ध में एक बात और कहना चाहता हूं जो सिंचाई के समय आ सकती है । कोआपरेटिव विभाग के पास सिंचाई का भी कुछ प्रबन्ध है । इरिगेशन सोसाइटीज बनी हुई हैं । उन्होंने ट्यूबवेल्स बना दिये हैं करीब १८ हजार रुपये की लागत से ट्यूबवेल्स उसके बने हुये हैं । इन ट्यूबवेल्स ने कृषकों की कमर तोड़ दी है, लेकिन इसके बाद भी ये ठीक प्रकार से चलते नहीं और इनका इंटरेस्ट सदस्यों पर तमाम पड़ता चला जाता है । मैं इस विभाग से प्रार्थना करूंगा अगर ये ट्यूबवेल्स आप के अधिकार में न हों तब भी उन कोआपरेटिव ट्यूबवेल्स के, जिनसे कि सिंचाई के बढ़ जाने की आशा है, खोलने पर विशेष ध्यान देने की कृपा करेंगे ।

अभी-अभी तमाम सदस्यों ने यह बतलाया कि यह मूवमेंट जनता के रूप में अपने को नहीं रख पाता और आन्दोलन अधिक से अधिक अधिकारियों के हाथों में होता चला जा रहा है । आप पूछेंगे कि इसके लिये हम क्या कर सकते हैं । इसके लिये हम यह कर सकते हैं कि जनता के चुने हुये सदस्यों को अधिक से अधिक अधिकार दें । या वह सदस्य नहीं रहे, जिन्होंने पैसा नहीं लगाया है या तकावी लेने वाले हैं, ये वे सदस्य हैं जो अपना पैसा, कर्ज का १८/, आप को शेयर कैपिटल के रूप में देते हैं और जिनकी हैसियत आपने एसेस कर ली है । फिर यह समझ में नहीं आता कि बोर्डों को अधिकार दे दें और उस बोर्ड में उन्हीं अधिकारों को रखने

का प्रयत्न भी करें। अगर आप इस तरह का कोई अधिकार देना भी चाहते हों तो मैं आप से प्रार्थना करूंगा कि उनके ही चुने हुये सदस्यों की जिला स्तर पर या जिस स्तर पर आप समझें, कोई ऐसी समिति बना दें कि जो हर सोसाइटी में जा कर जांच करे और उसको इसके सर्वाधिकार प्राप्त हों कि वह सोसाइटी अच्छी तरह से काम कर रही है या नहीं।

इस समय मैं एक बात की ओर आपका ध्यान और दिलाना चाहता हूं। आपने सोसाइटीज के बहुत से आंकड़े दिये हैं कि इतनी खोली गईं और इतनी खोली जायंगी। मैं माननीय मंत्री जी से आप के द्वारा जानना चाहता हूं कि इनमें केवल ५ प्रतिशत ही ठीक चलने का क्या कारण है? मैं आप को बता दूं कि पुरानी सोसाइटीज में न मालूम कितनी लिक्वीडेट हो गई हैं, जिनमें धन का अपव्यय हुआ है। आप के पास सोसाइटियों का लेखा जोखा रहता है, आप को देखना चाहिये कि ये सोसाइटियां क्यों लिक्वीडेट हो गईं। मुझे इस सिलसिले में एक कोआपरेटिव मूवमेंट का ध्यान आ गया कि जिसमें जनता ने कोआपरेटिव बेसिस पर एक शुगर फैक्ट्री को चलाने का प्रयत्न किया था। यह मेरे जिले की बिस्वां शुगर मिल की बात है। उसमें जनता ने इस आशा से बहुत सा अपना धन लगाया कि हम उस फैक्ट्री को प्रोग्रेस की शुगर फैक्ट्री बनायेंगे। १९२० के लगभग की यह बात है। सब से पहले वही कोआपरेटिव मूवमेंट की फैक्ट्री थी, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया गया, इसलिये वह टूट गई।

बहुत से वे लोग जिन्होंने, इस आशा से कि सहकारिता में उनका रुपया सुरक्षित है, अपना रुपया उसमें लगाया था, उनकी आशाओं पर तुषारापात हुआ। मुझे भय है कि कहीं इन फैक्ट्रीज और मिल्स की जो स्थापना हो रही है उनका नतीजा भी यही न हो। ऐसा होने से जनता अपना धन और साथ में कोआपरेटिव में अपना विश्वास भी खो देगी। यह जो केवल पांच प्रतिशत सोसाइटियां चल रही हैं इनकी संख्या देख कर जनता का विश्वास जमता नहीं, वह टूटता है, इस ओर भी माननीय मंत्री जी का ध्यान जाना चाहिये।

(श्री उपाध्यक्ष द्वारा श्री रामलखन सिंह का नाम पुकारे जाने पर)

श्री अवधेश प्रताप सिंह (जिला फैजाबाद)––मुझे यह निवेदन करना है कि समय बढ़ाने के लिये अगर आप के पास प्रस्ताव आ चुका हो तो बात दूसरी है अन्यथा

श्री उपाध्यक्ष––आप बाद में उसे लाइयेगा। अभी नहीं।

श्री रामलखन सिंह (जिला जौनपुर)––आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सब से पहले मैं आप का आभारी हूं कि आप ने मुझे आज पहले पहल हजारों मर्तबा उठने बैठने के बाद समय दिया....

श्री उपाध्यक्ष––बार-बार उठने बैठने से मेम्बरान अपनी जगह पर फिट रहते हैं ऐसा मैं समझता हूं।

श्री रामलखन सिंह (जौनपुर)––श्रीमान् जी से मैं अदब से निवेदन करना चाहता हूं कि वह नये सदस्यों को भी समय देने की कृपा किया करें...

श्री उपाध्यक्ष––यह नीति मैं घोषित कर चुका हूं।

श्री रामलखन सिंह (जौनपुर)––आज सहकारिता के आन्दोलन की चर्चा सदन में चल रही है। सब से पहले मैं अपने माननीय मंत्री को उनके भाषण के लिये धन्यवाद देना चाहता हूं।

श्री भजनलाल––उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक व्यवस्था चाहता हूं। क्या हाउस के अन्दर कोई सदस्य बैठ कर चाय पी सकते हैं?

श्री उपाध्यक्ष—जी हां, इसमें कोई खास बात नहीं है।

श्री रामलखन सिंह (जौनपुर)—माननीय मंत्री जी ने जो भाषण दिया है, जो रुख वह अख्तियार करना चाहते हैं और जो कदम वह उठाना चाहते हैं उसके लिये मैं उनको धन्यवाद देता हूं।

सहकारिता का आन्दोलन हमारे राज्य में काफी दिनों से चल रहा है और इसमें कोई दो रायें नहीं हो सकतीं कि सहकारिता से देश की प्रगति होती है, रहन-सहन का स्तर ऊंचा होता है और इसके द्वारा हर किस्म की तरक्की की जा सकती है। लेकिन हमें ढूंढ़ना यह है कि सहकारिता के द्वारा जो प्रगति होनी चाहिये थी हमारे राज्य की, इतने दिन उसके आन्दोलन को चलते रहने के बाद, वह क्यों नहीं हुई। आज सहकारिता की इसलिये और भी उपयोगिता है कि जब हमारे देश के कर्णधारों ने यह निश्चय किया है कि हमें राज्य में और देश में समाजवाद के ढांचे का समाज बनाना है। इसके लिये सहकारिता के आन्दोलन को विशेष-रूप से चलाने की जरूरत है। पहले जो सहकारिता समिति गांव में रहती थी वह केवल अपना कार्य समझती थी कि जरूरत पड़ने पर कुछ थोड़ा कर्जा ले लिया जाय और उस कर्जे को शादी विवाह या जो छोटे-छोटे काम हों उनमें दे दिया जाय, लेकिन यह चीज गांव में अभी तक चलती है। सहकारिता के अन्दोलन को चलाने के साथ-साथ हमारे जो समिति के सदस्य हैं और जो सहकारिता आन्दोलन में भाग लेते हैं उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिये। उनको बताना चाहिये कि सहकारिता से कौन-कौन से कार्य कर सकते हैं। यद्यपि हम जानते हैं कि सहकारिता की वजह से जो गांव में खेती करने वाले हैं और जिनकी हालत बड़ी खराब हुआ करती है बिला कुछ कर्जा लिये वह खेती नहीं कर सकते हैं। उनको बीज खरीदना होता है और दूसरी चीजें लेनी पड़ती हैं। वे कर्जे के बिना काम नहीं चला सकते। पहले गांव में लोग कर्जा ले लिया करते थे लेकिन अब कोई कर्जा देता नहीं है। अब वह इसलिये कर्जा नहीं देना चाहते हैं कि कानून की वजह से वह इस तरह से मजबूर कर दिये गये हैं कि अपनी मनमानी नहीं कर सकते। इसलिये सहकारिता से खेती में काफी तरक्की हुई है। वह केवल कर्जा ही नहीं देते हैं। हरी खाद भी देते हैं और कम्पोस्ट खाद बनाने का भी काम सहकारिता के आधार पर किया जा रहा है। इस तरह से खेती में काफी प्रगति हुई है। पहाड़ी इलाकों में भी सहकारिता आन्दोलन का प्रचार हो रहा है, जिससे वहां भी प्रगति हो रही है।

मैं जौनपुर जिले का रहने वाला हूं। हमारे जिले में व्यावसायिक दृष्टि से आलू बहुत होता है। आलू और ईख यही दो हमारे यहां ज्यादा होते हैं। आलू के लिये हमने देखा कि सितम्बर और अक्तूबर के महीने में वहां जो खेती करने वाले हैं दूसरे सूबे बिहार से साठा नाम का बीज खरीदने के लिये जाते हैं और वहां से ३५,४० रुपये में लाकर किसानों के हाथ बेचते हैं। यही बीज हमारे यहां ५, ६ रुपये मन जाता है और वहां से ३५,४० रुपये में लाकर बेचा जाता है। अगर हमारे जिले जौनपुर में कोआपरेटिव की तरफ से कोई कोल्ड स्टोरेज बना दिया जाय तो इससे वहां पर अच्छी व्यवस्था हो सकती है। हमारे जिले में एक प्रतिष्ठित रईस जो हमारे इस सदन के सदस्य भी हैं उनके यहां कोल्ड स्टोरेज है। वह ४, ५ रुपये के भाव पर आलू खरीदते हैं और ऊंचे दाम पर फिर बाद को उसको बेचते हैं। अगर कोआपरेटिव सोसाइटी होती तो उससे हमारे जिले के किसानों को काफी लाभ हो सकता था।

इसी तरह से हमें अपने जिले का अनुभव है कि सहकारिता का कार्य जिस तरह से होना चाहिये उस तरह से नहीं हो रहा है। हमारे जिले में १८, २० भट्टे ईंटों के चल रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि उन भट्टों से कोआपरेटिव को क्या फायदा हो रहा है। मैं समझता हूं कि कोई भी फायदा उनसे नहीं हो रहा है। सहकारिता से वह काम नहीं होता है, बल्कि उनकी तरफ से कुछ लोगों को ठेका दे दिया जाता है। वह ठेकेदार ठेका लेकर जिस तरह से कर सकता है लूट खसोट करता है। प्राइवेट भट्टों की शिकायत है, लेकिन उनसे भी ज्यादा सहकारिता

भट्टों की शिकायत सुनने को मिलती हैं। मैं आप के द्वारा मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक इन सब में सुधार नहीं होगा तब तक सूबे में काफी प्रगति नहीं हो सकेगी और न सहकारिता का आन्दोलन ही सफल हो सकता है।

हमारे जिले में लोहे की दुकान सहकारिता विभाग की है, लेकिन वह भी किसी व्यक्ति विशेष को दी गयी है वह उसको बेचता है। हो सकता है कि कोआपरेटिव को फायदा होता हो, लेकिन जनता को कोआपरेटिव मूवमेंट से जो फायदा होना चाहिये या कोआपरेटिव सोसाइटीज के मेंबरान को जो फायदा होना चाहिये वह नहीं होता है। मैं आप से यह प्रार्थना करूंगा कि इस आन्दोलन को चलाने के लिये हमें कुछ ट्रेन्ड आदमियों की जरूरत है। हमें ऐसे आदमियों को तैयार करना है, जिनके अन्दर त्याग और उत्साह हो और देश की प्रगति के लिये जिनके अन्दर एक लगन हो।

इस तरह कोआपरेटिव आन्दोलन को चलाने के लिये उत्साही और त्यागी आदमियों को ट्रेन करने की आवश्यकता है और यही सहकारिता के लिये असली चीज होगी। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी को फिर से एक मर्तबा बधाई देता हूं और इस अनुदान नंबर २६ का समर्थन करता हूं।

श्री अवधेशप्रताप सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से यह प्रस्ताव रखना चाहता हूं कि सदन का समय आधा घंटा बढ़ा दिया जाय।

श्री कुंवरकृष्ण वर्मा (जिला सुल्तानपुर)—मैं समझता हूं कि शायद बहुत स माननीय सदस्य इस विषय पर बोलना चाहते हैं इसलिये बजाय आध घंटे के एक घंटा बढ़ा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—प्रस्तावक महोदय ने आधा घंटा समय बढ़ाने का प्रस्ताव रक्खा था और माननीय मंत्री को उसमें कोई एतराज नहीं है। इसलिये आधा घंटे का समय बढ़ाना ही ठीक होगा।

श्री अवधेशप्रतापसिंह—श्रीमन्, एक घंटा समय बढ़ाने के लिये भी मुझे कोई ऐतराज नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—अगर इसको मान लिया जाय तो बारह बजे तक भी सब की इच्छा-पूर्ति संभव न हो सकेगी। मैं समझता हूं कि आध घंटे का समय काफी है, इसलिये हम साढ़े पांच बजे तक बैठेंगे।

श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)—उपाध्यक्ष महोदय, भारत जैसे पिछड़े हुये देश में जहां पर आर्थिक और औद्योगिक विकास के लिये सामान्य साधन भी उपलब्ध नहीं हो पाते वहां सहकारिता ही वह आधारशिला है, जिसके ऊपर हम देश और समाज का नवनिर्माण कर सकते हैं और नयी जीवन प्रणाली भी ढाल सकते हैं। ऐसे महत्वपूर्ण विभाग के लिये यदि अनुदान के रूप में किसी भी चीज की मांग की जाय तो हर माननीय सदस्य को उसका समर्थन करना चाहिये। लेकिन मुझे खेद है कि अब तक इस विभाग की तरफ से जो कार्यवाहियां हुई हैं और सरकार की ओर से जो सहकारिता नीति अपनायी गयी है, उसने मुझे प्रभावित नहीं किया है और मैं समझता हूं कि मैं ही नहीं बल्कि इस प्रदेश की कोटि-कोटि जनता भी मेरी ही भावनाओं को व्यक्त करेगी, इसीलिये मैं माननीय मंत्री जी के अनुदान का समर्थन न कर के पब्बरराम जी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे इस प्रदेश में कई तरह की कोआपरेटिव सोसाइटीज हैं। लोन देने की, बीज, खाद और औजार देने की, तथा क्रय-विक्रय करने की कोआपरेटिव सोसाइटीज हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो आप को मालूम होगा कि इनमें ऐसी बहुत सी कोआपरेटिव

[श्री भगवतीसिंह विशारद]

सोसाइटीज हैं जो या तो सरकार के संरक्षण के कारण या किसानों और खेतिहर लोगों की विवशता के कारण चलती हैं। लेकिन जो विक्रय की कोआपरेटिव सोसाइटीज हैं, वही मापदंड हैं जिनसे सही-सही इस बात का अन्दाजा लग सकता है कि हमारे इस प्रदेश में कोआपरेटिव का आन्दोलन कहां तक आगे बढ़ा है। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने एक पुस्तिका वितरित की है, उससे ही यह पता चलता है कि यह आन्दोलन हमारे यहां कितना विकसित हुआ है। सन् १९५१-५२ में बेची गयी वस्तुओं का मूल्य ३९.९८ लाख था और सन् १९५५-५६ में यह घटते-घटते १३·२४ लाख रह गया है। इससे यह प्रतीत होता है कि जो सहकारी आन्दोलन है उसकी जड़ आम जनता के बीच में पहुंच पायी है। जहां पर किसी तरह की विशेष आवश्यकता, या विवशता मालूम हुई वहीं पर लोग किसी तरह से कोआपरेटिव सोसाइटी से लाभ उठाने की कोशिश करते हैं।

श्रीमन्, इसके बाद सीड स्टोर्स हैं जिनके द्वारा किसानों को बीज के रूप में सहायता प्रदान की जाती है, उनके सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इनकी देख भाल करने वाले जितने कार्यकर्ता हैं, सुपरवाइजर्स हैं, कामदार हैं, उनका खेती से कोई ताल्लुक नहीं होता, न खेती के सम्बन्ध में उनका कोई ज्ञान होता है, इसलिये उन बीज भंडारों की जो सही-सही देखभाल करनी चाहिये, उसके करने में वे असमर्थ रहते हैं।

श्रीमन्, उन बीज गोदामों से जो गल्ला दिया जाता है वह हर साल घूम फिर कर उन्हीं लोगों को दिया जाता है जिनको पिछले साल दिया गया था। गल्ला बीज के रूप में देने का प्रयोजन यह होता है कि हम लोगों को उन्नतिशील गल्ला दें जिससे इस क्षेत्र में वह बीज गोदाम बना हुआ है, वहां वह क्षेत्र मेच्योर हो जाय, वहां की आवश्यकता की पूर्ति हो जाय और सब लोगों के पास उन्नतिशील गल्ला पहुंच जाय। यदि बीज गोदामों से बीज के रूप में हर साल उन्हीं लोगों को गल्ला दिया जाता है जिनको पिछले साल दिया गया था। तो उसका परिणाम यह होता है कि आमतौर से तीन साल तक गल्ले की क्वालिटी में बीज के रूप में जो उन्नतिशीलता रहती है वह धीरे-धीरे कम होती चली जाती है और तीन साल के बाद वह गल्ला सामान्य रूप का रह जाता है। फिर उसको उन्नतिशील बीज नहीं कह सकते। लेकिन सरकार की ओर से इस कमी को पूरा करने के लिये कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लगातार वही गल्ला आता रहता है और फिर वही बंटता है।

श्रीमन्, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे प्रदेश में ४२ लाख एकड़ में धान और ८० लाख एकड़ में गेहूं की खेती होती है और बीज के रूप में जो गल्ला दिया जाता है वह ५ प्रतिशत से ज्यादा नहीं है। ९५ प्रतिशत की जो कमी रह जाती है उसकी पूर्ति के लिये माननीय मंत्री जी ने न कोई विवरण ही प्रस्तुत किया है और न अपने भाषण में ही इस ओर उन्होंने कोई ध्यान दिलाया। इसके साथ ही साथ श्रीमन्, पंजाब में जहां १०० प्रतिशत उन्नतिशील बीज होता है और बम्बई में २५ प्रतिशत उन्नतिशील बीज होता है वहां यू०पी० में केवल ९ प्रतिशत ही होता है। तो यह जो ९१ प्रतिशत की जो कमी रहती है उसको पूरा करने के लिये माननीय मंत्री जी ने अपना कोई विचार व्यक्त नहीं किया है। इसके अलावा श्रीमन् इन बीज गोदामों से किसान लोग जो गल्ला ले जाते हैं वह उनको सवाई पर मिलता है। सवाई का मतलब २५ प्रतिशत ब्याज होता है। जिस समय वे बीज ले जाते हैं उस समय आमतौर से बीज में कुछ न कुछ कूड़ाकरकट अवश्य रहता है और किसान जब उसको वापस करने आता है तो उसको दो तीन छनने से छान कर ऐसे ढंग से लिया जाता है कि किसान को २५ प्रतिशत ब्याज के बजाय लगभग साढ़े ३७ प्रतिशत ब्याज पड़ता है। तो साढ़े ३७ प्रतिशत सूद, जो सूदखोर महाजन होता है जो महाजनी का कारोबार करता है और कर्जे के रूप में लोगों को रुपये देता है, वह भी इतना जबरदस्त सूद नहीं वसूल करता। तब फिर किस औचित्य से बीज गोदाम इतना

जबरदस्त सूद वसूल करते हैं। लेकिन अगर २५ प्रतिशत ही मान लें और उसमें मेनटेनेन्स का दस प्रतिशत छोड़ दें तो १५ प्रतिशत का सूद लिया जाता है वह भी बहुत ज्यादा है और इससे तो उसी मनोवृत्ति का परिचय प्राप्त होता है जो कि सूदखोर महाजनों की मनोवृत्ति होती है। यह जो गल्ला तीन-तीन साल के बाद दिया जाता है इसका नतीजा यह होता है कि हमारी पैदावार कम हो जाती है जब कि आज हमें अधिक अन्न उपजाने की जरूरत है। इसलिये आज आवश्यकता इस बात की है कि हम अच्छा बीज दें ताकि उस का परिणाम यह हो कि हमारी पैदावार लगभग ५ से १० प्रतिशत तक बढ़ जाय, इससे किसानों का और देश का लाभ होगा और बीज भंडारों को भी सुविधा प्राप्त हो सकती है।

अमेरीका या दूसरे देशों में जहां पर सहकारिता आन्दोलन अच्छी तरह से जनता के बीच में पहुंच चुका है वहां पर ४ प्रतिशत पर ही किसानों को रुपया लोन पर दिया जाता है लेकिन हमें यहां जो यह पुस्तक मिली है इसमें दिया हुआ है कि सवा आठ प्रतिशत कर्जे पर सूद वसूल किया जाता है। मैं समझता हूं कि इस सवा आठ प्रतिशत और २५ प्रतिशत तक के सूद से किसानों का नुकसान होता है। आवश्यकता इस बात की है कि यहां भी ४ प्रतिशत का सूद ही किसानों से चार्ज किया जाय।

जो प्रोड्यूसर्स कोआपरेटिव सोसाइटीज हैं उनकी स्थिति हमारे यहां बड़ी दयनीय है। मैं सदन की मर्यादा को ध्यान में रखते हुये और यहां के नियमों का पालन करते हुये कोई ऐसी बात नहीं कहूंगा कि जिससे माननीय मंत्री जी को दुख हो लेकिन मैं बहुत नम्रता-पूर्वक निवेदन करूंगा कि हमारी जो हैंडलूम की कोआपरेटिव सोसाइटीज हैं उनका उद्देश्य यह नहीं है कि सहकारी आन्दोलन आगे बढ़े, या अधिक कपड़ा पैदा हो, या बुनकरों का लाभ हो, बल्कि उनका उद्देश्य यह है कि जो डेढ आने की सब्सीडी सरकार द्वारा दी जाती है उसे किसी तरह से हड़प लिया जाय और इस तरह से वहां नौकरशाही से सांठगांठ करके यह तरीका बरता जा रहा है, यदि माननीय मंत्री जी को विश्वास न हो तो वह मेरे साथ चलें और देखें कि वहां २०–३० लाख रुपये की बिक्री दिखलाई जाती है लेकिन असल में वहां ५०,००० रुपये की भी बिक्री नहीं होती है।

*श्री अवधेशप्रतापसिंह—मान्यवर, इसके पूर्व कि मैं और कुछ कहूं मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि जिस स्पष्टवादिता के साथ इस भार को ग्रहण करते हुये उन्होंने कहा था कि कोआपरेटिव या सहकारिता में अब तक इस सरकार को बहुत कुछ कदम उठाना चाहिये था, लेकिन वह नहीं उठाया गया, इसके लिये मैं उनको बधाई दे सकता हूं लेकिन उनको उन के इस विभाग के लिये बधाई देने की उदारता सदन में मैं ही क्या कोई भी माननीय सदस्य नहीं दिखला सकता। मैं आप के द्वारा माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि जिस भार को उन्होंने ग्रहण किया है वह वह खाई है कि जिस को पार करना उनके लिये मुश्किल है। मंत्री महोदय ने जो हमें एक तरह का उपदेश दिया कि वह बहुत से झगड़ालू मसलों में नहीं जाना चाहते हैं यह उनकी दूरदर्शिता थी और वह यह बात यूनाइटेड नेशन्स में जाकर कहते तो ठीक होता। उन्होंने अपनी दिक्कतों को बतलाते हुये रुपये की मांग पेश की है। उन्होंने बताया है कि उनकी क्या नीति है, निश्चित नीति क्या है। परन्तु मैं आपके द्वारा उनको अवश्य चुनौती देता हूं कि वह बतायें कि उनकी सरकार की क्या नीति है, जहांतक कोआपरेटिव फार्मिंग का प्रश्न है? एक तरफ सरकार के लोग जोरों से कहते हैं कि इसमें लाभ नहीं है, यह योजना लाभप्रद नहीं है। मुझे भी एक मौका मिला है कि माननीय माल मंत्री के साथ मैं भी सहमत हो सकूं। जब कि दूसरी तरफ से इधर से नारा लगता

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अवधेशप्रताप सिंह]

है कि चायना में यह तरक्की की गयी। तो मैं माननीय सदस्यों को यह भी बता देना चाहता हूं कि रशा में जिस तरह से कलेक्टिव फार्म्स जिनको कालहोज कहते हैं और चायना में जिस तरह से कोआपरेटिव फार्मिंग की गयी उसमें कोई विशेष अन्तर नहीं है। अन्तर सिर्फ यह है कि रूस के बारे में बहुत दिनों के बाद मालूम हुआ और चायना के बारे में मालूम होने में बहुत वक्त नहीं लगेगा। लिहाजा पहले वह निश्चय कर लें अगर उनको कोआपरेटिव फार्मिंग करनी है। तब मंत्री महोदय हमसे इस रुपये को मांगें। तब जिस स्टाफ को वह परमानेंट करने जा रहे हैं उसके संबंध में मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। मैंने कहा कि मंत्री महोदय उन लोगों में से हैं जो कि दूरदर्शिता और बुद्धिमानी में किसी से कम नहीं हैं। आज उन्होंने जिस खूबसूरती से इस मसले को टाला है, मैं उनका ध्यान केवल इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि उनकी सरकार यह बताये कि माल मंत्री जी को हम सही मानें या मुख्य मंत्री को सही मानें, और कोआपरेशन मिनिस्टर ने तो वह रास्ता खूबसूरती से हटा ही दिया था। तो मैं क्या समझूं।

श्रीमन्, एक वक्त था जब बहुत से लोग उस तरफ थे, जब हम कहते थे कि ऐग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के यह फर्टीलाइजर्स भगवान के लिये न इस्तेमाल कीजिये। तो उधर से कहा जाता था कि आपने उसकी सफलता और लाभ पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन आज वही सरकार का ऐग्रीकल्चर डिपार्टमेंट चिल्लाता है कि साहब फर्टीलाइजर्स का अधिक उपयोग करना बन्द कीजिये। तो मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय भी कहीं वह भूल न कर बैठें कि वह कहें कि कोआपरेटिव फार्मिंग बन्द कर दी जाय। हो सकता है कि इस तरफ बैठने वाले माननीय सदस्य, पीछे, दाहिने या बायें बैठने वाले माननीय सदस्य रशा और चायना की भूल में पाश्चात्य देशों के आंकड़ों की उलझन में पड़ जायं और कहें कि कोआपरेटिव फार्मिंग बहुत अच्छी चीज है। लेकिन आपके विभाग के या सरकार के किसी विभाग के आंकड़े होने चाहिये जो माननीय मंत्री महोदय के उन आंकड़ों को कंट्रोवर्ट करें, कि वास्तव में कोआपरेटिव फार्मिंग इस प्रदेश और भारत के लिये लाभप्रद है। माना प्लानिंग कमीशन ने कह दिया या कुछ मंत्रिगण इसके पीछे हों, लेकिन जब आपके घर में खुद आग लगी है जब कि आप खुद ही किसी निश्चयात्मक निर्णय की ओर अग्रसर न हो सकें तो हम क्या समझ सकते हैं। मैं अब सरकार की नीति पर ज्यादा उलझा रहना नहीं चाहता।

अब मैं मंत्री जी के विभाग के बारे में भी बतला देना चाहता हूं जिससे वह होशियारी और समझदारी से काम लें। जहां पर ब्युरोक्रेसी के नाम पर रजिस्ट्रार से लेकर नीचे तक वह अपने को साहब समझते हैं। मान्यवर, यही नहीं जो क्रेडिट सोसाइटीज हैं उनमें जो क्रेडिट इंस्पेक्टर्स हैं जिनको हम कर्जा देने के लिये तनख्वाह देते हैं, वह रुपया उनको नहीं मिलता जिनको सही में जरूरत है। मैं पा सकता हूं। एम०एल०ए० हूं। किसी वक्त में ताल्लुकेदार था। लेकिन वह गरीब किसान जिसको वास्तव में जरूरत है वह नहीं पा सकता। गल्ला गोदाम की यह हालत है कि पुलिस के लिये जब कहा जाता है कि वहां भ्रष्टाचार है तो वह एक ऐसा द्वार है जहां कभी ही कभी उसके द्वार पर जाना पड़ता है लेकिन आपके द्वार पर जब जाते हैं तो अपनी टेंट से पैसा दें और जब पहुंचते हैं तो आपके इंस्पेक्टर साहब इतनी साहब बहादुरी से व्यवहार करते हैं और जब गल्ला देते हैं तो तादाद में कम। जब हम देने जाते हैं तो वह तौल भी एक ऐसी है कि यह मानना होगा कि सरकारी तौल आम तौर से कुछ अलग है। सेर हो, मन हो, टन हो, उसमें भी कुछ भिन्नता होनी चाहिये। यही नहीं कभी आपने यह भी सोचा जो आपकी मार्केटिंग सोसाइटीज हैं उनके रहते हुये भी किसान अपना गल्ला बनिये के यहां क्यों बेंचता है, जब वह तंग होता है इस विभाग से तभी ऐसा करता है और मजबूरन किसान को अपना गल्ला किसी भाव पर बेंचना होता है और उसी के दाम दूसरे दिन बाजार में उससे ज्यादा हो जाते

हैं। माननीय मंत्री जी क्या करें, जिन्दगी के कोढ़ एक दिन में तो नहीं कटते। यह डिपार्टमेंट भी आपको ऐसा मिला है जो लावारिस डिपार्टमेंट था, जिसको कोई पूछने वाला नहीं था, न कभी इसका पता था। आज सहकारिता के नाम पर ट्रैजरी बैंचेज वाले मुंह खोलते हैं। इसके पहले इस विभाग में क्या हुआ, आपके कितने कोआपरेटिव सीड स्टोर्स हैं, उनमें जो गल्ला मिलता है वह तब नहीं मिलता जब जरूरत होती है और वह भी जितनी जरूरत होती है उतना नहीं मिलता। आपके कामदार और सुपरवाइजर हर प्रकार की धांधलियां करते हैं। यह भी वैसा विभाग है जिसमें मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई चीज बगैर भ्रष्टाचार के नहीं मिल सकती है? इस बजट का नक्शा इतना सुन्दर नहीं है जितना आपने बताया। कुछ टेम्पोरेरी स्टाफ को परमानेंट करना है। लेकिन कभी आपने यह भी खयाल किया है कि कोआपरेटिव ऐसी वस्तु नहीं है जो केवल रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार के भरोसे पर रह कर ही हो जाय। यह लोग किसी समय किसी को कुछ समझते ही नहीं थे, उनका केवल यह खयाल था कि यह भी पार्टी पालिटिक्स ऊंचे स्तर पर नहीं तो नीचे स्तर पर बहुत अच्छी तरह से है। सुपरवाइजर साहब इस बात की कोशिश करते हैं कि मैनेजिंग डायरेक्टर उनके गुलाम हों, बोर्ड आफ़ डायरेक्टर्स ऐसे हों जिन पर वे हावी हो सकें। आपके जो क्रेडिट इंसपेक्टर्स ऐसे हैं वे इस कोशिश में रहते हैं कि बोर्ड आफ डायरेक्टर्स में ऐसे लोग हों, जिनके सामने कागज रख दिया जाय और आंख मूंद कर दस्तखत कर दें।

जहां तक ब्यूरोक्रेसी का सवाल है यह चीज ऐसी है जो भयानक प्रतीत होगी, मुमकिन है आज आपको न मालूम हो, लेकिन इसको डेमोक्रेसी के अन्दर कहां तक बढ़ाना मुमकिन है, लाभप्रद है, यह आप ही सोचें। अगर अभी आप न सोचें तो कुछ दिन बाद सोचेंगे कि डेमोक्रेसी रहेगी या ब्योरोक्रैसी रहेगी। मेरा समय भी पूरा हो गया। अब मैं उपाध्यक्ष महोदय के कहने के पूर्व ही बैठ जाता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--आपका समय पूरा नहीं हुआ बल्कि आपके भाषण का हुआ।

श्री अवधेशप्रतापसिंह--अगर वह भी हो तो इनकार नहीं है, काफी साल हो चुके हैं।

श्री कुंवरकृष्ण वर्मा--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस विभाग की क्या दशा है उसमें क्या होना चाहिये उन्होंने बताया। इसको उन्होंने बहुत ही स्पष्ट रूप से सदन में निवेदन किया और यह उनका एक खास गुण है। मुझे तो बड़ी आशा है कि जो हमारी राष्ट्रीय नीति है उसके अनुसार इस विभाग को चलाने में वह समर्थ होंगे। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि वह किसी समय समाजवादी पार्टी के प्रधान मंत्री थे और समाजवाद के बहुत ही ज्यादा समर्थक हैं। हमें अपने देश में समाजवाद लाना है तो उसकी तरफ हमें ठोस कदम उठाना है।

माननीय वित्त मंत्री ने अपने भाषण में यह कहा था कि जो हमारी राष्ट्रीय सम्पत्ति है, जो हमारे राष्ट्र का धन है उसका वितरण बराबर-बराबर हो, यह हमारा लक्ष्य है। लेकिन मैंने उसमें यह नहीं पाया कि वह किसी तरीके से बराबर-बराबर करना चाहते हैं और मुझे थोड़ा-सा संदेह है कि आया मंत्रिमंडल ने अभी इस बात पर पूरे तौर पर ब्योरे के साथ विचार किया है या नहीं। मैं मंत्रिमंडल का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि अगर हमें पूंजीवाद को खत्म करना है और समाजवाद को लाना है तो जो ये बीच के लोग हैं जिनको हम मिडिल मैन कह सकते हैं उनकी प्रथा क्या अपने देश में, अपने प्रदेश में कायम रखना है या उसको मिटा देना है? हमारे बहुत से उत्पादन सरकार ने भी कुछ अपने हाथ में लिये हैं जैसे कि सीमेंट की फैक्ट्री चुर्क में है या लोहे वगैरह की जो चीज है उसके

[श्री कुंवरकृष्ण वर्मा]

लिये भी स्टाकिस्ट्स, एजेंट्स रखे जाते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि बहुत से ऐसे बीच के लोग हैं जिनको कि अगर सरकार चाहे तो खत्म कर सकती है और उनकी संख्या भी बहुत कम नहीं है इस प्रदेश में या इस देश में। लेकिन होता यह है कि बजाय इसके कि हम उन एजेंसीज को या स्टाकिस्ट्स को या ठेकेदार लोगों को जिनको हम ठेका देते हैं या एजेंट मुकर्रर करते हैं या लाइसेंस देते हैं, उनको खत्म करें, बराबर उन्हीं को चलाये जा रहे हैं। अभी मंत्रिमंडल की यह स्पष्ट नीति नहीं है कि हर एक माननीय मंत्री अपने-अपने विभाग में इस बात को देखें और इस बात पर जोर दें कि ये चीजें हमको कोआपरेटिव्ज को देनी है। मैं एक छोटी सी मिसाल आपके सामने रखना चाहता हूं जहां ठेके दिये जाते हैं जैसे पी०डब्लू०डी० का है, वह कोआपरेटिव को बहुत ही कम मिलता है। सिर्फ नामभात्र को मिलता है और असल में ठेकेदारों को वह चीज दी जाती है। अभी चुर्क की सीमेंट फैक्ट्री के लिये बहुत से स्टाकिस्ट्स मुकर्रर किये गये। उसमें भी मैंने यह देखा कि वह बहुत से लोगों को, निजी लोगों को दिया गया, और कोआपरेटिव को वह चीज कम मिली। पी०डब्लू०डी० के इंजीनियर या और दूसरे डिपार्टमेंट के जो इंजीनियर्स हैं या आफिसर्स हैं उनकी तो एक स्पष्ट नीति है कि वह कोआपरेटिव सोसाइटीज को नहीं देंगे। उनका एक बहाना यह होता है कि इसमें टेकनिकल लोग नहीं हैं, वह इस काम को जानते नहीं हैं। इसलिये हम उनको नहीं दे रहे हैं। लेकिन यह एक बहाने की चीज होती है। अगर कोआपरेटिव सोसाइटीज को दिया जाय तो वह भी इस काम को सीख सकती हैं और जो बड़े फेडरेसंस हैं वह तो कम से कम एक निगरानी करने वाला अपने लिये रख भी सकते हैं जो कि उनके काम की निगरानी करे कि जो काम उनको सौंपा गया है उस काम को वह ठीक तरह से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसकी वजह तो बिल्कुल साफ है कि वहां पर उनका निजी स्वार्थ हमारे कोआपरेटिव आन्दोलन के विरुद्ध पड़ता है। जो ठेकेदार हैं उनसे तो उनको कुछ मिलता जुलता भी है लेकिन कोआपरेटिव्स से वे कुछ पा नहीं सकते। अगर हमारी कोआपरेटिव्स को बढ़ाना है, समाजवाद अपने देश व प्रदेश में लाना है तो जब तक हम अपनी नीति बहुत स्पष्ट न कर लें और कोई ठोस कदम न उठायें तब तक किसी तरह से पूंजीवाद को खत्म नहीं कर सकते और न समाजवाद को ही ला सकते हैं। अगर हम बड़े-बड़े ठेकेदारों को ही ठेके दें और बड़े-बड़े महाजनों को अपनी चीजें देते रहेंगे जिसके द्वारा वे अपने व्यापार को बढ़ाते रहें तो आमदनी एक ही व्यक्ति के हाथ में जाती रहेगी और इससे फिर साफ जाहिर होता है कि हम समाजवाद की तरफ कदम उठाने के बजाय उस पूंजीवाद को, जिसे हमें खत्म करना है, बढ़ाते हैं। यह तो रही मंत्रिमंडल के स्तर पर बात।

अब मैं थोड़ा विभाग की ओर आता हूं। जैसा कि कुछ माननीय सदस्यों ने भी कहा यह आन्दोलन बजाय इसके कि नीचे से चलता, एक ऊपर से लदी हुई चीज दिखलाई पड़ती है। हमारे सहकारी विभाग के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं वे तो कम से कम इस बात का तहइया कर लें कि इसके पहले कि वे कोई सोसाइटी बनावें, जिस गांव में उनके कर्मचारी जायं, उसमें पहले वे लोगों को सहकारिता के उद्देश्य बतलावें कि क्यों सहकारी समिति स्थापित की जाय आदि सब बातों से वे लोगों को अवगत करायें। वे खुद ही सारी चीजों को बनावें तभी हम ज्यादा कामयाब हो सकते हैं। लेकिन बजाय इसके ऊपर से कोई आदेश गया या यह कि सरकार की नीति मालूम हुई कि हमको सोसाइटी बनाना है, ज्यादा बढ़ाना है तो वह गांव में गया और वहां पर उसने अपने कुछ आदमियों को चुन लिया। जो आदमी चुने जाते हैं, जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा भी, वे ऐसे होते हैं जो उनके पिट्ठू होते हैं। वे जरा भी योग्य नहीं होते और वे सुपरवाइजर या इंस्पेक्टर के इशारे पर चलते हैं।

एक बात मुझे यह और कहनी है कि जहां कहीं भी कोई जनतांत्रिक बाडी होती है उसमें एलेक्शन होता है। लेकिन यहां कोई वोटर्स की लिस्ट नहीं होती। ऐन दिन तक पता नहीं चलता कि कौन से वोटर्स हैं। सुपरवाइजर्स और इंस्पेक्टर्स के हाथ में वह होती है और उसको पहले से वह शाया नहीं करते और ऐन दिन पर वे लिस्ट पेश करते हैं और इस प्रकार धांधली से एलेक्शन हो जाता है। यह चीज गलत होती है और इसका हमें सुधार करना चाहिये।

मैं मंत्री जी से यह भी कहूंगा कि जब कोआपरेटिव सोसाइटीज के जरिये हमको बहुत से काम लेने हैं तो कौन से उसमें पदाधिकारी होंगे, उनकी क्या योग्यतायें होंगी, इन सब चीजों को हमें कोआपरेटिव सोसाइटीज के ऐक्ट में संशोधन करके रख देना चाहिये। बहुत से बहाने लिये जाते हैं कोआपरेटिवज् को काम न देने के लिये। उसके लिये कुछ ऐसे स्कूल या केन्द्र भी खोले जायं जिसमें ट्रेनिंग मिल सके और यह विभाग सफलतापूर्वक काम कर सके।

श्री मोहनलाल वर्मा (जिला हरदोई)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन के सामने जिस समय माननीय मंत्री जी ने यह अनुदान पेश किया, अन्त में एक शब्द उन्होंने यह कहा कि "हम इस कोआपरेटिव मुहकमे में बेईमानी नहीं होने देंगे"। जहां तक हमें याद है, यही लफ्ज उन्होंने कहे। हमें यह सुन के बहुत बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने सदन के सम्मुख यह कहा कि हम इस मुहकमे में बेईमानी नहीं होने देंगे। इससे साफ साबित है कि मुहकमे में बेईमानी है जरूर। लेकिन साथ ही साथ अगर इतना और जोड़ देते हैं कि राजनीतिक क्षेत्र का अखाड़ा भी हम नहीं बनने देंगे इन मुहकमों को, तो हमें और ज्यादा प्रसन्नता होती। हमारा थोड़ा सा अनुभव है, हम भी इस कोआपरेटिव मूवमेंट में आज १० वर्ष से हैं। बदकिस्मती से हमारे यहां जो डी० सी० जी० एफ० था वह सरकार ने किन्हीं कारणोंवश अपने कब्जे में कर रखा है, तो वह दूसरा जो मुहकमा है जिसका ज्यादा जिक्र नहीं करना है वह केन कोआपरेटिव है, उसमें काम कर रहे हैं।

कोआपरेटिव या कोआपरेशन शब्द से सदन के किसी सदस्य को या बाहरी किसी सदस्य को इस पर आपत्ति नहीं होती है कि कोआपरेटिव मूवमेंट चलना चाहिये, लेकिन कोआपरेटिव मूवमेंट चलाने के लिये सब से पहले जरूरत है कोआपरेशन की। कोआपरेशन या सहयोग की। आपने कहा कि हम देहाती क्षेत्र में क्रेडिट सोसाइटीज, लार्जर सोसाइटीज, डेरीज, कोआपरेटिव फार्मिंग और ये-ये काम करने जा रहे हैं, इसके अतिरिक्त भी हम देखते हैं कि कोआपरेटिव डिपार्टमेंट की तरफ से जो व्यवसाय हो रहे हैं वह सब लाइसेंस और परमिट के आधार पर निर्धारित हैं। अगर सहयोग होता तो वे सफल होते। अभी जब कपड़े पर कंट्रोल था, आप ने देखा कि शहरों में कोआपरेटिव सोसाइटीज बनीं और जब कंट्रोल हट गया तो मार्केट में कम्पीट करने के लिये वह सोसाइटीज सब खत्म हो गयीं। केवल कंट्रोल और परमिट के सहारे अगर यह गवर्नमेंट अपना व्यवसाय करना चाहे तो वह सफल नहीं हो सकता। यू० पी० कोआपरेटिव फेडरेशन जो कायम है उसने भी मेरा खयाल है कि सारे प्रान्त में शायद अपना व्यवसाय समाप्त कर दिया है।

दूसरा व्यवसाय इस समय जो हम लोगों के सम्मुख है वह कोआपरेटिव भट्टों का है। उसमें भी कंट्रोल शामिल है। आज अगर कोयले से परमिट हटा लिया जाय तो एक भी कोआपरेटिव का भट्टा नहीं चल पायेगा। माननीय सदस्यों ने भी बतलाया कि जिस तरीके से भट्टों का व्यवसाय होता है। जो ठेके दिये जाते हैं वह कोआपरेटिव का ढंग नहीं है। उसमें जो प्रबन्ध होता है वह दूसरे प्राइवेट भट्टों से भिन्न है। चूंकि कोयले पर परमिट है इसलिये सब से ज्यादा कोयला कोआपरेटिव डिपार्टमेंट वालों को दिया जाता है, मगर जब वहां पर काश्तकार ईंट लेने जाता है तो एक बात आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जिस जमाने में कपड़े के ऊपर कंट्रोल लगा था तो किसान अगर धोती का जोड़ा लेने जाता था तो उसके

[श्री मोहनलाल वर्मा]

साथ में तौलिया भी लेना पड़ता था, जिसे कहा जाता है कि लत्तड़ लगा दिया जाता है। जब वह ईंट लेने जाता है और फर्स्ट क्लास ईंट अगर वह मांगता है तो भट्टे से कहा जाता है कि थर्ड क्लास ईंट इतनी लेनी जरूरी है। जैसे कंट्रोल के जमाने में धोती के साथ तौलिया का लत्तड़ लगाया जाता था उसी तरह से इसमें भी यह लत्तड़ लगा दिया जाता है। आज सब से ज्यादा कोयला उनको मिलता है तो इतनी सरकारी सहायता के साथ अगर थोड़ा सा मुनाफा माननीय मंत्री जी सदन के सामने रखते हैं तो हम कहते हैं कि वह नाकाफी है।

कोआपरेटिव के माने गांव वाले नहीं समझते हैं। वह समझते हैं कि हमारी जरूरत की चीज है। आप कहते हैं कि हमने इतनी मेम्बरशिप बढ़ा दी। यह क्यों बढ़ी? गांवों में आप ने सीड स्टोर्स खोल रखे हैं। गरीब काश्तकार हैं, खाने को अन्न नहीं है जब बोने का समय आता है और वह बीज लेने जाता है तो उससे कहा जाता है कि मेम्बर बनो तो गल्ला देंगे। इसलिये वह मेम्बर बन जाता है। अगर उस को गल्ला और जगह से मिल जाय तो नहीं बनेगा। गल्ला लेने के लिये वह मेम्बर बनता है और गल्ला उन लोगों को नहीं मिलता है जिन्हें जरूरत है और उन लोगों को मिलता है जिन्हें जरूरत नहीं है। वह उसको लेकर अंगूठा लगा कर ड्योढ़ें दुगने दामों पर बेचते हैं। जब इसकी जांच होती है तो कह देते हैं कि हमने गल्ला नहीं लिया अंगूठा लगा दिया होगा इतना ही नहीं बल्कि यह हुआ है कि गवर्नमेंट ड्यूज जैसे लगान और तकावी की जब जरूरत हुई तो कहा गया कि कोआपरेटिव सीड स्टोर से गल्ला दे दिया गया है और वह गल्ला इसलिये नहीं होता कि लगान और तकावी में दे दिया जाय बल्कि इसलिये है कि बीज के लिये दिया जाय। लेकिन जो बड़े आदमी हैं, जिनके जराये (Sources) हैं, उनको रुपया अदा होता है तो सहयोग कैसे हो।

केन सोसाइटीज के बारे में कहा गया है कि हमने इतने मेम्बर बढ़ा दिये हैं। इसमें कोई तारीफ की बात नहीं है। काश्तकार के पास बेचने का और कोई जरिया नहीं है। अगर उनके बेचने के लिये दूसरा साधन होता है और उसके कम्पेरीजन में आप टिक जाते तब तो हम कह सकते थे कि वास्तव में सोसाइटीज सहयोग के साथ चल रही हैं। काश्तकारों को समझाने के लिये आप के अधिकारी वर्ग उन तक पहुंचते नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष--अब आप का समय समाप्त हो गया। माननीय पब्बर राम जी, यदि आप उत्तर देना चाहें तो उत्तर दे दीजिये।

*श्री पब्बरराम--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन तमाम सदस्यों को, जिन्होंने इस विवाद में हिस्सा लिया है और खासतौर से उन माननीय सदस्यों को जिन्होंने मेरे कटौती के प्रस्ताव का समर्थन किया है, धन्यवाद देना चाहता हूं मुझे इस बात की खुशी है कि इस प्रस्ताव पर जो पक्ष या विपक्ष में बोले हैं, उन्होंने मेरी बात का समर्थन किया है। माननीय मंत्री जी का ध्यान आपके द्वारा दिलाना चाहता हूं कि वह मेरे प्रस्ताव को बड़े ध्यान से देखें कि इस समय जो कोआपरेटिव सोसाइटीज हमारे देश में चल रही हैं, यह उस जमाने से चली आ रही हैं, उस जमाने की बनी हुई हैं, जब कि हमारे देश में अंग्रेजों का आधिपत्य था, साम्राज्य के चंगुल में हम फंसे हुये थे, अंग्रेजों की पूंजीवादी नीति थी। आज जब कि हमारे देश की सरकार ने समाजवाद का नारा दिया है, उस की ओर जाने का संकल्प किया है तो मैं यह अदब के साथ चाहूंगा कि इस पुराने ढांचे में वह कुछ तब्दीली लाये। मुझे वह दिन अच्छी तरह से याद है जब उन्होंने समाजवादी आन्दोलन को बहुत कुछ दिया था और इस नाते मैं चाहूंगा कि कर्मचारियों के दृष्टिकोण में आमूल परिवर्तन होना चाहिये, क्योंकि स्कीमें आप चाहे जितनी सुन्दर बनायें, अगर आप के कर्मचारियों के दृष्टिकोण में कोई अन्तर नहीं आया तो वे स्कीमें असफल

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हो जायंगी। आज होता यह है कि आई० सी० एस० और पी० सी० एस० के लोग ही तमाम स्कीमों को चलाने की जिम्मेदारी अपने सिर पर लेते हैं और वे अनुभवी लोग, जो कि दूसरे स्थलों से आते हैं, जिनको सार्वजनिक सेवाएं हैं उनको तरजीह नहीं दी जाती है।

इसके अतिरिक्त मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान कुछ और बातों की ओर दिलाना चाहता हूं। जैसा कि हमारे एक माननीय सदस्य ने इशारा किया था कि लेबर सोसाइटियों को तरजीह नहीं दी जा रही है। हमने गाजीपुर में सन् ४६ में एक लेबर सोसाइटी की स्थापना की थी। वह राज, बढ़ई, मजदूर लेबर सोसाइटी के नाम से बनायी गयी थी। उसका उद्देश्य यह था कि बीच के ठेकेदार खत्म किये जायं। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सन् ४६ से लेकर आज तक मुतवातिर कोशिश करने के बाद भी उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो सका। अन्त में मैं इतना कहना चाहता हूं कि कोआपरेटिव ने हमारे उत्तर प्रदेश में अब तक भले ही प्रगति न की हो, लेकिन मुझे इस बात का विश्वास है कि हमारे माननीय मंत्री ने जिस उत्तर-दायित्व को लिया है और आज कोआपरेटिव विभाग से बेईमानी दूर करने की जो बात दोहराई है उससे समाजवाद की ओर कदम बढ़ेगा।

साथ ही साथ मैं यह भी चाहूंगा कि जो कोआपरेटिव सोसाइटियों का आधिपत्य हो गया है कि परमिट के जरिये से छोटे-छोटे रोजगारों को अपने हाथ में लेती जा रही हैं और उनको करने वाले छोटे-छोटे व्यापारी बेकार होते जा रहे हैं उनकी तरफ़ भी ध्यान देना चाहिये, ताकि कोआपरेटिव सोसाइटीज की वृद्धि के साथ-साथ बेकारी की वृद्धि न हो बल्कि हम ऐसे लोगों की भी कोआपरेटिव सोसाइटीज बनायें जो कि छोटे-छोटे कामों के लिये लगे हैं। इससे उनके पेशे भी सुरक्षित रहेंगे और कोआपरेटिव सोसाइटीज के प्रति हमारी आस्था भी बढ़ेगी।

आखिर में मैं सदन से यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि कटौती का प्रस्ताव इतने महत्व का है और आप लोगों ने वाद-विवाद को बहुत गौर से सुना भी है इसलिये इस कटौती के प्रस्ताव को मंजूर कर के आप एक क्रान्तिकारी कदम उठायें।

*श्री मोहन लाल गौतम---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप के द्वारा इस सदन के सभी सदस्यों को और विशेषकर उन सदस्यों को जिन्होंने इस वादविवाद में हिस्सा लिया है हार्दिक बधाई देता हूं। मुझे जितनी आशा थी उससे अधिक मुझे इस सदन का कोआपरेशन मिला। इससे मैं अपने आप को धन्य समझता हूं और यही होना भी चाहिये था क्योंकि इस मिक्स्ड एकोनामी के जमाने में समाजवाद लाने के लिये कोआपरेशन सब से महत्व की चीज है। यहां पर भिन्न-भिन्न दल, चाहे उनके आपस में थोड़े बहुत कुछ भी मतभेद हों, लेकिन सभी समाजवाद को मानते हैं। मेरा अन्दाज यह है कि जनसंघ ने भी बहुत कुछ समाजवादी प्रोग्राम अपनाने की कोशिश की है और बाकी और जितने दल हैं कांग्रेस, सोशलिस्ट पार्टी, पी० एस० पी० और कम्युनिस्ट पार्टी और प्रोग्रेसिव पार्टी के बहुत से व्यक्ति, सब समाजवाद की स्थापना में लगे हुये हैं और जब एक उद्देश्य सब के सामने है और उसका इस समय रास्ता भी एक है तो मुझे यही आशा थी कि इस कार्य को पूरा समर्थन मिलेगा।

जो कटमोशन है उसका उद्देश्य विवाद करना और सुझाव देना है। विवाद का समय तो हो गया। उसका जितना समय था उससे आधा घंटा समय आपने और दे दिया है। सुझावों को मैंने अच्छी तरह से नोट किया है और मैं विश्वास दिला सकता हूं कि जितने सुझाव पूरे हो सकते हैं उनको पूरा करने की कोशिश करूंगा और यही नहीं कि जो सुझाव इस समय दिये हैं बल्कि सदन के सभी सदस्यों को आमंत्रित करूंगा कि जब भी जैसे भी कोई सुझाव किसी सदस्य को सूझें वह मुझे लिख कर दे दें, मुझसे बातें कर लें और मैं उनको जितना भी महत्व दे सकूंगा देकर कार्यरूप में परिणत करने का प्रयत्न करूंगा। इसलिये जो कटौती की बात है वह पूरी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मोहनलाल गौतम]

हो गई है। कुछ माननीय सदस्यों ने तो कटौती का समर्थन करते हुये मेरी यह शिकायत की है कि मैंने रुपया थोड़ा मांगा है और उसके लिये मैं अपने को कसूरवार समझता हूं और जो उत्साह माननीय सदस्यों ने दिखलाया है मैं उनका आभारी हूं।

सब से जरूरी बात जो इशारतन मैंने पहले कही थी, क्योंकि मेरा ध्यान घड़ी की ओर था कि सवा बजे से बाद मैं समय न लूं ताकि माननीय सदस्यों को समय मिले और वह बात यही थी कि हम सहकारिता के सिद्धान्तों में विश्वास करें और मैंने यहां तक कहा था कि सब से पहले मुझे समझने की जरूरत है, जिसके हाथ में यह मुहकमा आपने सुपुर्द किया है और उसके बाद सभी को समझने की जरूरत है। आफिशियल्स और नान-आफिशियल्स हैं, जितने भी कोआपरेटर्स हैं उन सब को समझने की जरूरत है। इसके लिये हमने काफी कार्यक्रम बनाया है। कुछ सेमिनार्स का है। २ ट्रेनिंग क्लासेज पहले थे, अब ६ क्लासेज हैं, ३ और खोलने वाले हैं, इंस्पेक्टर्स की भी ट्रेनिंग होगी, भिन्न-भिन्न जो विभाग हैं कोआपरेटिव फार्मिंग और डेयरी वगैरह, उन सब की अलग-अलग ट्रेनिंग होगी। सब से जरूरी बात यह है कि नान-आफिशियल्स जिनको कि वास्तव में यह आन्दोलन चलाना है, जो सोसाइटियों के पदाधिकारी हैं उनको भी शिक्षा देना बहुत जरूरी है। आज तो हम यह देखते हैं और हमसे यह शिकायत की जाती है कि जो मामूली सुपरवाइजर्स होते हैं वह सब को बेवकूफ बनाते हैं, सब तरह से दस्तखत करा लेते हैं और जैसा चाहते हैं करते हैं। अगर ऐसा है तो बहुत असंतोषजनक है और यह नहीं रहनी चाहिये और सुपरवाइजर्स को इस तरह से बर्ताव नहीं करना चाहिये। हम सब की यह कोशिश होनी चाहिये कि जो पदाधिकारी सोसाइटियों में बनते हैं वह इस तरह से बुद्धू न बनें बल्कि अपने अधिकारों को समझें और किसी भी तरह से सुपरवाइजर्स के बहकावे में आकर गलत काम न करें।

भ्रष्टाचार की बात कही गयी है। सरकार के दूसरे मुहकमे ऐसे हैं जिनमें जब भ्रष्टाचार की बात कही जाय तब पूरी जिम्मेदारी सरकारी मशीनरी को ओढ़नी पड़ती है, अगर वह बात ठीक है तो, लेकिन इस सिलसिले में मेरा मुकहमा कुछ भिन्न है। मेरे मुहकमे में जहां सरकारी अफसरों के हाथ में रुपया आता है और वह बेईमानी कर सकते हैं वहां नान-आफिशल्स के हाथ में भी काफी रुपया आता है और उनकी भी शिकायतें हो सकती हैं और हैं। मेरे पास सरकारी और गैर-सरकारी आदमियों की शिकायतें आती रहती हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप के द्वारा इस सदन के सब माननीय सदस्यों से यह चाहूंगा कि कम से कम नान-आफिशल्स की बेईमानी रुकवाने में वह मेरी पूरी मदद करें और आफिशल्स की बेईमानी रोकने में मैं कोशिश करूंगा। यह दोनों पहिये साथ-साथ चलें तो ठीक हो सकता है। मेरा तो मत बिलकुल अलग है। मैं इसी सदन में पहले कह चुका हूं और अभी भी मेरी वही राय है कि भ्रष्टाचार एक शोसल इविल है और उस के हम सब शिकार हैं, सारा समाज उसका शिकार है। किसान डालडा मिलाता है, दूकानदार ब्लैकमार्केट करता है, सरकारी अफसर रिश्वत लेता है, मेम्बर नाजायज सिफारिश करता है, मिनिस्टर नाजायज काम करता है। यह सब खराबियां एक ओर हैं क्योंकि हमको आजादी है, हम यहां बैठे हुए हैं, हम इम्यून हैं, क्योंकि हमारे ऊपर कोई डिफेमेशन नहीं चला सकता है इसलिये हम सब को कहते रहें और खुद अपने को न देखें, यह हमको शोभा नहीं देता।

मैंने पहले भी, जब मैं मिनिस्टर नहीं था, कहा था कि हमारे मुंह को यह शोभा नहीं देता, हम दूसरों के भ्रष्टाचार को जभी कह सकते हैं कि जब अपने भ्रष्टाचार को पूरी तरह से दूर कर लें। गौतम पल्ली की खराबी की बात कही जाती है, लेकिन अगर गौतम पल्ली वाले यह कहें कि मेहरबान पहले दारुलशफा की खराबियां तो पहले दूर कीजिये तो हमारा सर शर्म से झुक जाता है। तो पहले फिजीशियन हील दाईसेल्फ, मैंने यह पहले भी कहा था। यह काम शुरू होना चाहिये मिनिस्टर से और एम० एल० ए० से, अपने घर को सम्हालने के बाद, फिर हम नीचे वालों से कहें। जब तक हम अपनी खराबियां दूर नहीं करते हैं तब तक हम को दूसरों को कहने का अधिकार नहीं है। तो मैं इस सदन के सारे सदस्यों से यह निवेदन करना

चाहता हूं कि चूंकि मुझे ऐसा मुहकमा मिला है कि जिसमें आफिशल और नान-आफिशल दोनों का संबंध है, वह इसमें मेरी मदद करें। आफिशल्स के साथ मैं सख्ती से बर्ताव करूंगा और नान-आफिशल के लिये सारे सदस्य मेरी मदद करें, यही मेरी प्रार्थना है ।

एक राजा साहब ने मुझे चुनौती दी है। शरीर उनका मजबूत है, दंड बैठक भी करते होंगे, लेकिन दौड़ शायद मेरे साथ न सकें। यहां मैं बताऊं कि कोआपरेटिव फार्मिंग के बारे में मेरी क्या राय है। मैंने पहले बहुत नम्र शब्दों में कहा था लेकिन साफ कहा था और वह यह कि कुछ दलीलें इसके हक में और कुछ खिलाफ दी जा रही हैं। उनकी बहस में मैं नहीं पड़ता, लेकिन मैं आपको नतीजा निकालकर दिखाना चाहता हूं कि कोआपरेटिव फार्मिंग से फायदा है। मैंने इसके लिये कुछ आंकड़े दिये थे और मेरे पास और हैं, लेकिन चूंकि समय कम है इसलिये उनमें मैं नहीं जाना चाहता।

एक बात ३७४ टन कोयले की चोरी की कही गई लखनऊ में। इसके लिये मैं यह निवेदन कर दूं कि वह पकड़ा गया है और पुलिस में वह मामला तहकीकात के लिये भेज दिया गया है और जब कोई मामला हमारे सामने आता है तो मैं सख्ती से उसको देखने की कोशिश करता हूं और करूंगा।

सबसे अधिक और सुन्दर सुझाव माननीय उदयशंकर जी ने दिये। वह सब मैंने नोट कर लिये हैं। उनके बारे में मैं कह सकता हूं कि उनको विचार कर कार्यरूप में लाने के बारे में जहांतक हो सकेगा मैं विचार करूंगा।

प्रतापसिंह जी ने एक आध बात कही कि इसमें फंड नहीं है। मैं जल्दी में पहले बहुत सी बातें नहीं कह सका इस उम्मीद में कि यह बजट ध्यान से देख लिया गया होगा। यह बजट अगर देखा जाय तो २४८ पन्ने पर स्टेट डेवलपमेंट फंड में ४,७७,२०० रुपये हैं और लोन गारन्टी फंड में ४,९५,३०० रुपये रखे गये हैं। इन दोनों फंडों को हम अवेल करना चाहते हैं। जो उन्होंने कहा कि सोसाइटी इन्टरेस्ट नहीं देती और हमारा रुपया ब्लाक हो जाता है तो प्रांविशियल कोआपरेटिव फेडरेशन ६ परसेंट और बैंक ४।। परसेंट डिविडेंड देता है, लेकिन हम यह चाहते हैं कि जो छोटी सोसाइटी अभी नहीं दे पा रही हैं वे भी देने लगें। उधर हमारा ध्यान है और उसको हम करना चाहते हैं।

इसी सिलसिले में विशारद जी ने एक बात कही थी। वह एकाउन्टेंट हैं और उनका रुपये पैसे के मामले में दखल रहता है। जो उन्होंने कहा था वह देखने की बात है। सवाई के बारे में मेरा भी मुहकमे वालों से यह सवाल था कि अगर आप बीज सवाई पर देते हैं तो उसका मतलब लोग २५ फीसदी लगाते हैं इसलिये उसको बदलिये। यह सजेशन मैंने विभाग को दिया था। लेकिन होता यह है कि जब बोने का वक्त आता है तब बीज महंगा रहता है और जब फसल आती है तो उस समय सबसे ज्यादा सस्ता भी होता है। अगर यह चीज भाव पर निश्चित की जाय तो फिर यह मुश्किल बात होगी कि किस भाव पर लिया जाय और इससे झगड़ा हो जायगा। लेकिन यहां पर २५ फीसदी यह नहीं पड़ता है। अगर यह भी रखा जाय कि जब बीज दिया जाय और जब बीज लिया जाय मार्केट रेट पर दिया लिया जाय। मैं समझता हूं कि ७,८ परसेंट जो लेते हैं उससे ज्यादा लेने का अधिकार नहीं है। यह मैं आपसे बताता हूं।

एक बात उन्होंने कही कि अमेरिका में ४ परसेंट पर मिलता है। विशारद जी कानपुर के रहने वाले हैं। वह पूंजीपतियों के हिसाब को जानते हैं। ४ परसेंट पर तो बड़े से बड़े पूंजीपति से भी नहीं मिलता होगा। हमारे लिये ४ परसेंट पर बहुत मश्किल है आज दिक्कत यह हो रही है कि रिजर्व बैंक से २ परसेन्ट पर मिल जाता है लेकिन जब इसको तीन हिस्सों में बांटना पड़ता है उससे खर्चा बढ़ जाता है। जब तक काफी रकम न हो तब तक हम ६। परसेंट तक लाने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं। स्टेट बैंक, डिस्ट्रिक्ट

[श्री मोहनलाल गौतम]

बैंक और सोसाइटी अपना खर्चा निकालने के लिये काफी काम बढ़ा लें तब हम अपना रेट मार्जिन पर ला सकते हैं और उसको ६। परसेंट तक ला सकते हैं। लेकिन ४ परसेंट पर कम से कम हमारी हिम्मत लाने की नहीं है और मैं इस बारे में कोई भी आश्वासन इस सदन को नहीं दे सकता।

श्री जगदीशशरण जी ने गुड़ के बारे में कहा था। मैं उनकी सूचना के लिये बताऊं कि सेंट्रल वेयर हाउस कोआपरेटिव फेडरेशन ने मुजफ्फरनगर में २० हजार टन की कैपेसिटी का वेयर हाउस बनाने का निश्चय किया है। गुड़ के लिये वेयर हाउस बनाने का सवाल हमारे सामने है और उस पर हमने अमल करना शुरू कर दिया है।

इसी तरह से जो-जो प्रश्न इस समय यहां पर माननीय सदस्यों ने उठाये थे उसमें जो जिलों की बातें हैं उनका यहां जिक्र नहीं करूंगा, उनको मैंने नोट कर लिया है। माननीय सदस्यों से प्रार्थना है कि जो उन्होंने नाम वगैरह लेने में संकोच किया है वह मुझे और डिटेल दे दें। मैं उसको देख लूंगा और जो भी मुझसे हो सकता है वह जरूर करने का प्रयत्न करूंगा।

इसी तरह से इस वक्त हमारे सामने जो प्रश्न है उनको २ हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक तो यह कि जो आन्दोलन चल रहा है उसमें और उसके अमल के लिये क्या सुझाव हैं। बीज के बारे में शिकायत है कि खराब है। ये हयूमन खराबियां हैं और हम सब मिल कर ही इन्हें दूर कर सकते हैं। कोआपरेटिव मूवमेंट से या हमारे राजनीतिक कार्यकर्ता दूर रहें और या यह मूवमेंट उनसे दूर रहे। अगर राजनीतिक कार्यकर्त्ता राजनीति को छोड़कर कोआपरेटिव का कार्य करें तो मुझे विश्वास है कि इससे आन्दोलन अधिक आगे बढ़ेगा। यह ठीक है कि कंज्यूमर स्टोर्स में मोनोपली के कारण काम अधिक अच्छा चलता दिखाई दिया पर उनकी जड़ गहरी नहीं है। परन्तु ये जरूरी हैं और उनको हमें चलाना चाहिये। कहा गया कि भट्टे कोयले की मोनोपली के कारण चल रहे हैं, यह मैं मानता हूं। इसमें सब कुछ बेईमानियां होते हुये भी यदि इसका मुनाफा किसी एक व्यक्ति को जाकर कंसेंट्रेट न हो और कोआपरेटिव संस्था के सदस्यों को बटे तो अधिक अच्छा है। चाहे वह १ हजार हो या १० हजार रुपया हो, बटना चाहिये सदस्यों को ही। किसी एक व्यक्ति के हाथ में न होकर यदि भट्टे संघ के हाथ में हैं तो यह एक कदम आगे ही है।

पंडित जवाहरलालजी की और रवेन्यू मिनिस्टर साहब की बात उठाई गई थी और मुझसे पूछा गया था कि मेरी क्या राय है? मेरा ख्याल है कि मैं कोआपरेटिव फार्मिंग में विश्वास करता हूं और कोआपरेटिव फार्मिंग परसुएशन से हो न कि कम्पलशन से। इसीलिये मैं कोआपरेटिव फार्मिंग को कामयाब बनाकर उसके नतीजे आपके सामने रखना चाहता हूं। मुझे राजा साहब की चुनौती मंजूर करते हुये जरा डर लगता है। लेकिन फिर भी मेरा दिमाग और जवाब साफ है। अब मैं समझता हूं कि उनको मेरी बात समझ में आ गई होगी और उनको इत्मीनान हो गया होगा कि मेरा क्या राय है।

बहुत से भाइयों ने लेबर कोआपरेटिव्स के बारे में कहा। मैं कोशिश करूंगा कि ये बनाई जावें और उनको कामयाब बनाने की कोशिश की जाय। उसकी जो कुछ भी दिक्कतें हमारे सामने आवेंगी उन पर फिर विचार होगा, लेकिन मैंने जैसा अभी निवेदन किया, मैं चाहूंगा कि ये लेबर कोआपरेटिव्स जरूर बनाई जावें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने करीब-करीब सब बातें नोट कर ली थीं, लेकिन मुमकिन है कुछ बातें उत्तर देने से रह गयी हों लेकिन फिर मैं एक बार सदन को यह विश्वास दिलाता हूं और जितने सुझाव दिये गये हैं उन सब के लिये हार्दिक धन्यवाद देता हूं। उन पर जितना भी हो सकेगा, अमल करूंगा। कोआपरेशन को, जिसके लिये सारा सदन और सदन के

भिन्न-भिन्न दलों के लोग जिसको सफल देखना चाहते हैं, उसके सफल बनाने के लिये मेरी पूरी कोशिश होगी। कि मैं जितना अनुदान मैंने आज मांगा है उतना अनुदान आज यह सदन स्वीकार कर दे और मैं फिर बड़े उत्साह के साथ दुबारा यहां आऊंगा और पूरी कोशिश करूंगा उसी उत्साह के साथ जिस उत्साह के साथ माननीय सदस्यों ने आज यहां सुझाव दिये हैं। उनकी इच्छाओं के अनुरूप दुबारा अनुदान पेश करने का प्रयत्न करूंगा। दिक्कत हमारी जरूर है कि प्लान में जो चीज तय हो गयी है, प्लान के अन्दर जो रकम मुकर्रर हो गयी है, उससे बहुत दूर तो मैं न जा सकूंगा और मेरा उत्साह शायद बहुत ज्यादा काम न दे, लेकिन मैं उन सदस्यों को धन्यवाद अवश्य देता हूं जिन्होंने इस आन्दोलन की सफलता चाही और इसमें पूरा विश्वास प्रकट किया। समाजवादी समाज की स्थापना के लिये मैं इसको जरूरी समझा तथा लोग इस अनुदान को कम समझते हैं तथा इसको स्वीकार करने के लिये तैयार हैं। कटौती का प्रस्ताव तो एक माने में यह है नहीं, क्योंकि उसका उद्देश्य वाद-विवाद और सुझाव देना है। फिर उस कटौती के प्रस्ताव पर राय कैसे ली जा सकती है। वाद-विवाद और सुझाव पर राय नहीं ली जा सकती। इसलिये मेरा निवेदन है कि कटौती के प्रस्ताव पर वोट नहीं ली जा सकती है। इसलिये मैं माननीय सदस्य से निवेदन करता हूं कि वह इस कटौती के प्रस्ताव को वापिस ले लें, ताकि हमारा सदन एक राय से इस अनुदान को पास कर सके और समाजवादी समाज की तरफ एक कदम आगे बढ़ सके। इन शब्दों के साथ मैं प्रार्थना करूंगा कि मेरा यह अनुदान स्वीकार किया जाय।

श्री पब्बरराम––माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी के भाषण को बहुत गौर से सुनता रहा। उन्होंने अपने भाषण के दरमियान में जिन चीजों को रक्खा है और कोआपरेशन की उन्नति के लिये, भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिये, कोआपरेटिव समाजवाद को लाने के लिये जो उसूल की बातें उन्होंने की हैं, उसके ऊपर पूरा-पूरा विश्वास करते हुये मैं अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से कटौती का प्रस्ताव वापस लिया गया।)

श्री उपाध्यक्ष––प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २६––सहकारिता के आधार पर ऋण––लेखा शीर्षक ४२––सहकारिता के अन्तर्गत १,५५,७९,३०० रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९५७–५८ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इसके बाद सदन ५ बजकर १८ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
२१ अगस्त, १९५७।

नत्थी "क"

(देखिये तारांकित प्रश्न १२ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०० पर)

समिति के वर्तमान वर्ष के अधिकृत सदस्यों की सूची जैसी कि ३०-१-५७ को थी।

१—डाक्टर श्रीमती आर० ए० बैरो० कोठी नं० १७२/१, मोकाम ओट, जिला शाहजहांपुर।
२—श्री साहू राजेश्वर शरण, डाकखाना खुदागंज, जिला शाहजहांपुर।
३—श्री नन्हू लाल जी, ग्राम मदारीपुर, डाकखाना अरेली, शाहजहांपुर।
४—श्री चोखे लाल सत्यपाल, कटिया टोला, शाहजहांपुर।
५—श्री गंगा विष्णु जी, ग्राम कुदनी, डाकखाना निगोड़ी, जिला शाहजहांपुर।
६—श्री श्रीसरन, लाला तेली की बजरिया, शाहजहांपुर।
७—श्री शांती स्वरूप, बहादुरगंज, कटियाटोला, शाहजहांपुर।
८—श्री नरेंद्र कुमार सक्सेना, वकील, शाहजहांपुर।
९—श्री दरशन सिंह, ऐडवोकेट, शाहजहांपुर।
१०—श्री श्याम बिहारी तिवारी, ऐडवोकेट, शाहजहांपुर।
११—श्री दया शंकर शर्मा, वकील, शाहजहांपुर।
१२—श्री नाथूसिंह, वकील, शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट जेल, शाहजहांपुर।
१३—श्री सीता राम कटियार, स्कूल मास्टर, डिस्ट्रिक्ट जेल, शाहजहांपुर।
१४—श्री देव नारायण त्रिपाठी, वकील शाहजहांपुर।
१५—श्री मोहम्मद समातुल्ला खां, अभ्यर्थना लेखक, शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट जेल, शाहजहांपुर।
१६—श्री शम्भू नाथ त्रिवेदी, वकील शाहजहांपुर।
१७—श्री अशफाक अली खां, एम० ए०, आनर्स, एल०एल०बी० वकील, अशफाक मंजिल, शाहजहांपुर।
१८—श्री सी० पी० भटनागर, जेलर, डिस्ट्रिक्ट जेल, शाहजहांपुर।
१९—श्री परमेश्वरी दयाल, द्वारा सर्वश्री परमेश्वरी दयाल राम कुमार, गल्ला व्यापारी, बहादुरगंज, शाहजहांपुर।
२०—श्री गुर प्रकाश सक्सेना, वकील, शाहजहांपुर।
२१—श्री बी० एन० भागी, प्रोपराइटर, निशात टाकीज, शाहजहांपुर।
२२—श्री कृष्णपाल सिंह, वकील, गोबिन्दगंज, शाहजहांपुर।
२३—श्री राम स्वरूप, द्वारा श्री राम स्वरूप जैचन्द, वकील, शाहजहांपुर कैन्ट।
२४—श्री राज कुमार श्रीवास्तव, वकील भरद्वाजी, शाहजहांपुर।
२५—श्री राम किशोर सेठ, द्वारा सर्वश्री हरद्वारी लाल कुंज बिहारी, ज्वेलर्स चौक, शाहजहांपुर।
२६—श्री जगदीश नारायण सेठ, द्वारा सर्वश्री सेठ हरद्वारी लाल कुंज बिहारी ज्वेलर्स चौक, शाहजहांपुर।
२७—श्री जुगुल किशोर सेठ, सदर बाजार, शाहजहांपुर।
२८—श्री अमर नाथ सेठ, द्वारा सर्वश्री हरद्वारीलाल कुंज बिहारी लाल, सर्राफ शाहजहांपुर।
२९—श्री टी०एन० पाठक वकील, शाहजहांपुर।
३०—श्री करन सिंह, एस० जी० जैतीपुर, शाहजहांपुर।

नत्थी "ख"

(देखिये तारांकित प्रश्न २४ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०३ पर)

तालिका

जिस का उल्लेख तारांकित प्रश्न संख्या २४ के उत्तर में किया गया है।

क्रम-संख्या	विद्यालय का नाम			स्वीकृत विषय
			(बालकों के)	
१	राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय,		मेरठ	टेक्निकल,
२	,,	,,	मुरादाबाद	,,
३	,,	,,	इलाहाबाद	,,
४	,,	,,	झांसी	,,
५	,,	,,	मिर्जापुर	,,
६	,,	,,	देवरिया	,,
७	,,	,,	फैजाबाद	,,
८	श्री व्र० अ०	,,	कानपुर	टेक्निकल तथा इन्टर कक्षाओं में विज्ञान।
९	जुबली ,,	,,	लखनऊ	टेक्निकल,
१०	,,	,,	पीलीभीत	,,
११	,,	,,	सुल्तानपुर	इन्टर कक्षाओं में विज्ञान।
१२	,,	,,	बांदा	इन्टर कक्षाओं में जीव विज्ञान।
१३	,,	,,	बहराइच	,, ,,
१४	,,	,,	फतेहगढ़	,, ,,
१५	,,	,,	बिजनौर	,, ,,
१६	,,	,,	रायबरेली	,, ,,
१७	घनानन्द	,,	मंसूरी (देहरादून)	इन्टर कक्षाओं में विज्ञान।
			(बालिकाओं के)	
१८	राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय,		बरेली	गृह-विज्ञान।
१९	,,	,,	गाजीपुर	,,
२०	,,	,,	झांसी	,,
२१	,,	,,	गोरखपुर	इन्टर कक्षाओं में गृह-विज्ञान तथा विज्ञान।
२२	खुरशीद ,,	,,	रामपुर	फाइन आर्टस।
२३	राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय,		फैजाबाद	इन्टर कक्षाओं में विज्ञान तथा फाइन आर्टस।

अध्यक्ष पदेन सभा

नत्थी "ग"

(देखिये तारांकित प्रश्न ४४ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०६ पर)

संख्या ख (पी)-१४७५/१५---६०३-१९५७

प्रेषक

डा० मोहन चन्द्र पन्त, एम० एस-सी०, डी० फिल०,
अनुसचिव, उत्तर प्रदेशीय सरकार ।

सेवा में,

शिक्षा संचालक,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।

दिनांक लखनऊ, १२ जून, १९५७ ई० ।

विषय---प्रदेश की शिक्षा संस्थाओं की कक्षा १---३ में निःशुल्क शिक्षा ।

महोदय,

शिक्षा (ख) विभाग ।

मुझे यह कहने का आदेश हुआ है कि ऐसा प्रतीत होता है कि १ जुलाई, १९५६ से शिक्षा संस्थाओं की कक्षा १---३ में शिक्षा शुल्क से छूट प्रदान करने तथा इसके फलस्वरूप शुल्क की आय में क्षति की पूर्ति करने के विषय में अब भी कुछ भ्रम शेष है । इस सम्बन्ध में समय-समय पर आदेश निर्गत हुये है, किन्तु शंकाओं का, यदि कोई हों, समाधान करने के लिये यह आवश्यक मालूम होता है कि उन आदेशों की सूचना फिर से दी जाय । अतः सबकी सूचना तथा पथ-प्रदर्शन के लिये निम्नलिखित आदेश जारी किये जाते हैं:

(१) विशेष प्रकार के स्कूलों को, जिनका उल्लेख नीचे के उप-अनुच्छेद में किया गया है, छोड़कर, शहरों के तथा ग्रामीण क्षेत्रों के किसी प्राइमरी स्कूल में या जूनियर हाई स्कूलों अथवा हायर सेकेण्डरी स्कूलों की प्राइमरी कक्षा १---३ में शिक्षा शुल्क नहीं ली जायगी यदि उक्त प्राइमरी स्कूल या प्राइमरी सेक्शन पूर्ण रूप से राज्य शासन या स्थानीय निकाय द्वारा चलाया जाता हो या उनकी सहायता के लिये शासन अथवा किसी स्थानीय निकाय से अनुदान मिलता हो ।

(२) कक्षा १---३ में शिक्षा शुल्क से छूट प्रदान करने के आदेश निम्नलिखित स्कूलों में लागू नहीं होंगे:

(क) मान्यता प्राप्त प्राइवेट प्राइमरी स्कूलों में जिनमें कक्षा १---३ में दो आने प्रति मास, प्रति छात्र, से अधिक शिक्षा शुल्क ली जाती है ।

(ख) मान्टेसरी, नर्सरी, कानवेन्ट स्कूलों, संस्कृत पाठशालाओं तथा अर्बी मदरसों में ।

(ग) उन जूनियर हाई तथा हायर सेकेण्डरी स्कूलों में जिनमें कक्षा १---३ भी हैं और जिनमें कक्षा १ व २ में १ रु० ४ आ० तथा ३ में १ रु० ८ आ० से अधिक शिक्षा शुल्क ली जाती है ।

(३) प्रदेशीय सरकार के किसी विभाग द्वारा चलाये जाने वाले स्कूल, कक्षा १---३ में शिक्षा शुल्क नहीं ले सकते हैं क्योंकि उनका प्रबन्ध सरकारी रुपये से ही होता है । केन्द्रीय सरकार के विभागों द्वारा चलाये जाने वाले स्कूल यदि शिक्षा शुल्क से छूट न देना चाहें तो अपने ही दरों के अनुसार शिक्षा शुल्क लेते रहें । किन्तु यदि वे शिक्षा शुल्क से छूट प्रदान करें तो उन्हें क्षति की पूर्ति इस सरकार द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार की जायगी ।

(४) किसी नये प्राइवेट प्राइमरी स्कूल को या जूनियर हाई अथवा हायर सेकेण्डरी स्कूल को जिसमें कक्षायें १-३ भी होंगी सरकार अथवा स्थानीय निकायों द्वारा उस समय तक अनुदान न मिलेगा जब तक वे कक्षा १---३ में शिक्षा शुल्क से छूट न प्रदान कर दें ।

२--जिन शिक्षा संस्थाओं की कक्षा १--३ में शिक्षा शुल्क छूट दी गई है उनको निम्नलिखित दरों के अनुसार शुल्क छूट के कारण क्षति की पूर्ति के हेतु अनुदान दिया जायगा:

(क) स्थानीय निकायों के प्राइमरी स्कूलों में जो अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा क्षेत्र के बाहर हैं कक्षा १--३ में दो आने प्रति मास प्रति छात्र के अधिकतम दर तक;

(ख) स्थानीय निकायों के प्राइमरी स्कूलों में जो अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा क्षेत्र में हैं किन्तु जिनमें अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा क्षेत्र के बाहर के बच्चे भी पढ़ते हैं। उपर्युक्त (क) में लिखित दर के अनुसार;

(ग) मान्यता प्राप्त प्राइवेट प्राइमरी स्कूलों में, जो सहायता पाते हैं या नहीं पाते हैं। उपर्युक्त (क) में लिखित दर के अनुसार;

(घ) जूनियर हाई तथा हायर सेकेण्डरी स्कूलों में, जो शासन अथवा स्थानीय निकायों द्वारा सहायता पाते हैं या नहीं पाते हैं:

कक्षा १–२ में १ रु० ४ आ० तथा कक्षा ३ में १ रु० ८ आ० की अधिकतम दर तक।

(ङ) केन्द्रीय सरकार के विभागों द्वारा चलाये जाने वाले स्कूलों में यदि वे शिक्षा शुल्क से छूट प्रदान करें:

केवल प्राइमरी स्कूलों के लिये--उपर्युक्त (क) में लिखित दर के अनुसार।
जूनियर हाई तथा हायर सेकेण्डरी स्कूलों की प्राइमरी कक्षाओं के लिये। उपर्युक्त (घ) में लिखित दरों के अनुसार।

३--यदि विशेष प्रकार के स्कूलों में से, जिनका उल्लेख अनुच्छेद १ (२) में किया गया है, कोई स्कूल शिक्षा शुल्क उक्त अनुच्छेद में लिखी हुई दरों तक घटा देगा तो वह भी अनुच्छेद २ में उल्लिखित दरों के अनुसार शुल्क की आय में क्षति की पूर्ति का अधिकारी हो जायगा।

भवदीय,
मोहन चन्द्र पन्त
अनु सचिव

संख्या ख (पी)–१४७५ (१)/१५--६०३–१९५७।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:

(१) समस्त डिवीजनों के कमिश्नर तथा झांसी व कुमायूं डिवीजनों के कलेक्टर-इन-चार्ज।
(२) उप-शिक्षा संचालक (मण्डल) तथा जिला विद्यालय निरीक्षक इन-चार्ज, कुमायूं रीजन।
(३) बालिका विद्यालयों की मण्डलीय निरीक्षकायें।
(४) समस्त जिलाधीश, उत्तर प्रदेश।
(५) समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
(६) अध्यक्ष, जिला परिषद्।
(७) अध्यक्ष, नगरपालिकायें।
(८) नोटीफाइड एरिया कमिटियों के अध्यक्ष।
(९) अन्य विभागों के अध्यक्ष।

संख्या ख (पी)–१४७५ (२)/१५--६०३–१९५७।

प्रतिलिपि सचिवालय के समस्त विभागों को भी सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,
मोहन चन्द्रपन्त,
अनु सचिव।

नत्थी "घ"

(देखिये तारांकित प्रश्न ५२ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०९ पर)

उन जिलों की सूची जिसमें बालिकाओं के डिग्री कालेज नहीं हैं

१—देहरादून
२—बुलन्दशहर
३—मुजफ्फरनगर
४—सहारनपुर
५—एटा
६—मैनपुरी
७—बरेली
८—पीलीभीत
९—बदायूं
१०—बिजनौर
११—शाहजहांपुर
१२—फर्रुखाबाद
१३—इलाहाबाद
१४—फतेहपुर
१५—इटावा
१६—झांसी
१७—जालौन
१८—बांदा
१९—हमीरपुर
२०—जौनपुर
२१—गाजीपुर
२२—बलिया
२३—मिर्जापुर
२४—गोरखपुर
२५—देवरिया
२६—आजमगढ़
२७—बस्ती
२८—अल्मोड़ा
२९—नैनीताल
३०—गढ़वाल
३१—टेहरी-गढ़वाल
३२—सीतापुर
३३—खेरी
३४—हरदोई
३५—उन्नाव
३६—रायबरेली
३७—गोंडा
३८—बहराइच
३९—फैजाबाद
४०—प्रतापगढ़
४१—सुल्तानपुर
४२—बाराबंकी
४३—रामपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "ङ"

(देखिये तारांकित प्रश्न ५५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ११३ पर)

बलिया जिले की १९५५ से १९५७ (जुलाई तक) की अपराध की स्थिति का विवरण:

क्रम सं०	अपराध	१९५५ में	१९५६ में	१९५७ में (जुलाई तक)
१	डकैती ..	१०	१४	१२
२	राहजनी ..	३	..	८
३	कत्ल ..	१०	१३	११
४	बल्वा ..	२८	४०	३२
५	चोरी (Burglary)			
	(१) बिना नुक्सान की	२७	३५	५५
	(२) नुक्सान की	२२०	२४४	२७५
६	मवेशियों की चोरी ..	४०	५४	२९
७	टेलीफोन और टेलीग्राफ के तारों की चोरी	३	३	१
८	साधारण चोरी ..	१३१	१६५	१२४
९	भारतीय दंड विधान की अन्य विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत ..	३३	४३	९०

पी० एस० यू० पी०—उ० पी० १०७ एल० ए०—१९५७-१-७९६